

आपदा प्रबंधन योजना DISASTER MANAGEMENT PLAN 2016



संरक्षा संगठन
SAFETY ORGANISATION

पूर्व रेलवे EASTERN RAILWAY

हावड़ा मंडल



Howrah Division

PART - A

अस्वीकरण (डिस्क्लेमर)

इस दस्तावेज में उपलब्ध सूचना सामान्य मार्गदर्शन के लिए है. इस दस्तावेज को सही और सटीक बनाने के पूरे प्रयास किए गए हैं, फिर भी किसी विवाद की स्थिति में सामान्य और सहायक नियमावली / दुर्घटना नियमावली और संहिताएँ (कोड) प्रभावी मानी जायेंगी.

अनुक्रमणिका

क्रमंक	विषय-वस्तु	पृष्ठ सं.
1.	आपदा	
2.	वर्गीकरण	
3.	आपदा प्रबन्धन की परिकल्पना	
4.	प्रशिक्षण केन्द्रों की भूमिका	
5.	रेल दुर्घटनाओं से निपटने में उपलब्धता के लक्ष्य	
6.	रेल गाड़ी दुर्घटना के कारण आपदा की स्थिति	
7.	टक्कर के कारण	
7.1	रेल कर्मचारी की त्रुटियों की प्रकृति	
7.2	रेल गाड़ी के पटरी से उतरने के कारण	
8.	समपार फाटकों पर दुर्घटना	
8.1	कर्मचारी रहित समपार फाटक	
8.2	कर्मचारी युक्त समपार फाटक	
9.	ट्रेन दुर्घटनाओं में आग	
10.	बाढ़ और दरार के कारण दुर्घटनाएँ	
10.1	भारी वर्षा के दौरान रेलपथ की संरक्षा के उपाय	
11.	तोड़-फोड़ और रेल गाड़ी की क्षतिग्रस्तता	
11.1	तोड़-फोड़ के मामलों की खास विशेषता	
12.	दुर्घटना के मौके पर चिन्हों को संरक्षण	
13.	संकट-कालीन प्रबन्धन	
14.	दुर्घटना, प्राकृतिक विपदा और आतंकवादी कार्यों का छोटी, बड़ी और भयंकर दुर्घटनाओं में वर्गीकरण	
14.ए	छोटी दुर्घटनाएँ	
14.ए.1	बचाव	
14.ए.2	पुनर्स्थापन (पुनर्बहाली)	
14.बी	बड़ी दुर्घटनाएँ	
14.बी.1	बचाव और राहत	
14.सी	पुनर्स्थापन (पुनर्बहाली)	
14.डी	भयंकर दुर्घटनाएँ	
15.	आपदा प्रबन्धन-कार्य योजना	
16.	रेलवे बोर्ड के अनुदेश	
17.	आपदा की स्थिति में संबंधित शाखा अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई	

क्रमंक	विषय-वस्तु	पृष्ठ सं.
17.1	चिकित्सा	
17.2	यांत्रिक	
17.3	वाणिज्य	
17.4	बिजली	
17.5	सुरक्षा	
17.6	सिगनल एवं दूर संचार	
17.7	इंजीनियरींग	
17.8	सामान्य	
18.	आपदा प्रबन्धन में उल्लिखित दुर्घटना मैनुअल नियमों के सार-संक्षेप	
18.1	गार्ड के कर्तव्य	
18.2	इंजन चालकों के कर्तव्य	
18.3	ट्रेन से यात्रारत रेल कर्मचारियों के कर्तव्य	
18.4	दुर्घटना प्रबन्धक के कर्तव्य	
18.5	मंडल के वरिष्ठतम अधिकारी के कर्तव्य	
18.6	प्रभावित सेक्शन के दोनों ओर के स्टेशन मास्टर्स / नियंत्रक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य	
18.7	सुरक्षा अधिकारियों के कर्तव्य	
18.8	चिकित्सा अधिकारियों के कर्तव्य	
18.9	वाणिज्य अधिकारियों के कर्तव्य	
18.10	कार्मिक अधिकारी के कर्तव्य	
18.11	सिगनल एवं दूर संचार अधिकारियों के कर्तव्य	
18.12	मंडल के संरक्षा अधिकारियों के कर्तव्य	
18.13	सेक्शन कण्ट्रोलर के कर्तव्य	
18.14	मुख्य कण्ट्रोलर / उप कण्ट्रोलर के कर्तव्य	
18.15	पावर कण्ट्रोलर के कर्तव्य	
18.16	ट्रेक्शन (कर्षण) पावर कण्ट्रोलर के कर्तव्य	
18.17	ट्रेक्शन लोको कण्ट्रोलर के कर्तव्य	
18.18	मंडल ट्रान्सपोर्टेशन, इंजीनियरी, सिगनल, कैरेज एवं वैगन एवं लोको निरीक्षकों आदि के कर्तव्य	
18.19	गाड़ी पर कार्यरत कर्मचारियों के कर्तव्य	
19.	ए आर टी/ ए आर एम ई / बी डी क्रेन / टावर वैगन के लिए हूटर/सायरन के निर्धारित कोड	

क्रमंक	विषय-वस्तु	पृष्ठ सं.
19.1	ए आर टी/ए आर एम ई के प्रस्थान की लक्ष्य अवधि	
19.2	अपेक्षित सहायता	
19.3	राहत गाड़ी का तेजी से टर्न आउट	
19.4	हावड़ा मंडल में ए आर टी, क्रेन एवं चिकित्सा यान की स्थिति एवं बीट	
19.5	निकटवर्ती रेलवे/मंडलों में ए आर टी/ए आर एम ई / बी डी क्रेन का निकटतम आधार-स्थल	
20.	नियंत्रक पदधारियों के कार्यक्षेत्र और नियंत्रित सेक्शन	
21.	निकटवर्ती मंडलों से सहायता	
22	आपदा प्रबन्धन हेतु अधिकारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्तियों का प्रत्यायोजन	
23.	आग लगने के कारण और प्रकार	
23.1	आग लगने की स्थिति में : क्या करें और क्या न करें .	
23.2	आग लगने के समय कब क्या करें .	
24.	महत्वपूर्ण बी एस एन एल टेलीफोन नम्बरों की सूची (सिविल, पुलिस)	
25.	सिविल एवं रेल अस्पतालों और नर्सिंग होम के महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बरों की सूची और उनमें उपलब्ध सुविधाएँ (हावड़ा एवं कोलकता)	
26.	बचाव / राहत कार्यों हेतु स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठनों की सूची	

आपदा प्रबन्धन

1. रेलवे आपदा की परिभाषा :

रेल आपदा का अर्थ है गंभीर गाड़ी दुर्घटना या गंभीर प्रकृति अप्रिय घटना चाहे वह रेलवे परिसर में हो या रेलवे के क्रिया कलापों से संबंधित क्षेत्र में घटित हो एवं उसका कारण चाहे स्वभाविक हो या मानवकृत हो, दोनों ही हालत में काफी लोगों की मृत्यु है या गंभीर रूप से घायल होने की बात है। यही नहीं इन घटनाओं से यातायात तो बाधित होता ही है बहुतायत संख्या में लोग प्रभावित होते हैं, ऐसी आपत्ति की घड़ी में बड़े पैमाने पर सरकारी / गैर सरकारी एवं निजी संगठनों की भारी आवश्यकता पड़ती है।

2. वर्गीकरण :

आपदा	
प्राकृतिक	मानवीय
बाढ़	रासायनिक/परमाणु लीकेज
तूफान	वायु
भूकम्प	रेल
सूखा	सड़क
अतिवृष्टि	

3. आपदा प्रबन्धन की परिकल्पना :

आपदा प्रबन्धन के प्रमुख केन्द्र बिन्दु निम्नलिखित हैं :

- (i) तीव्र कार्रवाई
- (ii) बेहतर सुविधा
- (iii) बड़ी दुर्घटनाओं से निपटने हेतु विस्तृत स्रोत
- (iv) बेहतर ग्राहक सुविधा की प्रमुखता
- (v) प्रशिक्षण और तत्परता
- (vi) आपदा के दौरान कमियों से बचने के लिए निवारणात्मक उपाय सुनिश्चित करना।

- (vii) पेशेवर कुशलता का केन्द्रीकरण इस प्रकार सुनिश्चित करना कि सामान्य दैनिक कार्य-कलाप को कम से कम बाधा पहुँचे और जन-धन की न्यूनतम क्षति के साथ बचाव और पुनर्बहाली का कार्य पूरा हो सके।

4. प्रशिक्षण केन्द्रों की भूमिका :

आपदा के दौरान अपेक्षित पेशेवर कुशलता और कार्रवाई के बारे में मंडल के निम्नलिखित प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाना अपेक्षित है :

- (ए) ट्रॉफिक प्रशिक्षण विद्यालय
- (बी) कैरेज एवं वैगन प्रशिक्षण विद्यालय
- (सी) इंजीनियरी प्रशिक्षण विद्यालय
- (डी) सिगनल एवं दूर संचार प्रशिक्षण विद्यालय

5. रेल दुर्घटनाओं से निपटने में उपलब्धता के लक्ष्य :

- (i) गौण (सेकेण्डरी) दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय
- (ii) जीवन-रक्षा एवं कष्ट निवारण
- (iii) अपेक्षित सहायता सहित आपदा प्रबन्धन योजना बनाना एवं दुर्घटना के मौके पर यात्रियों की मदद
- (iv) सीधे आवागमन की पुनर्बहाली
- (v) दुर्घटना के कारण का पता लगाने हेतु जाँच
- (vi) ऐसी दुर्घटनाओं के पुनः घटने से बचने के निवारणात्मक उपाय

6. रेल गाड़ी दुर्घटना के कारण आपदा की स्थिति

किस्म	क्लास	रेल दुर्घटना को आपदा कब कहा जाएगा
टक्कर	ए1	i) रु. 2500000/- तक की कीमत की सम्पत्ति की क्षति. अथवा ii) जन-जीवन क्षति या गंभीर चोट, अथवा iii) कम से कम 24 घंटे तक संचार की किसी श्रू लाइन का बाधित होना
रेल का पटरी से उतरना	डी1	उपर्युक्त
रेलगाड़ी में आग लगना	बी1	उपर्युक्त

समपार फाटक (लेवेल क्रॉसिंग) पर दुर्घटना	सी1	i) जन-जीवन की क्षति या गंभीर चोट. अथवा ii) रेल सम्पत्ति की क्षति, अथवा iii) ट्रॉफिक का थ्रेसहोल्ड वैल्यू से अधिक बाधित होना
---	-----	---

7. टक्कर के कारण

टक्कर के कारण निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक हो सकते हैं :

- (i) स्टेशन कर्मचारियों की विफलता
- (ii) भूलवश ड्राइवरों की विफलता
- (iii) तकनीकी कर्मचारियों की विफलता
- (iv) विविध कारण : जैसे ट्रैक दोष, रोलिंग स्टॉक की खराब अवस्था और दोषपूर्ण सिगनल

7.1 रेल कर्मचारियों की त्रुटियों की प्रकृति

- * ड्राइवरों द्वारा सिगनलों की उपेक्षा करना या ब्लॉक संचालन नियमों का उल्लंघन करना.
- * स्टेशन मास्टर /केबिन मास्टर द्वारा प्वाइण्टों की गलत सेटिंग और ब्लॉकड लाइन पर गाड़ियों को लेना
- * गाड़ी के अंतिम वाहन पर पिछली बत्ती/अंतिम वाहन बोर्ड का न लगाया जाना .
- * गार्ड द्वारा नियमानुसार यथावांछित ई एम यू गाड़ियों के फ्लैशर लाइट और फ्लेयर सिगनल का उपयोग न किया जाना
- * गार्ड द्वारा इस बात की जाँच न करना कि स्टेशन यार्ड में गाड़ी के आने पर गाड़ी द्वारा फाउलिंग मॉर्क क्लियर हुआ है या नहीं
- * ड्राइवर का नियमानुसार ऑन स्थिति में स्वचालित (ऑटोमेटिक) सिगनल पर न रुकना
- * किसी दूसरी गाड़ी के लिए लाइन क्लियर ग्राण्ट करने के पहले गाड़ी का पूर्ण आगमन सुनिश्चित करने में स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर की विफलता

7.2 रेल गाड़ी के पटरी से उतरने के कारण

- * अत्यधिक गति, विशेषकर मोड़ (कर्व) या टर्न आउट पर

- * लोड का अचानक शिफ्ट हो जाना
- * सही तौर पर वाहन पर लोडिंग न करना
- * ब्रेकिंग या त्वरण या गलत ढंग से गाड़ी परिचालन के कारण ड्रॉ बार फोर्स में अचानक परिवर्तन
- * रिसोनेन्ट रॉलिंग नोसिंग या हॉण्टिंग
- * टूटी पहिया या टूटी धुरी (ऍक्सल्ल्स)
- * वाहन पुर्जों की विफलता
- * ट्रैक का अवरोध
- * ट्रैक पुर्जों की विफलता

8. समपार फाटकों पर दुर्घटना

8.1 कर्मचारी रहित समपार फाटक (अन्मैड लेवेल क्रॉसिंग)

- * असंरक्षित स्थिति : कर्मचारी रहित समपार फाटकों को, देखने की कठिनाई, अनियमित सड़क ट्रॉफिक की सघनता, विशेष रूप से रात में, असंरक्षित माना जाता है
- * कर्मचारी रहित समपार फाटकों पर दुर्घटनाएँ मूलतः सड़क उपयोक्ताओं द्वारा धक्के दिए जाने के कारण होती हैं । यद्यपि ट्रेन ड्राइवरों की अपेक्षा एक सड़क वाहन ड्राइवर के पास चालन युक्ति और कम दूरी पर ब्रेक लगाने के लाभ की सुविधा रहती है, लेकिन ऐसे इण्टर सेक्शनों को पार करते समय उनकी सतर्कता के स्तर में कमी रहती है
- * यह पाया गया है कि ट्रकों, टेम्पो और कभी-कभी बैलगाड़ी जैसे सड़क वाहनों के चालक, कर्मचारी रहित समपार फाटक पर बाँयें-दाँयें देखे बिना रेलवे लाइन को पार करते हैं और दुर्घटनाएँ होती हैं

8.2 कर्मचारी युक्त समपार फाटक (मैन लेवेल क्रॉसिंग):

कर्मचारी युक्त समपार फाटक पर संरक्षा सहायक सुविधाएँ :

- अन्तर्पाशन (इण्टरलॉकिंग)
- टेलीफोन
- लिफ्टिंग बैरियर
- सड़क के ऊपर / नीचे पुल के साथ समपार फाटक की सुविधा प्रदान करना
- ट्रेन चेतावनी प्रणाली का आना

9. ट्रेन दुर्घटनाओं में आग

- (i) कोच में तारों की शॉर्ट सर्किटिंग. बिजली इंजनों के सिरोंपर उपष्करों के बीच और विद्युतीकृत सेक्शनों में कोचों के छत पर शॉर्ट सर्किटिंग ।
- (ii) पेट्रोल, किरासन तेल, गैस सिलिण्डर जैसी ज्वलनशील वस्तुओं का साथ लेकर चलना और कभी-कभी चलती गाड़ी में खाना बनाने जैसे काम के लिए उनका उपयोग करना, सिगरेट-बीड़ी जलाना जिससे आग पकड़ने वाली चीजों में आग लग जाए ।
- (iii) निहित स्वार्थ के लिए गाड़ी में असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाने की कार्रवाई करना ।

10. बाढ़ और दरार के कारण दुर्घटनाएँ

- (i) भारी वृष्टि या बादलों का फटना जिसके कारण रेल लाइन पर बाढ़ आ जाती है जिसके कारण रेल लाइन पानी में डूब जाती है, रेल लाइन के पुर्जे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और रेल लाइन के लेवेल और संरेखण पर असर पड़ता है ।
- (ii) तटबन्धों में दरार पड़ने / उनके बह जाने सहित तटबन्धों की क्षति जिससे ट्रैक की संरक्षा प्रभावित होती है ।
- (iii) पुलों, खम्भों, पील-पायों और पुलों के अन्य अंगों का पानी से बह जाना या क्षतिग्रस्त होना .
- (iv) पक्के नदी-पथ या सेतुक (कॉजवे) का जलप्लावित हो जाना जिससे पानी के बहाव में तेजी आ जाए जिससे ट्रैक की स्थिति असंरक्षित हो जाए

10.1 भारी वर्षा के दौरान रेलपथ की संरक्षा के उपाय :

- * रेलपथ और पुलों की क्षति रोकने के लिए असामान्य वर्षा या तूफान के समय गैंग गश्ती.
- * बाढ़ के कारण होने वाली क्षति का पता लगाने हेतु रात में गश्त लगाना, ताकि दरार, जमीन के धँसने, स्लिप करने एवं पानी के बहाव पर नजर रखा जा सके और गाड़ियों की सुरक्षा के लिए तुरन्त कार्रवाई की जा सके
- * वर्षा, बाढ़ आदि के कारण उत्पन्न असाधारण असंरक्षित स्थिति में प्रतिदिन चाभी मैन (की मैन) द्वारा पैदल पूरे ट्रैक की जाँच करना और तत्काल कार्रवाई करना .
- * सुगम रूप से पहुँच जा सकने वाले स्थलों जैसे पुलों, बाढ़ प्रभावित पक्के नदी-पथ पर चौकीदार रखना ताकि रेल लाइन को संरक्षा प्रदान की जा सके .

11. तोड़-फोड़ और रेल गाड़ी की क्षतिग्रस्तता

11.1 तोड़-फोड़ के मामलों की खास विशेषता

- * फिश-प्लेटों और फिश-बोल्टों सहित एक या अधिक खुले रेल जोड़ों का हटाया जाना और फिश प्लेटों, फिश बोल्टों या फिशिंग होल पर किसी प्रकार का प्रहार का चिह्न न होना. ।
- * डॉग स्पाइक (कील), कोच स्कू या अन्य ऐसी फिटिंग का हटाया जाना जिससे उन पर या लकड़ी के स्लीपरों के छिद्रों पर किसी प्रकार के प्रहार का चिह्न न हो ।
- * बकलिंग सहित या उसके बिना खुले जोड़ों का विस्थापन (डिस्प्लेसमेंट) ।
- * रेल लाइन यदि दोनों छोरों पर डिस्कनेक्ट हो जाय, तो उस पर प्रहार के चिह्न नहीं भी दिख सकते ।
- * कभी-कभी ट्रैक के साथ छेड़छाड़ से भिन्न कारणों से भी तोड़-फोड़ की घटना होती है , जैसे कोचों आदि में आग लगने के कारण आदि ।

12. दुर्घटना के मौके पर चिह्नों का संरक्षण :

- * क्षतिग्रस्त रॉलिंग स्टॉक, इंजन या ट्रैक के किसी भी भाग को (केवल उन स्थितियों को छोड़कर जिसमें घायल लोगों की जीवन रक्षा के लिए एकदम आवश्यक न हो जाए), तब तक बाधित नहीं किया जाएगा, जब तक कि पुलिस द्वारा जाँच कार्य पूरा न कर लिया जाए और वरिष्ठ सिविल, पुलिस और रेल अधिकारियों द्वारा किसी सहमति पर न पहुँचा जाए और उनके द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित न कर दिया जाए ।
- * विवाद की स्थिति में, पुलिस अपनी टिप्पणी देंगे और दुर्घटना की जाँच कर रहे रेल संरक्षा आयुक्त उन पर विचार करेंगे और तब उस रिपोर्ट पर अपने विचार रखेंगे और एक अंतिम विचार बनाया जाएगा ।
- * संचार व्यवस्था की बहाली का कार्य तभी शुरू किया जाएगा, जब पुलिस और सिविल प्राधिकारी पूरी जाँच पूरा कर लेंगे और विस्तृत नोट और स्केच तैयार कर के उस पर हस्ताक्षर कर लेंगे ।

13. संकट-कालीन प्रबन्धन

ऐसी दुर्घटना की सूचना मिलने पर जिसमें लोग हताहत हुए हों, तत्काल कण्ट्रोल कक्ष में एक विशेष टीम बनायी जाएगी . मंडल रेल प्रबन्धक। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और डॉक्टर, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक, वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर/टी आर डी, वरिष्ठ मंडल सिगनल

एवं दूर संचार इंजीनियर, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त /मंडल सुरक्षा आयुक्त (आर पी एफ), वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी एवं फोटोग्राफर तीव्रतम संभव माध्यम से घटना स्थल पर पहुँचेंगे लेकिन किसी भी स्थिति में चिकित्सा राहत गाड़ी की अपेक्षा विलम्ब से नहीं पहुँचेंगे ।

किसी अधिकारी (डॉक्टर के सिवाय) के लिए या किसी अन्य कारण से किसी ए आर एम ई को रोका नहीं जाएगा (डिटेन नहीं किया जाएगा) । अपर मंडल रेल प्रबन्धक, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबन्धक/मंडल परिचालन प्रबन्धक, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/मंडल इंजीनियर, मंडल सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर, मंडल यांत्रिक इंजीनियर, मंडल वाणिज्य प्रबन्धक, मंडल कार्मिक अधिकारी, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अधिकारी, मंडल सुरक्षा आयुक्त /सहायक सुरक्षा आयुक्त (आर पी एफ) ऐसी प्रथम सूचना मिलते ही मंडल कंट्रोल में तुरन्त पहुँचेंगे और मौके पर ए आर एम ई के आने के पहले यथासंभव सर्वोत्तम ढंग से राहत और बचाव कार्य करेंगे । किसी भी मंडल/रेलवे से संबंधित होने पर भी निकटतम स्थिति वाले 4 या 5 , या इससे भी अधिक ए आर एम ई और ए आर टी को तुरन्त आदेश दे दिया जाना चाहिए और 140 टन की क्रेन का भी आदेश इस प्रकार दिया जाना चाहिए कि कम से कम दो ऐसी क्रेन मौके पर उपलब्ध हों । उनमें से एक-एक दोनों छोरों पर कोचों / वैगनों को संभालने के लिए इस प्रकार उपयोग में लायी जानी चाहिए कि घायल/मृत लोगों को निकाला जा सके। संबंधित सिविल, थल सेना, वायु सेना और नौसेना प्राधिकारियों को, फायर ब्रिगेड और गैर सरकारी संगठनों को मंडल कंट्रोल द्वारा घायल यात्रियों के लिए तुरन्त बचाव और राहत कार्य के लिए सूचित किया जाना चाहिए ।

उन कर्मचारियों को, जो उस ट्रेन पर सुरक्षित हों, जिसकी दुर्घटना हुई हो और निकटतम स्टेशन कर्मचारियों को हिदायत दी जानी चाहिए कि वे मौके पर, निकटवर्ती लोगों/ग्रामीणों/स्थानीय चिकित्सकों आदि के सहयोग से यथासंभव अच्छे ढंग से बचाव और राहत कार्य से संबंधित तुरन्त उपाय करें । प्रत्येक स्टेशन मास्टर के पास स्थानीय क्षेत्र के डॉक्टरों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सूची रखेगा । ऐसे लोगों से तुरन्त अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे यथासंभव सर्वोत्तम सहायता मौके पर उपलब्ध करायें । स्टेशन मास्टर के पास जेनरेटरों, कार्यकर क्रेनों, बुल्डोजरों आदि की सूची रहनी चाहिए ताकि दुर्घटना के स्थल पर उनकी तेजी से व्यवस्था हो सके ।

शाखा अधिकारी अपने लाइन पर कार्यरत और मुख्यालय के पर्यवेक्षकों (सुपरवाइजरों)/ निरीक्षकों को मौके पर रिपोर्ट करने के लिए कहेंगे । निकटतम

स्टेशन के अधिकारी और पर्यवेक्षक को हिदायत दी जाएगी कि वे मौके पर तुरन्त पहुँचे और यथासंभव सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध करायें ।

14. दुर्घटना, प्राकृतिक विपदा और आतंकवादी कार्यों का छोटी, बड़ी और भयंकर दुर्घटनाओं का वर्गीकरण.

विभिन्न प्रकार के संकट वाली घटनाओं के लिए उनकी व्यापकता के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी । छोटी-मोटी दुर्घटना में भारी पैमाने पर जन-जीवन या सम्पत्ति की हानि नहीं होगी । कुछ सामान्य घायल और / या सामान्य सम्पत्ति की हानि को इस श्रेणी में लिया जाएगा ।

ऐसी दुर्घटना जिसमें भारी संख्या में जन-जीवन की क्षति हुई हो और / या भारी संख्या में लोग घायल हुए हों या बड़ी मात्रा में सम्पत्ति की क्षति हुई हो, बड़ी दुर्घटना की श्रेणी में ली जायेंगी ।

भयंकर दुर्घटनाओं में मृतकों और घायलों की संख्या सौ से अधिक होगी और बचाव एवं सामान्य परिचालन स्थिति की पुनर्बहाली के लिए अधिक मंडलों और विभिन्न सिविल एजेंसियों के सहयोग की आवश्यकता होगी ।

14.ए छोटी दुर्घटनाएँ :

14.ए.1 बचाव :

यदि किसी व्यक्ति को चोट लगने की आशंका हो तो ए आर एम ई को मौके पर उच्च प्राथमिकता के आधार पर तुरन्त पहुँचाया जाना आवश्यक होगा. आपातकाली दवाओं और उपस्करों के साथ पर्याप्त संख्या में डाक्टरों को मौके पर जाना होगा ।

14.ए.2 पुनर्स्थापन (पुनर्बहाली):

- > सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचित किया जाए। निकटतम स्रोत से ए आर टी और आवश्यक क्षमता वाली क्रेन मौके पर मँगायी जाए ।
- > ए आर टी और क्रेन 30 मिनट के भीतर प्रस्थान कर जायँ ।
- > इंजीनियरिंग, सिगनल, बिजली आदि की पुनर्बहाली हेतु अपेक्षित सहायता का मूल्यांकन करें ।
- > कर्मचारियों और सामान के तेजी से भेजने की व्यवस्था ।
- > तर्कसंगत रूप से दोनों ओर की गाड़ियों को नियंत्रित करें ।
- > किसी अधिकारी और एक टी आई के साथ इमरजेन्सी कण्ट्रोल की स्थापना करें ।

- > मेन लाइन के ब्लॉक होने पर एक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का अधिकार कंट्रोल में रहेगा और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी / कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी मौके पर जायेंगे ।
- > मौके पर उपस्थित अधिकारी से पुनर्बहाली का पूर्वानुमान ।
- > गाड़ी कर्मचारियों के साथ और स्टेशन कर्मचारियों के साथ मंडल कंट्रोल से शीघ्रातिशीघ्र सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए ।
- > दुर्घटना की प्राथमिक सूचना मिलने पर प्रधान कार्यालय को सूचित किया जाए ।
- > रात के दौरान कार्य करने के लिए प्रकाश की व्यवस्था की जाए ।
- > मौके पर दूर संचार की व्यवस्था की जाए ।
- > 12 घंटे से अधिक समय तक काम करने वाले विभागीय कर्मचारियों को (भोजना के लिए) नकदी वितरण की व्यवस्था ।

14.बी बड़ी दुर्घटनाएँ :

14.बी.1 बचाव और राहत :

बड़ी दुर्घटनाओं की स्थिति में निम्नलिखित कार्रवाई की जानी चाहिए :

- > स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेन्स आदि के माध्यम से बचाव व्यवस्था तुरन्त की जाए ।
- > ए आर टी और ए आर एम ई की व्यवस्था तुरन्त की जाए । रेलवे डॉक्टर तुरन्त भेजे जायें . यदि मृत्यु या घायल की आशंका हो, तो स्थानीय अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों और राज्य सरकार पदधारियों को सहायता के लिए तुरन्त सूचित किया जाए ।
- > पर्याप्त संख्या में ट्रेसर और हेल्पर के साथ डॉक्टर आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के साथ तीव्रतम माध्यम से मौके पर जायेंगे ।
- > निकटतम क्षेत्र से स्थानीय अस्पताल, एम्बुलेन्स, फायर ब्रिगेड सहायता माँगी जाए ।
- > सहायता के लिए सिविल प्राधिकारियों को सूचित किया जाए. दुर्घटना की गंभीरता के अनुसार निकट मंडलों / रेलों से तीव्र बचाव कार्य हेतु सहायता माँगी जाए ।
- > मौके पर जेनरेटरों और विशेष प्रकाश व्यवस्था की जाए, यदि दुर्घटना रात के समय हुई हो। ऐसी व्यवस्था स्टेशन मास्टर द्वारा यह किसी विभाग के निरीक्षक द्वारा , मण्डल कंट्रोल को सूचना देकर की जा सकती है.

कुछ सेक्शन इंजीनियर (रेल पथ) को इस उद्देश्य के लिए डी जी सेट उपलब्ध कराये गये हैं।

- > शीघ्रातिशीघ्र सिगनल एवं दूर संचार विभाग द्वारा संचार व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। रेलवे चैनल, डाक एवं तार चैनल एवं सैटेलाइट चैनल (यदि आवश्यक हो) भी उपलब्ध कराये जाएं।
- > बचाव और पुनर्बहाली के लिए समुचित प्रकाश व्यवस्था बिजली विभाग द्वारा की जाय।

14. सी. पुनर्स्थापन (पुनर्बहाली) हेतु मौके पर कार्यरत अधिकारी

- > मौके पर प्रभारी अधिकारी यथाशीघ्र तेजी से मंडल कंट्रोल को दुर्घटना की प्रकृति की सूचना देंगे और उसके बाद विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य करेंगे।
- > मौके पर प्राभारी अधिकारी शीघ्रातिशीघ्र अपेक्षित सहायता की सूचना भी देंगे।
- > मण्डल कंट्रोल कार्यालय द्वारा एक इमरजेंसी कंट्रोल स्थापित किया जायेगा जिसमें एक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी और उनकी सहायता के लिए अन्य विभागों के अधिकारी रहेंगे। कंट्रोल में एक टी आई प्रतिनियुक्त किया जायेगा। वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी और परिचालन, इंजीनियरिंग, यांत्रिक, सिगनल, बिजली, वाणिज्य विभागों के शाखा अधिकारी दुर्घटना के मौके पर तुरंत पहुंचेंगे।
- > यदि तेजी से पुनर्बहाली के लिए कार्रवाई आवश्यक हो तो अन्य मण्डलों/रेलों से सहायता ली जाए।
- > समुचित संचलन योजना के साथ मौके पर इंजीनियरी सामान भेजे जाएं।
- > यात्रियों और उनके सामान के यानान्तरण की व्यवस्था की जाए। इसके लिए लाइसेंसधारी पोर्टरों का उपयोग किया जाए।
- > ऐसे प्रभावित वैगनों के सामानों के यानान्तरण (ट्रान्शिपमेण्ट) की व्यवस्था जिन्हें रेल पटरी पर पुनः न लाया जा सके. मण्डल रेल प्रबंधक की शक्ति अनुसूची (शेड्यूल ऑफ पावर) के अधीन तात्कालिकता प्रमाण पत्र पर लेखा और वाणिज्य अधिकारी द्वारा स्थानीय सिंगल निविदा की व्यवस्था।
- > घायल यात्रियों को निकटतम अस्पताल में ले जाने के लिए सड़क यातायात की व्यवस्था। सिविल प्राधिकारियों से सहायता प्राप्त करें। रेल वाहनों की भी मांग करें।

- > मृतकों के शव को आवश्यक फोटो लेने के बाद लाशघर में ले जाने की व्यवस्था की जाए। तात्कालिकता प्रमाण पत्र के आधार पर इंजीनियरिंग कंट्रैक्ट की व्यवस्था की जाए। मण्डल लेखा अधिकारी क्लर्कों आदि के साथ उपस्थित रहेंगे।

14. डी. भयंकर दुर्घटनाएँ

- > बड़ी और छोटी दुर्घटनाओं के अन्तर्गत सूचीबद्ध सभी कार्रवाईयों का अनुकरण किया जाए।
- > मण्डल रेल प्रबंधक इंजीनियरिंग, बिजली (सामान्य और टी आर डी), सिगनल, संरक्षा, यांत्रिक विभागों के शाखा अधिकारियों और निरीक्षकों एवं पर्यवेक्षकों के साथ मौके पर जाएंगे।
- > उपनगरीय रेल प्रबंधक / अपर मण्डल रेल प्रबंधक इमरजेंसी कंट्रोल में उपस्थित रहेंगे जिनकी सहायता के लिए विभागीय कर्मचारी भी उपलब्ध रहेंगे।
- > प्राप्त विस्तृत सूचना के आधार पर मौके पर आवश्यक सहायता के अनुसार उपनगरीय रेल प्रबंधक कार्रवाई करेंगे।
- > दुर्घटना की प्रकृति के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों के अलग अलग ग्रुप की व्यवस्था बनाकर बचाव, राहत, पुनर्बहाली और जन सम्पर्क के कार्य को तर्क संगत बनाया जाएगा. सिविल प्राधिकारियों, सेना प्राधिकारियों, पोर्ट प्राधिकारियों, आई ओ सी प्राधिकारियों से संकट की प्रकृति के अनुसार सहायता मांगी जाएगी।
- > यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र तेजी से मौके पर पर्याप्त संचार व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।
- > घायल व्यक्तियों को वायु मार्ग से ले जाने के बारे में विचार किया जाए।
- > दुर्घटना -स्थल से दूर कोचवार मृत शरीरों को व्यवस्थित करना चाहिए, उनका पहचान नम्बर निर्धारित करना चाहिए और प्रत्येक मृत शरीर के ऊपर उसे चिपका दिया जाना चाहिए. पहचान पत्र नम्बर के साथ मृतक के चित्र लिये जाने चाहिए।
- > मृतकों के शरीर के चित्र तेजी से प्रिंट किये जाने चाहिए और उनके संबंधियों द्वारा पहचान के लिए समुचित स्थान पर उन्हें लगाया जाए।
- > पर्याप्त सख्या में कफन और बर्फ की व्यवस्था की जाए।
- > संबंधियों के लिए मौके पर जाने के लिए विशेष गाड़ी चलाने की व्यवस्था की जाए।

- > घायलों को अस्पताल में ले जाने के लिए परिवहन व्यवस्था को उच्च प्राथमिकता दी जाए. घायलों की सूची सावधानीपूर्वक तैयार की जाए।
- > घायल यात्रियों और मृतकों के शव लेने वाले मृतक यात्रियों के निकटतम संबंधी को भी अनुग्रह राशि के भुगतान की व्यवस्था की जाए।
- > मृतकों के शव को लेने वाले लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए।
- > सिविल प्राधिकारियों की सहायता तुरंत मांगी जाए।
- > सिविल प्राधिकारियों के माध्यम से सेना प्राधिकारियों से सहायता मांगी जाए।
- > आवश्यक सहायता का आकलन सावधानीपूर्वक किया जाए और प्रधान कार्यालय इमरजेंसी कंट्रोल को आवश्यकता के बारे में सूचित किया जाए।
- > यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र फर्स्ट ऐंड व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में ड्रेसर और नर्स की आवश्यकता होगी।
- > आपदा की प्रकृति के अनुसार, बचाव कार्य करने के लिए यंत्रों और उपकरणों की मांग की जाए।
- > गैसकटर, कोल्डकटर, ऑक्सीजन, आपातकालीन दवाओं, स्ट्रेचर की आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था की जाए।
- > अलग से सूचना प्राप्ति केन्द्र की व्यवस्था की जाए जहां पर अधिकारियों और निरीक्षकों के विभिन्न ग्रुप उपस्थित हों और वे घायल व्यक्तियों के संबंधियों और दुर्घटनों के संबंध में जनता आदि की अपेक्षाओं का सामना कर सकें. प्रतिष्ठित व्यक्तियों और अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिलने के लिए एक अलग ग्रुप का गठन किया जाए।
- > निकटवर्ती मण्डलों / रेलों से बिना हिचक सहायता मांगी जाए।
- > दुर्घटना स्थल से सभी पीड़ित लोगों के हटाये जाने तक घायलों /मृत यात्रियों को ले जाने के लिए विशेष गाड़ी चलाये जाने को उच्च प्राथमिकता दी जाए।
- > प्राप्तकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को राहत सामन की प्राप्ति और सुपुर्दगी के बारे में सावधानीपूर्वक व्यवस्था की जाए और रेल टर्मिनलों की क्षमता के अनुसार योजना बनायी जाए।

15. आपदा प्रबन्धन : कार्य योजना

विभागवार

कार्य	कार्रवाई
परिचालन विभाग 1. दुर्घटना की रिपोर्ट करना : ए) (i) गार्ड : गाड़ी की दुर्घटना के तुरंत बाद. (ii) किसी गाड़ी की दुर्घटना के बाद इंजन चालक दल. बी) प्राभावित सेक्शन के दोनों छोर के स्टेशन प्रबंधक और नियंत्रक स्टेशन प्रबंधक सूचना मिलने के बाद तुरंत रिपोर्ट करें. सी) सेक्शन कंट्रोलर : सूचना मिलने पर. डी) मुख्य कंट्रोलर / उप कंट्रोलर : सेक्शन कंट्रोलर से सूचना मिलने पर. ई) मण्डल के संरक्षा अधिकारी : दुर्घटना की सूचना मिलने पर . एफ) कंट्रोल कार्यालय के प्राभारी अधिकारी. जी) प्राधान कार्यालय इमरजेंसी कंट्रोल.	दुर्घटना नियमावली के नियम 3.02 के अनुसार कार्यवाही दुर्घटना नियमावली के नियम 3.03 के अनुसार कार्यवाही दुर्घटना नियमावली के नियम 3.08 के अनुसार कार्यवाही दुर्घटना नियमावली के नियम 3.15 के अनुसार कार्यवाही दुर्घटना नियमावली के नियम 3.16 के अनुसार कार्यवाही दुर्घटना नियमावली के नियम 3.14 के अनुसार कार्यवाही दुर्घटना नियमावली के नियम 3.20 के अनुसार कार्यवाही दुर्घटना नियमावली के नियम 3.24 के अनुसार कार्यवाही
बिजली विभाग ए) ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर. बी) ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर . सी) मंडल बिजली अधिकारी.	दुर्घटना नियमावली के नियम 3.18 के अनुसार कार्यवाही दुर्घटना नियमावली के नियम 3.19 के अनुसार कार्यवाही दुर्घटना नियमावली के नियम 3.21 के अनुसार कार्यवाही

यांत्रिक विभाग ए) पावर कंट्रोल: दुर्घटना की सूचना मिलने पर. बी) मण्डल यांत्रिक अधिकारी : दुर्घटना की सूचना मिलने पर. (i) राहत गाड़ी बुलाना. (ii) आवश्यक सहायता. (iii) राहत गाड़ी (आर टी) और चिकित्सा यान (एम वी) का प्रेषण. <u>दुर्घटना प्रबंधक :</u> दुर्घटना स्थल पर मौजूद वरिष्ठतम रेल कर्मचारी दुर्घटना प्रबंधक के रूप में माना जाएगा.	दुर्घटना नियमावली के नियम 3.17, 5.10 एवं 5.18 के अनुसार कार्यवाही दुर्घटना नियमावली के नियम 5.08 के अनुसार कार्यवाही दुर्घटना नियमावली के नियम 5.09 के अनुसार कार्यवाही दुर्घटना नियमावली के नियम 5.10 के अनुसार कार्यवाही दुर्घटना नियमावली के नियम 3.06 एवं 3.07 के अनुसार कार्यवाही
ए) बचाव कार्य : यांत्रिक अधिकारी चिकित्सा अधिकारी	दुर्घटना नियमावली के नियम 3.22 (वी) के अनुसार कार्यवाही दुर्घटना नियमावली के नियम 3.10 के अनुसार कार्यवाही
बी) राहत कार्य : वाणिज्य विभाग : मण्डल वाणिज्य अधिकारी एवं अन्य चिकित्सा विभाग : मण्डल चिकित्सा अधिकारी. सुरक्षा विभाग: ए) सुरक्षा अधिकारी बी) भीड़ नियंत्रण : मण्डल संरक्षा अधिकारी सी) राज्य पुलिस क्लियरेंस और पुनर्बहाली : सुरक्षा विभाग	दुर्घटना नियमावली के नियम 3.11 के अनुसार कार्यवाही दुर्घटना नियमावली के नियम 3.10 के अनुसार कार्यवाही दुर्घटना नियमावली के नियम 3.09 के अनुसार कार्यवाही दुर्घटना नियमावली के नियम 3.09 के अनुसार कार्यवाही दुर्घटना नियमावली के नियम 3.09 एवं 5.23 के अनुसार कार्यवाही

दूर संचार विभाग : मण्डल सिगनल एवं दूर संचार अधिकारी	दुर्घटना नियमावली के नियम 3.13 के अनुसार कार्यवाही
कार्मिक विभाग : मण्डल कार्मिक अधिकारी.	दुर्घटना नियमावली के नियम 3.12 के अनुसार कार्यवाही
सी) पुनर्बहाली कार्य : रॉलिंग स्टॉक (यांत्रिक विभाग) ए) मण्डल यांत्रिक अधिकारी बी) फिक्स्ड स्ट्रक्चर (ओ एच ई) / बिजली विभाग : मण्डल बिजली अधिकारी	दुर्घटना नियमावली के नियम 3.22 के अनुसार कार्यवाही दुर्घटना नियमावली के नियम 3.21 के अनुसार कार्यवाही

सी) ट्रेक : (i) मण्डल इंजीनियरिंग अधिकारी डी) सिगनलिंग प्रणाली : (i) मण्डल सिगनल एवं दूर संचार अधिकारी	दुर्घटना नियमावली के नियम 3.23 के अनुसार कार्यवाही दुर्घटना नियमावली के नियम 3.13 के अनुसार कार्यवाही
रेल सह सड़क एवं सड़क चल इमरजेंसी वाहन सहित स्पोर्ट / ए आर टी / ए आर एम वी रॉलिंग स्टॉक / बी डी क्रेन का अनुरक्षण	दुर्घटना नियमावली के नियम 5.21 के अनुसार कार्यवाही
स्पोर्ट / ए आर टी / ए आर एम वी में उपस्कर अनुरक्षण : यांत्रिक, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, बिजली, और सिगनल एवं दूर संचार विभाग	दुर्घटना नियमावली के नियम 5.21 के अनुसार कार्यवाही
मौके पर मीडिया (प्रचार-माध्यम) प्रबंधन अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की जांच सूची	दुर्घटना प्रबंधक मौके पर मुख्य प्रवक्ता होंगे. ए) दुर्घटना स्थल पर पहुंचने वाला प्रथम अधिकारी :

	i) वह लाइन / लाइनों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. ii) घायलों का ध्यान रखना उच्च प्राथमिकता होगी. iii) घायलों को राहत देने के लिए गाड़ी और स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में फर्स्ट ऐंड बॉक्स. iv) वह सामान की सुरक्षा की व्यवस्था करेगा. v) वह दुर्घटना के कारण को इंगित करते हुए इसके चिह्नों को सुरक्षित रखने हेतु उपाय करेगा. बी) मौके पर वरिष्ठतम अधिकारियों की जांच सूची : दुर्घटना स्थल पर वरिष्ठतम अधिकारी मौके पर प्रबंधक के रूप में माना जाएगा और दुर्घटना नियमावली के पैरा 3.06 एवं 3.07 के अनुसार कार्यरत रहेगा. सी) (i) प्रधान कार्यालय नियंत्रित संगठन : प्रधान कार्यालय नियंत्रित संगठन दुर्घटना नियमावली के नियम 3.24 के अनुसार कार्य करेगा. (ii) मण्डल नियंत्रित संगठन : मण्डल नियंत्रित संगठन दुर्घटना नियमावली के नियम 3.20 के अनुसार कार्य करेगा. डी) स्टेशन प्रबंधक / स्टेशन मास्टर : ये दुर्घटना नियमावली के नियम 3.08 के अनुसार कार्य करेंगे.
--	--

16. रेलवे बोर्ड के अनुदेश :

ए) रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या-89/सेफ्टी-1/4/3 दिनांक 04.3.89

- i) दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में यात्रा कर रहे सभी रेल कर्मचारी तुरन्त गार्ड को रिपोर्ट करेंगे।
- ii) दुर्घटनास्थल पर सभी कर्मचारी आर्म बैण्ड धारण करेंगे. तदनुसार सभी यात्री गाड़ियों में गार्ड के पास दस आर्म बैण्ड उपलब्ध कराये जाने चाहिए।
- iii) दुर्घटना के दौरान गार्ड की ड्यूटी के संबंध में सभी एस एल आर में स्थायी जाँच सूची लगी रहनी चाहिए।
- iv) मण्डल द्वारा संबंधित कार्य क्षेत्र में प्रत्येक सेक्शन में नियंत्रक स्टेशन नामित किया जाना चाहिए। दुर्घटना की सूचना मिलने पर इन नियंत्रक स्टेशनों के स्टेशन मास्टर अपने कर्मचारियों के साथ दुर्घटना स्थल पर जायेंगे।
- v) प्रत्येक रेलवे द्वारा चिह्नित क्षेत्रों में, जहाँ अच्छी सड़क संरचना विकसित हो चुकी है, पूर्ण सुसज्जित, सड़क एम्बुलेंस यान रखेंगे।
- vi) कंट्रोल में एस टी डी सुविधा के साथ कम से कम दो टेलीफोन उपलब्ध कराये जायेंगे।
- vii) सभी ए आर एम ई, स्केल-I में कोल्ड कटिंग यंत्र उपलब्ध रहने चाहिये और उनकी आवधिक रूप से जाँच की जानी चाहिए तथा इन यंत्रों का उपयोग करने के लिये काफी संख्या में कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।
- viii) बचे हुए यात्रियों के लिए राहत गाड़ी उपलब्ध किये जाने को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

बी) सम्भावित तोड़ फोड़ के कारण रेल दुर्घटनाओं की स्थिति में राज्य पुलिस द्वारा क्लियरेंस (निदेशक, / अपराध रोक थाम / रेलवे बोर्ड का पत्र सं.-2002 /एस ई सी (सी.आर.)/45/47, दिनांक 27.03. 2003 : सभी महाप्रबंधको को सम्बोधित)

संदर्भ : सभी राज्यों के गृह सचिवों को सम्बोधित गृह मंत्रालय का पत्र सं.-VI/24022/11/2002-पी एम-1 दिनांक 24.12. 2002.

- ए) तोड़ फोड़ की आशंका वाली रेल दुर्घटनाओं के मामले में राज्य पुलिस द्वारा तेजी से क्लियरेंस किये जाने का मामला रेल मंत्रालय के ध्यान में काफी समय से रहा है। यह पाया गया है कि कभी-कभी राज्य पुलिस द्वारा

देर से या अनमने ढंग से क्लियरेंस देने के कारण बचाव कार्यों में बाधा आई है।

- बी) यह उल्लेखनीय है कि जन जीवन से जुड़ी रेल दुर्घटना के बाद युद्ध स्तर पर दो अलग-अलग ढंग के कार्य पूरे करने पड़ते हैं, अर्थात् (ए) तेजी से बचाव कार्य और (बी) रेल यातायात की पुनर्बहाली। यह स्पष्ट किया जाता है कि रेल दुर्घटना के मामलों में राज्य सरकार की अनुमति या पुलिस के क्लियरेंस की आवश्यकता, मानव जीवन बचाने वाले अभियान चालू करने के लिये आवश्यक नहीं है जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त रॉलिंग स्टॉक (इंजन, बैगन और कोच) का हटाना शामिल है ताकि फंसे हुए यात्रियों को निकाला जा सके लेकिन यदि तोड़ फोड़ की आशंका हो तो दुर्घटना स्थल पर कार्य पुनः बहाल करने के लिए पुलिस की क्लियरेंस आवश्यक है।
- सी) यथासंभव अधिक से अधिक जीवन बचाने और रेल यातायात के शीघ्र पुनः बहाल किए जाने के लिए बचाव कार्य आरंभ करने में विलम्ब को रोकने के लिए उपर्युक्त मुद्दों को गृह मंत्रालय के समक्ष रखा गया है। फलस्वरूप गृह मंत्रालय ने अपने आई बी आई डी के अन्तर्गत सभी राज्यों के गृह सचिवों को निदेश दिया है कि वे संबंधित प्राधिकारियों को हिदायत दें कि वे तत्पर कदम उठाएँ एवं संभावित तोड़फोड़ की घटना की स्थिति में रेल दुर्घटना होने पर क्लियरेंस प्रमाण-पत्र देने में तेजी लायें।
- डी) उक्त लेटर की विषय वस्तु रेल अधिकारियों और कर्मचारियों में व्यापक रूप से प्रचारित की जाए और सभी ए आर टी/ ए आर एम ई में प्रदर्शित की जाए जिससे बचाव कार्यों में लगे सभी लोगों में सामान्य जागरूकता पैदा की जा सके।
- ई) यह पत्र रेलवे बोर्ड के दिनांक 07.02.2003 के सम-संख्यक पत्र का अतिक्रमण करता है।
- सी) **गम्भीर दुर्घटना वाले स्थान पर पहुँचने के लिए हेलिकॉप्टर/हवाई जहाज प्राप्त करने के लिए मण्डल रेल प्रबंधकों को शक्ति प्रदान करना :**
- (संदर्भ:- बोर्ड का पत्र सं. 2002/सेफ्टी-1/6/6 दिनांक 13/15-6/04)
- क्षेत्रीय रेलों को शक्ति प्रदान की गई है कि वे रेलवे बोर्ड के संदर्भाधीन पत्र के अनुसार गंभीर दुर्घटनाओं की स्थिति में तेजी से कार्रवाई करने के लिए हेलीकॉप्टर / हवाई जहाज प्राप्त करें। बोर्ड में उक्त मामले की पुनः

समीक्षा की है और क्षेत्रीय रेलों को निम्नलिखित संशोधित शक्तियां प्रदान की गई है-

- i) मण्डल रेल प्रबंधकों को अधिकार प्रदान किया गया है कि वे तेजी से बचाव कार्य हेतु गंभीर दुर्घटना के स्थल पर पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर /हवाई जहाज प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त यह भी शक्ति प्रदान की गयी है कि दुर्घटना के स्थल पर बचाव टीम को भेजने के लिए हवाई जहाज से सहयोग प्राप्त किया जा सके।

उन स्थितियों का ठीक-ठीक निर्धारण करना कठिन है जिसके अन्तर्गत वे इन शक्तियों का उपयोग कर सकें यह निर्णय करना महाप्रबंधकों/मण्डल रेल प्रबंधकों के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया है फिर भी ज्यादातर निम्न प्रकार के मामलों में इसका उपयोग किया जा सकता है:

- ए) जहाँ हताहत संख्या (मृत सह गंभीर की स्थिति) 10 से अधिक होने की आशंका हो और ऐसे मौकों पर अधिकारियों के लिए तर्क संगत समय के भीतर पहुंचना कठिन पड़ता हो।
- बी) जहाँ संवेदनशील और तनावपूर्ण क्षेत्रों में रेलवे प्रतिष्ठानों को भारी क्षति पहुँचाई गई हो (उदाहरण के लिए बम बिस्फोट और तोड़ फोड़ आदि के अन्य साधनों द्वारा ट्रैक, पुलों आदि का उड़ा दिया जाना)।
- सी) जहाँ मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों के देर से पहुँचने के कारण जनता की प्रतिक्रिया के काफी खिलाफ जाने की संभावना हो।

सामान्यतः एक दुर्घटना के मामले में केवल एक हेलीकॉप्टर क्षेत्रीय रेल द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए, केवल ऐसी स्थितियों को छोड़कर जब कोई गंभीर यात्री गाड़ी दुर्घटना हुई हो, जिसके कारण काफी संख्या में लोग हताहत हुए हों, और जब पब्लिक और प्रेस का तुरंत मौके पर पहुंचकर संतुष्ट करने के लिए महाप्रबंधक और मण्डल रेल प्रबंधक दोनों के लिए अति आवश्यक हो जाए। लेकिन दुर्घटना स्थल पर बचाव टीम भेजने के लिए आवश्यकता पड़ने पर अलग हेलीकॉप्टर/ हवाई जहाज प्राप्त किए जा सकते हैं।

महाप्रबंधक/मण्डल रेल प्रबंधक व्यक्तिगत तौर पर उपर्युक्त शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं और इन शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकते।

- ii) क्षेत्रीय रेलों को और भी शक्ति प्रदान की जाती है कि वे गंभीर दुर्घटना की स्थिति में घायलों और मृतकों को हटाने के लिए हेलीकॉप्टर / हवाई जहाज प्राप्त करें। महाप्रबंधक व्यक्तिगत तौर पर इन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं और इनका आगे प्रत्यायोजन नहीं कर सकते।

17. आपदा की स्थिति में संबंधित शाखा अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

17.1 चिकित्सा

- (i) मौके पर पहुँचने के बाद डाक्टर चिकित्सा नियमावली के अनुसार घायल/मृत व्यक्तियों के बचाव और राहत के लिए तुरन्त कार्रवाई करेंगे. वे घायल/मृत व्यक्तियों का पूर्ण विवरण रखना भी सुनिश्चित करेंगे, जैसे समय, कोच और बर्थ नम्बर जहाँ से उन्हें लिया गया हो, अस्पताल के विवरण के साथ अस्पताल को भेजने का समय, चोट की प्रकृति आदि. घायल और मृत व्यक्तियों के चित्र भी लिये जाने चाहिए ।
- (ii) दुर्घटना स्थल पर मृत शरीरों को पूर्ण मर्यादा और सम्मान के साथ रखना चाहिए और उन शवों की अंतिम क्रिया के पहले सफेद कपड़े से मौके पर ढंक देना चाहिए. पहचान न किये गये मृत शरीरों के चित्र लिये जाने चाहिए. मृत शरीरों को मौके से हटाकर सिविल पुलिस प्राधिकारियों को मेमो के साथ यथासंभव तेजी से सुपुर्द किया जाना चाहिए. दुर्घटना स्थल से मृत शरीरों को शिफ्ट करने के लिए लगने वाले खर्च सहित पूरी सहायता पुलिस को उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।
- iii) दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी/गाड़ियों के चालक दल (इंजन चालक और गार्ड) के ड्यूटी में नशीले मद के बारे में जाँच की जानी चाहिए. और यह अनिवार्य होना चाहिए कि रक्त के नमूने एकत्र किये जाएं और अल्कोहल की उपस्थिति की जाँच के लिए फॉरेन्सिक प्रयोगशाला में भेजा जाए।
इसका कार्यान्वयन कम से कम समय में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
मौके पर सेण्ट जॉन्स एम्बुलेंस और रॉवर्स सहित सिविल और डिफेन्स टीम को भी मौके पर ले जाया जाना चाहिए।

17.2 यांत्रिक

बचाव और राहत कार्य करने हेतु कोल्ड/गैस कटिंग, जैक सहित कोच लिफ्टिंग/क्रेन और अन्य आवश्यक सहायता सहित चिकित्सा दल को तुरंत सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए. अपेक्षित संख्या में टेन्ट सहित मूल आवश्यकता से निपटने के लिए बचाव और राहत कार्य करने के लिए ए आर टी पूर्ण रूप से सुसज्जित होनी चाहिए।

17.3 वाणिज्य :

सभी वाणिज्य कर्मचारी निम्नलिखित दो अति महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केन्द्रित करेंगे:

- (i) घायल व्यक्तियों की देख भाल करने के लिए सहायक चिकित्सकों और सहयोगी चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा घायल लोगों की देख भाल करना।
- (ii) घायल होने से बचे हुए यात्रियों की देख भाल करते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है :
 - > यात्रियों के संबंधियों को सूचना देने हेतु यात्रियों की सहायता करना।
 - > पोर्टरों और मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारियों के माध्यम से कोचों से सामान निकलवाना और उन्हें रिलीफ पैसेन्जर स्पेशल में शिफ्ट करना।
 - > उन्हें जल, चाय/कॉफी और स्नैक्स आदि उपलब्ध कराना।
 - > इंजीनियरिंग विभाग द्वारा यात्रियों के लिए पर्याप्त कुर्सियों आदि सहित टेण्ट लगवाना।
 - > यात्रियों के फोटो लेना और पी सी के माध्यम से मंडल और प्रधान कार्यालय कण्ट्रोल को भेजना।

उपर्युक्त ड्यूटी कराने के लिए, महिला यात्रियों के मामले में यथावश्यक रूप से टी सी / बी सी आदि से महिला कर्मचारियों को लगाया जाना चाहिए।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक उपर्युक्त मद (i) एवं (ii) के लिए अलग से कर्मचारी नामित करेंगे।

- (ए) मंडल कण्ट्रोल द्वारा विभागीय तौर पर / बाहरी खान-पान सेवाओं के माध्यम से पीने का पानी, चाय/कॉफी, स्नैक्स और भोजन आदि की व्यवस्था करेगा। यह कार्य मण्डल कण्ट्रोल द्वारा ए आर एम ई के आने के पहले भी किया जाना चाहिए।
- (बी) मंडल कण्ट्रोल द्वारा सबसे पहले उपलब्ध पैसेन्जर रेक और पैसेन्जर रिलीफ स्पेशल मौके पर भेजना चाहिए। यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और उनसे समन्वयन हेतु प्रत्येक स्पेशल ट्रेन में एक अधिकारी या निरीक्षक काम में लगाये जाने चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में वाणिज्य और इंजीनियरिंग कर्मचारी, रिलीफ स्पेशल के साथ मौके पर यात्रियों और उनके सामान को शिफ्ट करने के लिए पहुँचने चाहिए।

- (सी) पैसेन्जर रिलीफ स्पेशल पर जल, चाय और खाने आदि की चीजें उपलब्ध कराने के लिए मध्यवर्ती स्टेशनों पर व्यवस्था की जानी चाहिए ।
- (डी) मंडल कण्ट्रोल द्वारा प्राथमिकता के आधार पर बर्फ, कफन की व्यवस्था मृत शरीरों के लिए की जानी चाहिए . कफन की व्यवस्था मंडल वाणिज्य प्रबन्धक/वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबन्धक/मंडल परिचालन प्रबन्धक के लिखित मेमो पर इंजीनियरिंग शाखा के माध्यम से मंडल कण्ट्रोल द्वारा की जानी चाहिए ।
- (ई) मंडल कण्ट्रोल, निकटवर्ती पब्लिक बूथ को, यदि वे बन्द हो गए हों , खोलने की व्यवस्था करेगा ।
- (एफ) समय पर अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाए ।

17.4 बिजली

- (i) रात होने की स्थिति में ए आर एम ई के आने पर पूरे क्षेत्र को तुरन्त प्रकाशित (रोशनीयुक्त) किया जाए ।
- (ii) वरिष्ठ मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर द्वारा मौके पर पी सी और फैक्स मशीन लगाने के लिए वरिष्ठ मण्डल बिजली इंजीनियर/ सामान्य द्वारा बिजली प्लग उपलब्ध कराया जाएगा ।

17.5 सुरक्षा

- (i) मण्डल सुरक्षा आयुक्त द्वारा तुरन्त मौके की घेराबंदी करा ली जायेगी और यात्रियों के सामान और व्यक्तिगत चीजों की सुरक्षा की जाएगी ।
- (ii) दर्शक भीड़ को कार्य स्थल से दूर रखा जाए ताकि बचाव और राहत कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए. इसके लिए बड़े पैमाने पर लाल और सफेद टेप का उपयोग किया जाएगा ।
- (iii) नियंत्रण हेतु रेल सुरक्षा बल जवानों द्वारा मेगा माइक का भी उपयोग किया जाएगा ।
- (iv) रेल सुरक्षा बल द्वारा लावारिस सामान अपनी अभिरक्षा में लिया जाएगा और उसे समुचित रिकॉर्ड के साथ सिविल प्राधिकारियों के पास जमा किया जाएगा ।
- (v) महिला यात्रियों और उनकी महिला संबंधियों से निपटने में मौके पर महिला रेल सुरक्षा बल कांस्टेबुल लगाये जाने चाहिए ।

17.6 सिगनल एवं दूर संचार

- (i) बचाव और राहत कार्य के लिए मेगा माइक, वाकी-टॉकी और वी एच एफ सेट पर्याप्त संख्या में तुरन्त उपलब्ध कराये जाने चाहिए।
- (ii) लीवर/पैनल स्थिति सहित दुर्घटना के सभी चिह्न सुरक्षित और रिकॉर्ड किये जाने चाहिए।
- (iii) बी एस एन एल प्राधिकारियों के साथ तालमेल बनाते हुए मौके पर और निकटवर्ती स्टेशनों पर यथासंभव अधिक से अधिक संख्या में रेलवे और बी एस एन एल (एस टी डी सहित) फोन उपलब्ध कराये जाने चाहिए. इस काम के लिए ए आर एम ई और ए आर टी के साथ पर्याप्त संख्या में केबल लाये जाने चाहिए. कम से कम समय में साइट एस टी डी बूथ (मौके पर एस टी डी बूथ) की स्थापना की जानी चाहिए. मण्डल रेल प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि मौके पर स्थापित सूचना केन्द्र पर सहायक अधिकारी और टी सी आई नियमित रूप से उपस्थित रहे।
- (iv) निकटवर्ती मण्डलों से भी अधिक से अधिक संख्या में सैटेलाइट और सेल्यूलर फोन की व्यवस्था की जाए।
- (v) वांछित स्थलों पर स्पीकरों के साथ यथासंभव जल्द से जल्द केन्द्रीयकृत माइक पद्धति स्थापित की जानी चाहिए (इंजीनियरिंग के मद सं.3 में दी गयी योजना के अनुसार)।
- (vi) जहाँ तक संभव हो शीघ्रातिशीघ्र फैक्स और पी सी लगाये जाने चाहिए. जनता को सूचना देने के लिए रेलवे की वेबसाइट पर सुरक्षित, घायल और मृत व्यक्तियों के नाम दिखाये जाने की व्यवस्था की जाएगी।
- (vii) यात्रियों के लिए एस टी डी से सुसज्जित टेलीफोन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे अपने संबंधियों को सूचित कर सकें (रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 93/सेफ्टी -1/6/1 दिनांक 02.11.93)
- (viii) जब सेल्यूलर फोन सम्पर्क (कनेक्टिविटी) उपलब्ध हो, तो रुके पड़े यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसेन्जर ट्रेन दुर्घटना के मामले में कुछ सेल्यूलर फोन स्टेशन मास्टर भाड़े पर ले सकते हैं. रुके पड़े यात्रियों को इन फोनों का निःशुल्क उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए (रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2002/टेली/टी एन/1, दिनांक 12.05.03)।
- (ix) वरिष्ठ मंडल सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर मंडल का एक नक्शा तैयार करेंगे, जिसमें उन क्षेत्रों को दिखाया गया रहेगा, जहाँ सेल फोन कार्यरत हों / उपलब्ध हों।

- (x) वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूर संचार इंजीनियर आपात् स्थिति में पर्याप्त संख्या में सेल फोन मँगाने के लिए मशीनरी स्थापित करेंगे ।
- (xi) इन सेल फोनों का उपयोग यात्रियों की संरक्षा की सूचना उनके मित्रों और संबंधियों को देने के लिए किया जाएगा ।

17.7 इंजीनियरी:

- (i) चिकित्सा और वाणिज्य विभाग की टीमों को बचाव और राहत कार्य में मदद की जाएगी और यात्रियों और उनके सामान को पैसेन्जर रिलीफ स्पेशल में चढ़वाने में मदद किया जाएगा.
- (ii) इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित ट्रैक, पुल या ऐसे अन्य पक्षों से संबंधित चिह्नों को सुरक्षित रखना सुनिश्चित किया जाएगा ।
- (iii) ए आर एम ई / ए आर टी के आने पर उनमें उपलब्ध टेण्टों और अन्य टेण्टों की व्यवस्था निम्न प्रकार से की जाएगी :
 - ए) यात्रियों के लिए
 - बी) कमाण्ड सेण्ट्रल के लिए
 - सी) संबंधियों के लिए
 - डी) खानपान कर्मचारियों के लिए
 - ई) एस टी डी बूथ के लिए
 - एफ) मेडिकल फर्स्ट ऐड के लिए
 - जी) संचार केन्द्र के लिए
 - एच) मीडिया सेण्टर के लिए

बाद में बाहरी स्रोतों से बड़े टेण्ट की व्यवस्था कर्मचारियों आदि के लिए की जानी चाहिए, यदि मौके पर कार्य 24 घंटे या इससे अधिक समय तक चलने की संभावना हो ।
- (iv) पुनर्बहाली के लिए आवश्यक इंजीनियरिंग सामान का आकलन करने के लिए कण्ट्रोल को यह कार्य करने के लिए कहा जाए ।

17.8 सामान्य

- (i) यह महत्वपूर्ण है कि सभी ए आर टी, ए आर एम ई, इंजीनियरिंग ग्रुप डी कर्मचारी, वाणिज्य कर्मचारी मौके पर वर्दी में रहें । सभी डॉक्टर भी निर्धारित अनुदेशों के अनुसार वर्दी धारण करें ।
- (ii) ए आर टी में पर्याप्त मात्रा में नारंगी रंग के रेलवे और मंडल अंकित जैकेट और हैट स्टॉक में रहने चाहिए जो मौके पर कार्यरत कर्मचारियों को दिए जाने चाहिए ताकि पूरे क्षेत्र में कार्यरत रेल कर्मचारी देखे और चिह्नित किए जा सकें ।

- (iii) किसी भी मंडल से स्टॉर्ट होने वाली सभी संबंधी स्पेशल ट्रेनें अपरिहार्य रूप से पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों / पर्यवेक्षकों सहित संबंधित मंडल के एक अधिकारी के प्रभार में रहनी चाहिए . वह अधिकारी संबंधियों से सम्पर्क करेगा और मौके पर तथा अस्पताल कर्मचारियों के साथ उनकी ओर से समन्वय का कार्य करेगा। वह गाड़ी के चलने के समय और मौके पर खाना आदि की व्यवस्था भी करेगा . इसके लिए वह मौके पर कार्यरत कर्मचारियों और अन्य स्रोतों की सहायता लेगा ।
- (iv) घायल यात्रियों को ले जाने वाली किसी भी स्पेशल गाड़ी को कहीं भी रोक नहीं जाएगा और अन्य गाड़ियों पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
- (v) मुख्य जन संपर्क अधिकारी प्रत्येक 4 से 6 घंटे पर या आवश्यकतानुसार इससे भी ज्यादा बार प्रेस और टी वी चैनलों पर नवीनतम बुलेटिन जारी करने की व्यवस्था करेंगे ।
- (vi) प्रचार माध्यमों द्वारा किसी विपरीत प्रचारित की जा रही सूचना, मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी द्वारा मौके पर कार्यरत प्रभारी के ध्यान में तुरन्त लायी जायेगी जिससे कि उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
- (vii) प्रभावित व्यक्तियों के संबंधियों को सूचित करने के लिए प्रधान कार्यालय इमरजेन्सी कण्ट्रोल (सी सी एम) द्वारा आरक्षित कोचों के यात्रियों के विवरण विभिन्न आरक्षण कार्यालयों के सहयोग से आरक्षण चार्ट / आरक्षण स्लिप से दुर्घटना के तुरन्त बाद ली जानी चाहिए ।
- (i) प्रधान कार्यालय के कार्मिक शाखा के अधिकारियों और निरीक्षकों द्वारा वाणिज्य शाखा की मदद अनुग्रह राशि के भुगतान, यात्रियों के संबंधियों को सूचित करने जैसे कार्यों और वाणिज्य शाखा (सी सी एम) द्वारा यथावांछित अन्य कार्यों में की जानी चाहिए।

ए आर एम ई / ए आर टी की क्षमता बढ़ाने के लिए उठाये जाने वाले तात्कालिक कदम

- (i) प्रत्येक ए आर टी में कोल्ड कटिंग उपस्कर होने चाहिए क्योंकि ये उपस्कर ए आर एम ई में पहले से ही उपलब्ध हैं।
- (ii) प्रत्येक ए आर एम ई में लैप टॉप होगा जो मण्डल रेल प्रबंधक के पास रहेगा।
- (iii) ए आर टी में एक बेहतर प्राभावी स्थल प्रकाशन पद्धति रहेगी जो बिजली शाखा द्वारा तात्कालिक आधार पर प्राप्त की जाएगी।

- (iv) वरिष्ठ मण्डल सिगनल और दूर संचार इंजीनियर यह सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम एक किलो मीटर लम्बा टेलीकॉम केबल हमेशा ए आर टी में उपलब्ध रहे।

18. आपदा प्रबन्धन में यथोल्लिखित दुर्घटना मैनुअल के नियमों के सार संक्षेप:

18.1 गार्ड के कर्तव्य (दुर्घटना नियमावली 3.02) :

किसी गाड़ी के दुर्घटना होने पर, गाड़ी का गार्ड तत्काल निम्नलिखित कार्य करेगा-

- (i) दुर्घटना के समय को नोट करेगा।
- (ii) आवश्यकतानुसार निकटवर्ती लाइन/लाइनों की सुरक्षा की व्यवस्था करेगा और उसके बाद उस लाइन की सुरक्षा करेगा जिस पर दुर्घटना हुई है।
- (iii) दोनों तरफ के कंट्रोल/ए एम को तीव्रतम माध्यम से सूचना भेजेगा।
- (iv) जीवन रक्षा और प्रथमोपचार (फर्स्ट ऐड) के लिए कार्रवाई करेगा
- (v) गाड़ी पर डॉक्टरों को बुलायेगा और उनकी मदद लेगा।
- (vi) घायलों की मदद करने और अन्य राहत कार्य हेतु गाड़ी पर कार्यरत रेल कर्मचारियों की सहायता लेगा।
- (vii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंट्रोल को नियमित सूचना भेजी जाती रहे, एक रेल कर्मचारी को फील्ड टेलीफोन पर तैनात करेगा।
- (viii) वांछित सहायता का तेजी से आकलन करेगा और इसकी सूचना कंट्रोल या निकटतम स्टेशन मास्टर को तत्काल देगा।
- (ix) दुर्घटना के कारण का संकेत देने वाले सभी चिन्हों को सुरक्षित और उनकी देख भाल करेगा।
- (x) आर पी एफ, जी आर पी और अन्य रेल कर्मचारियों की मदद से यात्रियों और रेल की सम्पत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था करेगा।
- (xi) तोड़ फोड़ की आशंका के मामले में अध्याय IV के पैरा 4.04 में यथावर्णित रूप से कार्रवाई करेगा।
- (xii) हर संभव तरीके से दुर्घटना प्रबंधक की सहायता करेगा. वह दुर्घटना प्रबंधक की अनुमति के बिना दुर्घटना स्थल से नहीं हटेगा।

18.2 इंजन चालकों के कर्तव्य (दुर्घटना नियमावली 3.03) :

किसी गाड़ी के दुर्घटना होने पर, गाड़ी चालक दल तत्काल निम्नलिखित कार्य करेगा-

- (i) मौके पर उपलब्ध अर्हक (कुशल या योग्य) कर्मचारियों, यदि उपलब्ध हों, की सहायता से सामान्य और सहायक नियमावली के पैरा 6.03 के अनुसार गाड़ी के सामने के भाग और निकटवर्ती लाइन/लाइनों की सुरक्षा करेगा।
- (ii) यथावश्यक रूप से अथवा विशेष अनुदेशों द्वारा यथा निर्धारित रूप से तकनीकी सतर्कता बरतेगा और अपने इंजन को सुरक्षा प्रदान करेगा
- (iii) घायलों को राहत प्रदान करने के कार्य में दुर्घटना प्रबंधक की सभी संभव मदद करेगा और रॉलिंग स्टॉक या इंजन की क्षति के आकलन और वांछित सहायता की प्रकृति के बारे में विशेष रूप से दुर्घटना प्रबंधक की सहायता करेगा।
- (iv) तोड़ फोड़ की आशंका के मामले में अध्याय IV के पैरा 4.04 में यथावर्णित रूप से कार्रवाई करेगा।
- (v) दोहरी लाइन, तेहरी लाइन (ट्रिपल लाइन), चौहरी लाइन (क्वैड्रपल) सेक्शन में लाल हैण्ड सिग्नल, फ्लैशर लाइट, फ्यूजी आदि की सहायता से अन्य लाइन से पास करने वाली गाड़ी को रोकने की कार्रवाई करेगा।

18.3 ट्रेन से यात्रारत रेल कर्मचारियों के कर्तव्य (दुर्घटना नियमावली 3.05) :

यात्री वाहक गाड़ी की दुर्घटना के मामले में उस गाड़ी में यात्रा कर रहे सभी अन्य रेल कर्मचारी, चाहे वे ड्यूटी पर हों या न हों, अपने को मौके पर उपलब्ध वरिष्ठतम रेल कर्मचारी के समक्ष उपस्थित करेंगे और किसी ऐसे कर्मचारी के न रहने पर वे गाड़ी के गार्ड से मिलेंगे और उसके द्वारा बताये गये कार्यों को करेंगे.

18.4 दुर्घटना प्रबन्धक के कर्तव्य (दुर्घटना नियमावली 3.06)

राहत कार्य की व्यवस्था तुरन्त की जाएगी जिसके लिए दुर्घटना प्रबंधक निम्नलिखित कार्य करेगा:-

- (i) रेल कर्मचारियों, स्वयं सेवकों, चिकित्सकों और प्रथमोपचार (फर्स्ट ऐड) प्रदान करने वालों को इकट्ठा करेगा।
- (ii) मौके पर उपलब्ध रेल कर्मचारियों, पुलिस, सेना और सुरक्षा कर्मचारियों के लिए ड्यूटी निर्धारित करेगा और कार्य की वरीयता तय करेगा।
- (iii) प्रभावित डिब्बों से यात्रियों को बचाने की व्यवस्था करेगा और प्रथमोपचार और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करेगा।

- (iv) घायल लोगों को निकटतम चिकित्सा केन्द्र पर तीव्रतम उपलब्ध साधन से भिजवाने के लिए आवश्यकतानुसार भुगतान के आधार पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट प्राप्त करेगा जिसका भुगतान स्टेशन में प्राप्त आमदनी से किया जाएगा।
- (v) उपलब्ध कर्मचारियों और स्वयं सेवकों की सहायता से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रभावित यात्रियों के सामान बाद के निपटारे हेतु सुरक्षित रखें जाएं।
- (vi) यह सुनिश्चित किया जाए कि कंट्रोल को सही और सटीक सूचना दी जाए जिससे किसी विवाद की संभावना न रहे।
- (vii) यह ध्यान रखा जाए कि प्रभावित यात्रियों /बचे पड़े यात्रियों की आवश्यकतानुसार पीने का पानी, चाय, स्नैक्स, भोजन, भोजन के पैकेट आदि रेलवे के खर्च पर प्रदान किया जाए जिसका भुगतान स्टेशन की आमदनी से किया जाएगा।
- (viii) मण्डल मुख्यालय के साथ टेलीफोन सम्पर्क बनाए रखा जाए और इसके लिए आवश्यक अधिकारियों/कर्मचारियों को तैनात किया जाए।

18.5 मंडल के वरिष्ठतम अधिकारी के कर्तव्य (दुर्घटना नियमावली 3.07) :

मंडल अधिकारियों के आने पर, वरिष्ठतम अधिकारी दुर्घटना प्रबंधक का उत्तदायित्व संभालेगा और पैरा 18.4 (दुर्घटना नियमावली 3.06) में यथा वर्णित कार्यों को जारी रखने के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य करेगा।

- (i) राहत और पुनर्बहाली के कार्य में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के कार्य का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा। इसके लिए दुर्घटना स्थल के नजदीक एक राहत केन्द्र स्थापित किया जाए, जहां पर वॉकी-टॉकी की सुविधा सहित विभिन्न कार्यों के प्रभारी अधिकारी जैसे चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, यांत्रिक इंजीनियरिंग आदि के प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहें।
- (ii) यह सुनिश्चित किया जाए कि कंट्रोल के साथ सिगनल और दूर संचार विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा समुचित संचार सुविधा स्थापित (प्रदान) की जाए और समय-समय पर सभी संबंधित सूचना का आदान-प्रदान किया जाए।
- (iii) सिगनल और दूर संचार विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा, यदि संभव हो, तो एस टी डी की सुविधा के साथ बी एस एन एल टेलीफोन की सुविधा की व्यवस्था की जाए, जहां से सभी यात्री अपने मित्रों और संबंधियों से निःशुल्क बात कर सकें। यदि यह संभव न हो तो कंट्रोल

कार्यालय के माध्यम से उनके मित्रों और संबंधियों को सूचना भेजने की व्यवस्था की जाए।

- (iv) यह सुनिश्चित किया जाए कि रेलवे के डॉक्टर घायलों के उपचार का पूरा प्रभार ग्रहण करें और हताहतों की एक सूची तैयार करें जिसमें उनके नाम, पता और चोट की प्रकृति का उल्लेख हो और यह कंट्रोल को सूचित कर दिया जाए. यदि किसी के मृत्यु के मामले में पहचान निर्धारित करना आवश्यक है और उनके संबंधियों को सूचित किया जाना भी आवश्यक है. यदि समय पर समस्त फोटो उपलब्ध न हों तो ऐसी सूचना अलग-अलग किस्तों में दी जाए।
- (v) घायलों को तेजी से निकटतम अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रों आदि पर स्थानान्तरित करने की व्यवस्था की जाए. ट्रान्सपोर्ट और उपचार का पूरा व्यय रेल द्वारा वहन किया जाएगा।
- (vi) क्षति की मात्रा, ट्रॉफिक के रुके रहने की संभावना, आवश्यक सहायता और दुर्घटना के प्रथम दृष्टया कारण का आकलन किया जाए और निर्धारित कार्यों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाया जाए।
- (vii) यह सुनिश्चित किया जाए कि आवश्यकतानुसार यात्रियों और उनके सामान को भिजवाने के लिए वाणिज्य विभाग के अधिकारी/पर्यवेक्षक पूरी व्यवस्था करें और आवश्यकतानुसार स्टेशन की आय से भुगतान किया जाए. यदि यात्रियों को भिजवाने के लिए सड़क ट्रान्सपोर्ट का उपयोग किया जाना हो तो भुगतान स्टेशन की आमदनी से किया जाए।

18.6 प्रभावित सेक्शन के दोनों तरफ के स्टेशन मास्टरों / नियंत्रक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य

(दुर्घटना नियमावली 3.07) :

प्रभावित सेक्शन के दोनों तरफ के स्टेशन मास्टर/नियंत्रक स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्य करेंगे :

- (i) यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रभावित सेक्शन में कोई अन्य गाड़ी प्रवेश न करे. दोहरी लाइन पर, जहां संभव हो, प्रभावित सेक्शन का नियंत्रण करने वाले ब्लॉक यंत्रों के कम्प्यूटर्स को ट्रेन ऑन लाइन स्थिति में लॉकड किया जाए
- (ii) दुर्घटना के बारे में कंट्रोल को तत्काल सूचना दी जाए जिसमें चिकित्सा की आवश्यकता की प्रकृति और अन्य आवश्यक सहायता का उल्लेख किया जाए तथा प्रथम सूचना के प्राप्त होने का समय स्टेशन डायरी में दर्ज किया जाए. यदि स्टेशन कंट्रोल सेक्शन पर नहीं है या कंट्रोल टेलीफोन निष्क्रिय है तो वे किसी अन्य माध्यम से यह सूचना देंगे, जैसे

टेलीग्राफ, यदि स्टेशन पर उपलब्ध हो, स्टेशन के किसी भी तरफ उपलब्ध या निकटवर्ती बी एस एन एल टेलीफोन, बाहर जाने वाली किसी गाड़ी के कर्मचारी के माध्यम से या उपलब्ध अकेले इंजन के माध्यम से या अन्य माध्यम से भी यह सूचना दी जाएगी।

- (iii) (अत्यवश्यक ट्रेन पास करने वाले कर्मचारियों को छोड़कर) यथासंभव अधिक से अधिक कर्मचारी, चाहे वे ड्यूटी पर हों या ड्यूटी पर न हों, जैसे प्राइवेट प्रैक्टिस करने वालों सहित स्थानीय डॉक्टर भुगतान के आधार पर, गैर रेलवे पोर्टर, यदि स्टेशन पर उपलब्ध हों, इकट्ठे किए जाएं और उन्हें बचाव कार्य में सहायता करने के लिए दुर्घटना स्थल पर भेजा जाए. इस कार्य में उपलब्ध किसी भी ट्रान्सपोर्ट सुविधा का उपयोग किया जाएगा, जिसमें पुश ट्रॉली या भाड़े पर प्राइवेट रोड ट्रान्सपोर्ट, खाली इंजन, यदि उपलब्ध हो या किसी गाड़ी से अलग करके इंजन आदि का उपयोग किया जा सकता है. पोर्टरों, प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस करने वालों और ऊपर यथोल्लिखित रूप से भाड़े पर लिये गए वाहन को भुगतान करने के लिए स्टेशन की आमदनी से धन निकाला जाएगा. वह अपने साथ अधिक से अधिक पीने का पानी लेकर जाएगा. वह मौके पर साथ देने वाले सभी रेल कर्मचारियों को पहचान के लिए ऑर्म बैण्ड वितरित करेगा।
- (iv) वह कंट्रोल से और दुर्घटना प्रबंधक से आदेश लेने के लिए मौके पर तब तक उपस्थित रहेगा, जब तक कि बचाव और पुनर्बहाली का कार्य पूरा न हो जाए और जब तक उसे अपने स्टेशन पर लौटने के लिए दुर्घटना प्रबंधक द्वारा अनुमति न दे दी जाए।

18.7 सुरक्षा अधिकारियों के कर्तव्य (दुर्घटना नियमावली 3.09)

- (ए) मण्डल सुरक्षा आयुक्त, सहायक सुरक्षा आयुक्त और आर पी एफ जवानों के साथ दुर्घटना स्थल पर जाएंगे. इस संबंध में मण्डल रेल प्रबंधक द्वारा पदनाम के साथ, किसी अधिकारी की अनुपस्थिति में विकल्प देते हुए, अनुदेश जारी किए जाएंगे. मौके पर सुरक्षा अधिकारी दुर्घटना प्रबंधक को रिपोर्ट करेंगे और निम्नलिखित कार्य करेंगे :-
 - (i) राहत और बचाव कार्य में मदद करेंगे।
 - (ii) यह सुनिश्चित करेंगे कि टूटे-फूटे और मलबे जैसे सामान को छुआ न जाए, जब तक कि पूछताछ/जाँच कार्य पूरा न कर लिया जाए. विस्फोट के कारण दुर्घटना के मामले में संबंधित सामान को उसी रूप में सम्भाल कर रहने दिया जाए, जब तक कि विस्फोट के मुख्य निरीक्षक या उनके प्रतिनिधियों द्वारा जाँच पूरी न कर ली गयी हो, सिवाय उस स्थिति को

छोड़कर, जब उनका हटाया जाना घायल लोगों के बचाव और मृतकों के शरीर को उठाने के लिए आवश्यक न हो जाये।

- (iii) स्थानीय जी आर पी या सिविल पुलिस से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित किया जाए कि उनको दुर्घटना के बारे में सूचना दे दी गयी है।
- (iv) जनता से उक्त क्षेत्र की घेराबन्दी कर लें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भीड़ के कारण राहत कार्य बाधित न हो।
- (v) दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के यात्रियों के सामान आदि की देखभाल कराएँ . वे मौके पर लावारिस सम्पत्ति और रेल सम्पत्ति की रक्षा के लिए मौके पर नियंत्रण करें।
- (vi) दुर्घटना के सभी चिन्हों को सुरक्षित रखें और पुनर्बहाली कार्य आरम्भ करने के पहले सिविल पुलिस से क्लियरेंस प्राप्त करें।
- (vii) जी आर पी, सिविल पुलिस और चिकित्सा अधिकारियों के साथ सम्पर्क करें ताकि मृतकों के शरीर का निपटारा किया जा सके, यदि कोई हों।

18.8 चिकित्सा अधिकारियों के कर्तव्य (दुर्घटना नियमावली 3.10)

मंडल रेल प्रबन्धक दुर्घटना स्थल पर जाने वाले और मंडल अस्पताल में रहने वाले चिकित्सा अधिकारियों को, प्राथमिकता सूची के अनुसार नामित करते हुए अलग से अनुदेश जारी करेंगे:

मौके पर रहने के लिए नामित चिकित्सा अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेंगे :

- (i) तीव्रतम साधन से दुर्घटना-स्थल पर पहुँचा जाए. निर्धारित मापदंडों के अनुसार दुर्घटना राहत चिकित्सा यान/सड़क चिकित्सा यान तुरन्त भेजे जाएँ।
- (ii) घायल यात्रियों के उपचार का पूरा प्रभार ग्रहण किया जाए. यदि मौके पर घायलों की सेवा में गैर-रेलवे डॉक्टर पहले से ही कार्यरत हों, तो उनके कार्य में सहयोग किया जाए ताकि सर्वोत्तम उपलब्ध चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जा सके. मौके पर उपलब्ध प्रथमोपचार (फर्स्ट ऐड) देने में प्रशिक्षित व्यक्तियों की मदद से मौके पर तुरन्त यथासंभव अधिक से अधिक घायल यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध करायी जाए।
- (iii) रेलवे के जलपान गृह अथवा प्रतीक्षालय अथवा विश्रामालय आदि जैसे रेल आवास का उपयोग करते हुए आवश्यकतानुसार अस्थायी फील्ड ट्रेसिंग रूम स्थापित कर लिया जाए।
- (iv) तेजी से चिकित्सा केन्द्रों का निर्णय किया जाए, जहाँ पर घायल लोगों को ले जाया जाना हो और उनके ले जाने की व्यवस्था दुर्घटना प्रबन्धक के साथ मिलकर की जाए।

- (v) मंडल मुख्यालय, निकटवर्ती मंडलों या रेलों / गैर रेलवे अस्पतालों से आवश्यक सहायता या सहयोग का आकलन किया जाए और आवश्यक सहायता के बारे में उन्हें तेजी से सूचित किया जाए ।
- (vi) उन अस्पतालों और अन्य चिकित्सा केन्द्रों का दौरा करें, जहाँ पर घायल यात्री भर्ती हों, और उनकी स्थिति में सुधार की जानकारी लेकर तत्संबंधी सूचना मंडल कण्ट्रोल और प्रधान कार्यालय इमरजेन्सी कण्ट्रोल को दें . अस्पतालों (रेलवे या गैर रेलवे), चिकित्सा केन्द्रों में ले जाये गए घायलों के लिए चिकित्सा का व्यय रेलवे द्वारा वहन किया जाएगा ।
- (vii) हताहतों की एक सूची तैयार करें, जिसमें पीड़ितों के नाम, उम्र, लिंग, चोट की प्रकृति, चोट का वर्गीकरण अर्थात् गंभीर या मामूली आदि, पता, टेलीफोन नम्बर, यदि हो, का उल्लेख हो. मृत्यु के मामले में, ऐसे विवरण जैसे नाम और पता का निर्धारण मौके पर उपलब्ध वाणिज्य अधिकारी के साथ समन्वय करके किया जाना चाहिए ।
- (viii) समय-समय पर मंडल कण्ट्रोल और प्रधान कार्यालय को राहत कार्य की प्रगति के विवरण भेजे जायें ।
- (ix) दुर्घटना स्थल पर मृतकों के शव को पूर्ण मर्यादा और सम्मान के साथ सँभाला जाए और ऐसे शवों को उनके अंतिम निपटाने के पहले सफेद कपड़े (शीट) से ढँककर रखा जाए. जिन शवों का पहचान न किया जा सके, उनके फोटो अवश्य ले लिए जाएँ . शवों को यथाशीघ्र मौके से हटा दिया जाए और उन्हें सिविल पुलिस प्राधिकारियों को मेमो के साथ सुपुर्द कर दिया जाए. दुर्घटनास्थल से शवों को हटाने के खर्च सहित सभी आवश्यक सहायता पुलिस को उपलब्ध कराई जाए ।
- (x) दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के चालक दल (इंजन ड्राइवर और गार्ड) के ड्यूटी में मादक द्रव्यों के उपयोग किये गये रहने की जाँच की जानी चाहिए और यह अनिवार्य होगा कि उनके रक्त के नमूने लिए जाएँ और उनमें अल्कोहल की उपस्थिति की जाँच के लिए उन्हें फॉरेन्सिक प्रयोगशाला में भेजा जाए ।

इसका कार्यान्वयन कम से कम समय में सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
(रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 99/एच/7/1/मध्य रेलवे, दिनांक 12.06.2003 : परिशिष्ट-एच-4 का अवलोकन किया जाए) ।

18.9 वाणिज्य अधिकारियों के कर्तव्य (दुर्घटना नियमावली 3.11) :

- (ए) गंभीर दुर्घटना की सूचना मिलने पर वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, नामित वाणिज्य अधिकारियों और वाणिज्य निरीक्षकों के साथ मौके पर

जाएंगे और मण्डल वाणिज्य प्रबंधक/सहायक वाणिज्य प्रबंधक, कंट्रोल कार्यालय में उपस्थित रहेंगे. मण्डल रेल प्रबंधक द्वारा इस संबंध में पदनाम के साथ अनुदेश जारी किया जाएगा और किसी की अनुपस्थिति की स्थिति में वैकल्पिक नामन भी किया जाएगा।

- (बी) वाणिज्य अधिकारियों द्वारा मौके पर निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे :
- (i) घायल व्यक्तियों के बचाव एवं राहत कार्य और सभी यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में दुर्घटना प्रबंधक की सभी संभव सहायता करेंगे. मौके पर उपलब्ध वाणिज्य निरीक्षकों और अन्य वाणिज्य कर्मचारियों की ड्यूटी उनके द्वारा आवंटित की जाएगी।
 - (ii) सभी यात्रियों को निःशुल्क भोजन, स्नैक्स, पेय पदार्थ आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे. ये वस्तुएं विभिन्न स्टेशनों से भिजवायी जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे समय से और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों वे कंट्रोल कार्यालय में उपलब्ध वाणिज्य अधिकारियों से सम्पर्क रखेंगे।
 - (iii) वे इस बात पर नजर रखेंगे कि गाड़ी में चल रहे या दुर्घटनास्थल पर कार्यरत खान-पान कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति जो खाना या पेय पदार्थ आदि की आपूर्ति कर रहा हो , वह स्थिति का लाभ उठाकर पड़े हुए यात्रियों का शोषण न कर पाये।
 - (iv) रेलवे चिकित्सकों से सम्पर्क करके हताहतों की सूची का मिलान कर लें जिसमें उनके नाम, पता, चोट की प्रकृति, उम्र, लिंग आदि का उल्लेख हो और इसकी सूचना कंट्रोल में कार्यरत वाणिज्य अधिकारी को दी जाए ताकि उसे आगे भेजा जा सके।
 - (v) मृतकों और घायलों की सूचना उनके संबंधियों को सीधे तौर पर, यदि संभव हो, अथवा कंट्रोल के माध्यम से, तुरन्त देने की व्यवस्था की जाए और मृतक/घायल यात्रियों के संबंधियों और मित्रों से संदेश प्राप्त किया जाए।
 - (vi) दुर्घटना स्थल पर होने वाले व्यय के लिए स्टेशन आय से धन निकालने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
 - (vii) घायल यात्रियों और मृत यात्रियों के संबंधियों को अनुग्रह राशि के भुगतान की व्यवस्था की जाए।
 - (viii) पीड़ित यात्रियों के सामान के यानान्तरण हेतु पर्याप्त ट्रान्सपोर्ट, पोर्टरों और वाणिज्य कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए. इसी प्रकार की व्यवस्था, उन पार्सलों के यानान्तरण (ट्रान्शिपमेण्ट) में भी की जाएगी जो उतारे गए

हैं (अन्लोडेड हैं), और उनके पूर्ण विवरण दर्ज किए जाएंगे तथा उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।

- (ix) यदि पीड़ित लोगों को बस से भेजा जाना हो तो उस स्थिति में ट्रांसपोर्ट प्राधिकारियों के साथ आवश्यक सम्पर्क करने के लिए कंट्रोल में उपस्थित वाणिज्य अधिकारी को सूचित किया जाए।

18.10 कार्मिक अधिकारी के कर्तव्य (दुर्घटना नियमावली 3.12) :

- (ए) यात्री गाड़ी से संबंधित गंभीर दुर्घटना की सूचना मिलने पर, वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी/ मण्डल कार्मिक अधिकारी मण्डल के नामित कार्मिक अधिकारियों और कल्याण निरीक्षकों के साथ मौके पर जाएंगे. मण्डल कार्मिक अधिकारी/ नामित सहायक कार्मिक अधिकारी कंट्रोल कार्यालय में जाएंगे. मण्डल रेल प्रबंधक द्वारा इस संबंध में पदनाम के साथ अनुदेश जारी किया जाएगा और किसी की अनुपस्थिति की स्थिति में वैकल्पिक नामन भी किया जाएगा।

(बी) कार्मिक अधिकारी मौके पर निम्नलिखित कार्य करेंगे :

- (i) दुर्घटना प्रबंधक के निदेशानुसार घायल व्यक्तियों के बचाव एवं राहत कार्य और सभी यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में दुर्घटना प्रबंधक की सभी संभव सहायता करेंगे।
- (ii) स्वतंत्र साक्ष्य देने वाले ऐसे लोगों के नाम और पता के साथ लिखित विवरण प्राप्त करने का प्रयास किया जाए जो स्वयं दुर्घटना के संबंध में बयान देने के लिए तैयार हों और उक्त सूचना दुर्घटना प्रबंधक को दे दी जाए. लेकिन इस कार्रवाई से उपर्युक्त (i) के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
- (iii) मौके पर वाणिज्य अधिकारियों से सम्पर्क रखा जाए और हताहतों के नाम, पता, चोट की प्रकृति की जानकारी एकत्र की जाए और उसे कंट्रोल कार्यालय को सूचित किया जाए. कंट्रोल कार्यालय से प्रभावित यात्रियों के संबंधियों को, यदि वे रेलकर्मी हों, तो उन्हें मण्डल कार्मिक अधिकारी/ सहायक कार्मिक अधिकारी द्वारा, आवश्यकतानुसार कल्याण निरीक्षक को लगाकर सूचित किया जाएगा.
- जहां तक दुर्घटना से प्रभावित रेलेतर (नॉन-रेलवे) यात्रियों का प्रश्न है, उनके संबंधियों को सूचना देने के लिए कार्मिक अधिकारी वाणिज्य अधिकारियों को पूरी सहायता देंगे.

- (iv) जब तक घायल व्यक्ति अस्पताल से छोड़ न दिए जाएं, प्रभारी डॉक्टर के अनुरोध के अनुसार घायल यात्रियों के लिए दवा आदि की व्यवस्था करने हेतु अस्पताल के डॉक्टरों की सहायता करें.
- (v) घायलों और मृत यात्रियों के संबंधियों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए वाणिज्य विभाग के अधिकारियों की मदद करें और किए गए सभी भुगतान का लेखा भी रखेंगे.
- (vi) मृत यात्रियों के संबंधियों और घायल यात्रियों को नियमानुसार आवश्यक पास जारी करने की व्यवस्था करें.

18.11 सिगनल एवं दूर संचार अधिकारियों के कर्तव्य (दुर्घटना नियमावली 3.13)

- (ए) गंभीर दुर्घटना की सूचना मिलने पर वरिष्ठ मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर अपने निरीक्षकों के साथ मौके पर जाएंगे और मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर/सहायक सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर कंट्रोल कार्यालय में उपस्थित रहेंगे. मण्डल रेल प्रबंधक द्वारा इस संबंध में पदनाम के साथ अनुदेश जारी किया जाएगा और किसी की अनुपस्थिति की स्थिति में वैकल्पिक नामन भी किया जाएगा।
- (बी) मौके पर जाने वाले दूर संचार अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेंगे :-
 - (i) बचाव कार्य में दुर्घटना प्रबंधक की सभी प्रकार की सहायता करेंगे.
 - (ii) रेलवे फोन और यदि संभव हो तो एस टी डी सुविधा सहित बी एस एन एल टेलीफोन लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे. एस टी डी सुविधा सहित बी एस एन एल फोन लगाये जाने की स्थिति में किए गए कॉल की प्रकृति, अवधि आदि के बारे में विवरण दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर खोला जाएगा।
 - (iii) टेलीफोनों की व्यवस्था के साथ एक निरीक्षक तब तक प्रतिनियुक्त रहेगा जब तक पुनर्बहाली कार्य पूरा न हो जाए।
 - (iv) आवश्यक व्यक्तियों के साथ सम्पर्क सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए।

18.12 मंडल के संरक्षा अधिकारियों के कर्तव्य (दुर्घटना नियमावली 3.14)

- (ए) वरिष्ठ मण्डल संरक्षा अधिकारी/मण्डल संरक्षा अधिकारी अपने संरक्षा कॉउन्सेलर्स और टी आई के साथ दुर्घटना स्थल पर जाएंगे. मण्डल रेल प्रबंधक प्राथमिकता के अनुसार अलग से अनुदेश जारी करेंगे. यदि वरिष्ठ मण्डल संरक्षा अधिकारी/मण्डल संरक्षा अधिकारी स्टेशन से बाहर हों तो वे दुर्घटना प्रबंधक से रिपोर्ट करेंगे और निम्नलिखित कार्य करेंगे :

- (i) राहत और पुनर्बहाली कार्य में मदद करेंगे।
- (ii) दुर्घटना के कारण का पता लगाने की कोशिश करेंगे और भविष्य में जाँच कार्य के लिए दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध चिन्हों को भी सुरक्षित करेंगे।
- (iii) मौके पर उपलब्ध सभी विभागीय अधिकारियों से लगातार सम्पर्क बनाए रखेंगे और प्रगति रिपोर्ट बार-बार मण्डल कंट्रोल कार्यालय को देंगे ताकि उसे प्रधान कार्यालय और रेलवे बोर्ड को भेजा जा सके।

(iv) अन्य उपस्थित निरीक्षकों की सहायता से निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जाए :-

- (ए) संरेखण, गेज, क्रॉस लेवल, घुमाव (कर्बचर), सुपर एलीवेशन और रेल हेड वियर(रेल के घिसाव) के विशेष संदर्भ में ट्रैक की स्थिति।
- (बी) ब्रेक पावर के विशेष संदर्भ में रॉलिंग स्टॉक की स्थिति।
- (सी) ब्लॉक यंत्रों, सिगनलों, प्वाइंटों, प्वाइंट लीवरों, इंडीकेटरों और चाबियों की स्थिति।

नोट : यदि कोई सिगनल, ब्रेक यान या डिस्क सिगनल लैम्प अंधेरे में प्रकाशित न हो तो यदि संभव हो तो यह जानने के लिए कि खोला जाए कि क्या वहां बर्नर और किरासन तेल भीतर में है और क्या वह गर्म है ताकि यह पता चल सके कि कहीं कुछ समय पहले यह प्रकाशित तो नहीं था।

- (डी) स्लीपरों और रेल लाइनों पर चिन्हों.
- (ई) पटरी से उतरे डिब्बों की स्थिति. एक सामान्य स्केच (खाका) तैयार किया जाए, जिसमें स्लीपरों आदि पर पटरी से उतरे डिब्बों के चिन्हों आदि यथासंभव बनाये जाएं।
- (V) ट्रेन सिगनल रजिस्टर, प्राइवेट नम्बर शीट, लाइन एडमीशन/डिपार्चर पुस्तिका और संबंधित रिकॉर्ड कब्जे में लिये जाएं यदि दुर्घटना स्टेशन यार्ड में हुई हो. जिन लोगों के पास ये सब रहें हों उनके नाम भी दर्ज किए जाएं।
- (vi) रेल पथ या रॉलिंग स्टॉक के विलग (डिटैच्ड) या टूटे हुए भाग की स्थिति नोट करें और जाँच के दौरान प्रस्तुत करने के लिए इन भागों को सुरक्षित रखें और इसी प्रकार स्लीपरों और पहिये के चिन्हों वाली रेल लाइन को भी सुरक्षित रखें, विशेषकर माउण्ट और ड्रॉप के प्वाइंटों के बीच के भाग को सुरक्षित रखें।

लेकिन यदि यह संदेह हो कि दुर्घटना तोड़-फोड़ के कारण हुई है तो तब तक इनमें से किसी भी वस्तुओं के साथ छेड़-छाड़ नहीं की जाएगी, जब तक कि पुलिस द्वारा पूरी तरह जाँच नहीं कर ली जाती।

(vii) बहुत गम्भीर दुर्घटनाओं के मामले में महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित फोटोग्राफ की व्यवस्था अवश्य की जाए, विशेषकर यदि तोड़-फोड़ का संदेह हो. पटरी से हटे हुए वाहनों, ढीले ढाले रेल पथ और इंजन फिटिंग, रेल लाइन पर खरोंच आदि दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए जाँच समिति के लिए बहुत उपयोगी होंगे।

(बी) मण्डल के सहायक परिचालन प्रबंधक (संरक्षा) कंट्रोल में तुरन्त जायेंगे और निम्नलिखित कार्य करेंगे :

- (i) दुर्घटना की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करके उसे प्रधान कार्यालय को सूचित करेंगे।
- (ii) वे वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी/मौके पर उपलब्ध दुर्घटना प्रबन्धक के साथ निरन्तर सम्पर्क में रहेंगे और जब भी किसी प्रगति की सूचना मिले, प्रधान कार्यालय को सूचित करेंगे।
- (iii) दुर्घटना का विवरण और प्रगति रिपोर्ट रखने के लिए कण्ट्रोल कार्यालय में एक लॉग बुक खोलेंगे।
- (iv) अन्य विभागों के साथ परामर्श करके मौके पर यथावांछित सहायता का पता लगायेंगे।

18.13 सेक्शन कण्ट्रोलर के कर्तव्य (दुर्घटना नियमावली 3.15)

जब किसी सेक्शन कण्ट्रोलर को उसके सेक्शन में हुई किसी गंभीर दुर्घटना की सूचना मिले, तो वह निम्नलिखित कार्यवाही करेगा:

- (i) वह दुर्घटना के उपलब्ध विवरण और आवश्यक सहायता की प्रकृति के बारे में उप नियंत्रक (डिप्टी कण्ट्रोलर) को सूचित करेगा।
- (ii) अन्य सभी गाड़ियों के ऊपर प्राथमिकता देते हुए मेडिकल यान या ब्रेक डाउन ट्रेन के क्लियर पास करने के लिए व्यवस्था करेगा।
- (iii) वह ट्रान्सपोर्ट निरीक्षक और नियंत्रक स्टेशन को सूचित करेगा कि वे दुर्घटनास्थल पर प्रथम उपलब्ध साधन से जाएँ।
- (iv) इस बात का विस्तृत विवरण प्राप्त करना कि कितनी क्षति हुई है ताकि आवश्यक रेलपथ फिटिंग्स आदि दुर्घटनास्थल पर भेजने की व्यवस्था की जा सके।
- (v) मौके पर उपलब्ध किसी जिम्मेदार कर्मचारी से संभावित समय प्राप्त किया जाए कि रेलपथ को क्लियर करने और मरम्मत करने में कितना

समय लगेगा ताकि इस बात का आकलन किया जा सके कि कब तक ट्रॉफिक के लिए लाइन उपलब्ध होगा।

- (vi) ब्रेक डाउन और लाइन खाली कराने के कार्य हेतु प्रभावित सेक्शन के दोनों तरफ लूप लाइन को क्लियर रखते हुए आवश्यकतानुसार सेक्शन में गाड़ियों को नियमित किया जाए।
- (vii) दुर्घटनास्थल पर टावर वैगन/मोटर ट्रॉली की आवश्यकता होने पर उन्हें तेजी से पास करने के लिए उसी प्रकार प्राथमिकता दी जाए, जैसे कि ब्रेक डाउन ट्रेन को प्राथमिकता दी जाती है।

18.14 मुख्य कण्ट्रोलर / उप कण्ट्रोलर के कर्तव्य (दुर्घटना नियमावली 3.16)

- (i) प्रत्येक मण्डल, मुख्य नियंत्रक (चीफ कंट्रोलर)/उप मुख्य नियंत्रक (डिप्टी चीफ कंट्रोलर) की ड्यूटी पदनाम द्वारा परिभाषित करेगा ताकि बिना समय बर्बाद किए निम्नलिखित कार्य साथ-साथ हो सकें. कार्यरत मुख्य नियंत्रक (चीफ कंट्रोलर)/उप मुख्य नियंत्रक (डिप्टी चीफ कंट्रोलर) किसी गम्भीर दुर्घटना की सूचना मिलने पर निम्नलिखित रूप से कार्य करेंगे:
 - (ए) मेडिकल यान और दुर्घटना राहत गाड़ी का आदेश दिया जाएगा. यदि दुर्घटना स्थल निकटवर्ती मंडल के क्षेत्राधिकार के नजदीक पड़ता हो तो उस मंडल विशेष के मेडिकल यान और दुर्घटना राहत गाड़ी को तुरन्त बुलाना चाहिए।
 - (बी) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और अस्पताल के इमरजेन्सी वार्ड के कार्यरत अधिकारी को भी तुरन्त सूचित किया जाए।
 - (सी) सूचना मिलने के बाद डबल निकासी साइडिंग से 15 मिनट के भीतर (सिंगल निकासी साइडिंग के मामले में समुचित रनिंग लाइन से 25 मिनट के भीतर) चिकित्सा यान को सीधे भेजने की व्यवस्था की जाए, समय के इन लक्ष्यों की गणना उस समय से की जाएगी, जब मेडिकल यान का आदेश दिया गया हो और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि राहत गाड़ी भी तुरन्त मँगायी जाए और यह शेड से दिन के समय 30 मिनट के भीतर रवाना हो जाए तथा रात के समय 45 मिनट के भीतर।
 - (डी) यह सुनिश्चित किया जाए कि दुर्घटना राहत यान और चिकित्सा यान को अन्य गाड़ियों के ऊपर प्राथमिकता दी जाए।
- (ii) प्राथमिकता के क्रम से निम्नलिखित अधिकारियों को तेजी से और साथ-साथ सूचना देने के लिए अन्य कण्ट्रोलरों/डिप्टी कण्ट्रोलरों की सहायता ली जाए :

- (ए) मंडल रेल प्रबन्धक
- (बी) उप नगरीय रेल प्रबन्धक / अपर मंडल रेल प्रबन्धक.
- (सी) वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी/मंडल संरक्षा अधिकारी.
- (डी) वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबन्धक
- (ई) मंडल परिचालन प्रबन्धक.
- (एफ) सहायक परिचालन प्रबन्धक (संरक्षा).
- (जी) सहायक परिचालन प्रबन्धक (टी).
- (एच) टी आई इमरजेन्सी/प्रधान कार्यालय.
- (आई) पावर कण्ट्रोलर.
- (जे) ट्रेक्शन कण्ट्रोलर.
- (के) कैरेज कण्ट्रोलर.
- (एल) इंजीनियरिंग कण्ट्रोल.
- (एम) वाणिज्य कण्ट्रोलर.
- (एन) सुरक्षा कण्ट्रोल.
- (ओ) जी आर पी .
- (पी) स्थानीय प्रशासन (सिविल और पुलिस).

किसी विभागीय कण्ट्रोलर के न रहने की स्थिति में संबंधित विभाग का कण्ट्रोलर उसके अधिकारियों को तुरन्त सूचित करेगा. उस ब्रांच के अधिकारियों को सूचना मुख्य कण्ट्रोलर या उप मुख्य कण्ट्रोलर द्वारा दी जानी चाहिए, यदि दुर्घटना स्थल मुख्यालय के नजदीक हो. सहायक राहत गाड़ी डिपो (ए आर टी डिपो) या ए आर एम ई डिपो, मंडल रेल प्रबन्धक, उप नगरीय रेल प्रबन्धक / अपर मंडल रेल प्रबन्धक को दुर्घटना के बारे में तुरन्त सूचित किया जाना चाहिए और आवश्यक सहायता के बारे में भी तुरन्त बताया जाना चाहिए

- (iii) ट्रान्सपोर्ट निरीक्षक और नियंत्रक स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचना दी जानी चाहिए कि वे प्रथम उपलब्ध होने वाले साधन से दुर्घटना स्थल पर पहुँचें ।
- (iv) दुर्घटना स्थल के दोनों तरफ ट्रॉफिक को नियमित करना चाहिए . माल गाड़ियों को यथासंभव स्टेबल (स्थिर) किया जाए और यात्री गाड़ियों को ऐसे स्टेशनों पर रोका जाए, जहाँ पर खाने की चीजें और पीने का पानी उपलब्ध हो सके।

- (v) गाड़ियों के समय में परिवर्तन और उनके मार्ग परिवर्तन और रद्द होने के बारे में , यदि ऐसा हुआ हो, जन संबोधन प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक स्टेशन से यात्रियों को सूचित किया जाए।
- (vi) निकटवर्ती मंडलों और संबंधित रेलों को दुर्घटना के बारे में समय से सूचित करें और ट्रॉफिक के परिवर्तन के तरीकों के बारे में उन्हें सूचित करें।
- (vii) यदि मेल ले जाने वाली गाड़ी दुर्घटना में शामिल हो तो आर एम एस प्राधिकारियों को सूचित करें ।
- (viii) वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबन्धक / मंडल परिचालन प्रबन्धक या उस अधिकारी की सहायता करें जो कण्ट्रोल कार्यालय का प्रभार ग्रहण करे।

18.15 पावर कण्ट्रोलर के कर्तव्य (दुर्घटना नियमावली 3.17) :

पावर कण्ट्रोलर किसी दुर्घटना की सूचना मिलने पर निम्नलिखित कार्रवाई करेगा :

- (i) विभागीय मंडल अधिकारियों को तुरन्त सूचित करें.
- (ii) तत्परता के साथ लक्ष्य समय के भीतर चिकित्सा यान और राहत गाड़ी का निकलना (टर्न आउट) सुनिश्चित करें ।
- (iii) संबंधित अधीनस्थ कर्मचारियों को समय से सूचित करें कि वे चिकित्सा यान/राहत गाड़ी से दुर्घटना स्थल की ओर पहुँचें ।
- (iv) अनावश्यक डिटेन्शन (गाड़ियों के रुके रहने की स्थिति) से बचने के लिए गाड़ियों को इंजनों को तर्क संगत रूप से व्यवस्थित / विनियमित करें।
- (v) दुर्घटना स्थल पर राहत कार्य में लगे रनिंग चालक दल के लिए राहत की व्यवस्था करें ।

18.16 ट्रेक्शन (कर्षण) पावर कण्ट्रोलर के कर्तव्य (दुर्घटना नियमावली 3.18) : **ट्रेक्शन पावर कण्ट्रोलर , बिजलीकृत सेक्शन पर किसी दुर्घटना की सूचना मिलने पर निम्नलिखित कार्यवाही करेगा :**

- (i) प्रावित सेक्शन को स्विच ऑफ करें . मल्टिपल लाइन सेक्शन के मामले में, पार्श्ववर्ती लाइन पर कार्शन आर्डर के जारी रहने की पुष्टि होने तक, पार्श्ववर्ती लाइन को भी स्विच ऑफ करके रखें, (ए सी टी एम के पैराग्राफ 0723, संशोधित 1980।

- (ii) विभागीय पदधारियों को और संबंधित अधीनस्थ कर्मचारियों को तुरन्त सूचित करें।
- (iii) टावर वैगन और इमरजेन्सी सड़क वाहनों को तुरन्त निकलकर आने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायँ, यदि ऐसा आवश्यक हो।
- (iv) बिजली धारा को बन्द कराने तथा ऊपरी उपस्करों के तारों को मोड़ने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए ताकि क्रेन के कार्य हो सकें।
- (v) ऑपरेशन क्लियर करने हेतु यथावश्यक पावर ब्लॉक की व्यवस्था करें।

18.17 ट्रेक्शन लोको कण्ट्रोलर के कर्तव्य (दुर्घटना नियमावली 3.19) :

ट्रेक्शन लोको कण्ट्रोलर, बिजलीकृत सेक्शन पर किसी दुर्घटना की सूचना मिलने पर निम्नलिखित कार्यवाही करेगा :

- (i) टी एल सी/ मुख्यालय सहित विभागीय मंडल अधिकारियों को तुरन्त सूचित करें।
- (ii) उप कण्ट्रोलर द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुसार लक्ष्य समय के भीतर सहायता करें।
- (iii) एल आई / एस एल आई और सी टी एफ आर को तुरन्त सूचित करें. एक सीनियर एल आई चिकित्सा यान / सहायक राहत गाड़ी (ए आर टी) के साथ दुर्घटनास्थल जायेगा।
- (iv) अनावश्यक डिटेन्शन (गाड़ियों के रुके रहने की स्थिति) से बचने के लिए उप नियंत्रक (डिप्टी कण्ट्रोलर) से परामर्श करके बिजली गाड़ियों को तर्क संगत और क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित / विनियमित करें।

18.18 मंडल ट्रान्सपोर्टेशन, इंजीनियरी, सिगनल, कैरेज एवं वैगन एवं लोको निरीक्षकों आदि के कर्तव्य:

किसी गंभीर दुर्घटना की सूचना मिलने पर सभी संबंधित निरीक्षक निम्नलिखित कार्यवाही करेंगे :

- (ए) दुर्घटना स्थल पर तीव्रतम उपलब्ध साधन से पहुँचा जाए।
- (बी) जब तक कोई अधिकारी मौके पर न आ जायँ, तब तक स्थिति का सामान्य प्रभार ग्रहण करें।
- (सी) यह सुनिश्चित करें कि व्यस्त (ऑक्क्यूपाइड) और अवरुद्ध (ऑब्स्ट्रक्टेड) लाइनें नियमों के अनुसार सुरक्षित की जाएँ।

- (डी) हताहतों और घायलों का तेजी से सर्वेक्षण कर लिया जाए और गाड़ी पर उपलब्ध रेल कर्मचारियों, डॉक्टरों, गाड़ी पर यात्रारत और दुर्घटना स्थल के पास के स्वयंसेवकों की सहायता से घायलों को प्रथमोपचार (फर्स्ट ऐड) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (ई) उपलब्ध सहायता के साथ निकटतम अस्पताल में घायल लोगों को ले जाने की व्यवस्था करें, उनके विवरण रखे जाएँ और आगे की आवश्यक सहायता के लिए माँग की जाए।
- (एफ) दुर्घटना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचना एकत्र की जाए और उन्हें दर्ज किया जाए, जैसे कि :
- (i) संरेखण के विशेष संदर्भ में रेलपथ की स्थिति, गेज, क्रॉस लेवेल, अधिक चढ़ाई, माउण्ट प्वाइण्ट और ड्रॉप, तोड़-फोड़ के कोई चिन्हा आदि।
 - (ii) ब्रेक पावर और ब्रेकिंग गियर के विशेष संदर्भ में रॉलिंग स्टॉक की स्थिति।
 - (iii) पटरी से उतरे डिब्बों की स्थिति।
 - (iv) ब्लॉक यंत्रों की स्थिति।
 - (v) इण्डीकेशनों, चाभियों, लीवर आदि की स्थिति, यदि दुर्घटना, सिगनल आदि से युक्त सेक्शन में स्टेशन सीमी के भीतर हुई हो।
 - (vi) दुर्घटना का प्रथम दृष्टया कारण।
- (जी) यह सुनिश्चित करें कि ट्रेन सिगनल रजिस्टर, लॉग बुक, प्राइवेट नम्बर बुक, लाइन एड्मीशन बुक, गति रिकार्डर चार्ट और अन्य संबंधित रिकॉर्ड आदि कब्जे में ले लिए जाएँ।
- (एच) यथासंभव दुर्घटना से जुड़े कर्मचारी का बयान प्राप्त किया जाए।
- (आई) पटरी से उतरे वाहनों (डिब्बों), ट्रैक की स्थिति और सिरोपरि उपस्करों आदि को दर्शाते हुए एक साधारण खाका तैयार किया जाए. क्षति की मात्रा का तेजी से सर्वेक्षण किया जाए।
- (जे) दूसरे कर्मचारी द्वारा कार्यमुक्त किए जाने तक सभी संभव सहायता के लिए दुर्घटना स्थल पर मौजूद रहें।

नोट: कण्ट्रोल रूम में लॉग बुक के रख-रखाव के बारे में :

लॉग-बुक में बाँयीं तरफ के पृष्ठ आने वाले संदेश/सूचना के लिए रखे जायँ, दाँयीं तरफ के पृष्ठों को बाहर जाने वाले संदेशों/सूचना के लिए रखा जाए. आने वाले संदेशों/सूचना के लिए क्रम सं., जहाँ से संदेश प्राप्त हुआ हो, उसका नाम और पदनाम सहित संदेश प्राप्त होने का समय दर्ज किया जाए. यह विशेष रूप से नोट किया जाए कि मौके पर से प्राप्त सूचना संदेश के रूप में नहीं होगी. लेकिन उनको दर्ज करते समय विवरण के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ऐसी प्राप्त सूचना के आधार पर बाहर जाने वाले संदेश तैयार हो सकते हैं . इसी प्रकार बाहर जाने वाले संदेशों के मामलों में क्रम सं. , जिसको संदेश दिया गया हो, उसके नाम और पदनाम सहित संदेश देने का समय सावधानीपूर्वक दर्ज किया जाए. यदि किसी स्रोत से प्राप्त संदेश को ही किसी दूसरे को भेजना हो तो , बहिर्गामी तरफ (आउट गोइंग साइड) पर संदेश का पूरा भाग नोट न किया जाए, बल्कि केवल आने वाले संदेश का संदर्भ , जैसे मद सं. आदि ही नोट किया जाए. इस प्रक्रिया का पालन दूसरी रेलों और रेलवे बोर्ड को संदेश देते समय विशेष रूप से किया जाए, जिन्हें भेजी जाने वाली सभी सूचना केवल संदेश के रूप में होगी ।

18.19 गाड़ी पर कार्यरत कर्मचारियों के कर्तव्य:

गाड़ी पर कार्यरत कर्मचारी जैसे गाड़ी अधीक्षक, गाड़ी टिकट परीक्षक, अनुरक्षक आर पी एफ कर्मचारी, वातानुकूलित (एसी) परिचर और पैण्ट्री कार (खान-पान यान) कर्मचारी , को आदेश दिया गया है कि वे इस मंडल द्वारा जारी आपदा प्रबन्ध से संबंधित पाकेट बुकलेट का पालन करें ।

19. ए आर टी/ ए आर एम ई / बी डी क्रेन / टावर वैगन के लिए हूटर/सायरन के निर्धारित कोड:

क्रम सं.	स्थल	हूटर / सायरन कोड	लय (रीदम)
1	लोको यार्ड	एक लम्बा, एक छोटा	~~~ ~
2	ट्रॉफिक यार्ड	एक लम्बा, दो छोटा	~~~ ~ ~
3	गैर-ब्लॉकड एम एल	एक लम्बा, तीन छोटा	~~~ ~ ~ ~
4	ब्लॉकड एम एल	एक लम्बा, चार छोटा	~~~ ~ ~ ~ ~
5	वांछित ए आर एम ई	दो लम्बा, चार छोटा	~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~
6	बी डी क्रेन	दो लम्बा	~~~ ~~~
7	टावर वैगन	टेस्टिंग	~~~

19.1 ए आर टी/ए आर एम ई के प्रस्थान की लक्ष्य अवधि :

ए आर टी / ए आर एम ई	प्रस्थान लक्ष्य समय
चिकित्सा यान	डबल डिस्चार्ज साइडिंग के लिए 15 मिनट
	सिंगल डिस्चार्ज साइडिंग के लिए 25 मिनट
	*दुर्घटना राहत गाड़ी (ए आर टी) के लिए प्रतीक्षा किए बिना चिकित्सा यान पहले प्रस्थान कर जाए.
दुर्घटना राहत गाड़ी (ए आर टी)	दिन के समय 30 मिनट
	रात के समय 45 मिनट
	दुर्घटना राहत गाड़ी / साहेबगंज को क्रेन के साथ प्रस्थान का आदेश दिया जाए.

19.2 अपेक्षित सहायता (दुर्घटना नियमावली 5.09):

- अपेक्षित सहायता की प्रकृति निम्नलिखित ढंग से उल्लिखित की जाए:
(ए) राहत गाड़ी, (बी) राहत यान, (सी) गाड़ी परीक्षक.
 - यदि (30टन/40टन) के स्टीम क्रेन की आवश्यकता हो तो इसको मद (ए) में इस प्रकार शामिल किया जाए : राहत यान और 30-टन स्टीम क्रेन.
 - राहत गाड़ी के बुलाने की माँग तभी की जानी चाहिए जब चालू सड़क इस प्रकार अवरुद्ध हो, जिससे सड़क क्लियर करने के लिए राहत क्रेन और यान की आवश्यकता हो . स्टेशन मास्टर द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति का उल्लेख किया जाना चाहिए और उसे रॉलिंग स्टॉक का नम्बर और क्लॉस भी बताना चाहिए जिसके लिए कार्य करना है ।
- नोट :** आवश्यकतानुसार चिकित्सा यान की प्रकृति का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए :
- राहत गाड़ी :** जब इंजन साइडिंग में रेल पटरी से उतर गया हो और रनिंग रोड (चालू सड़क) ब्लॉकड न हो.
 - उस समय गाड़ी परीक्षक को बुलाया जाना आवश्यक है जब कोई वैगन या पैसेन्जर कोच साइडिंग में पटरी से उतर गया हो और किसी रनिंग रोड

(चालू सड़क) को ब्लॉक न कर रहा हो. यह उन स्टेशनों पर लागू नहीं होता जहाँ लोको शेडों में विशेष दुर्घटना गैंग उपलब्ध हों , और ऐसे स्टेशनों के लोको फोरमैन को ऐसे मामलों में बुलाया जाना चाहिए. मंडल रेल प्रबन्धक अपने कर्मचारियों को स्थानीय रूप से उन स्टेशनों के नाम बतायेंगे जहाँ पर विशेष दुर्घटना गैंग तैनात हैं ।

19.3 राहत गाड़ी का तेजी से प्रस्थान करना .

एक राहत गाड़ी को आदेश दिए जाने के समय से दिन में 30 मिनट के भीतर शेड से प्रस्थान कर जाना है और रात में 45 मिनट के भीतर प्रस्थान कर जाना है. ऐसे स्टेशनों पर जहाँ लोको और ट्रॉफिक यार्डों का खाका (ले आउट) कुछ ऐसा है जिसके कारण उपर्युक्त निर्धारित समय में कमी की अनुमति दी जा सके, तो मंडल कर्मचारी कम समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं . किसी भी उपलब्ध इंजन का उपयोग किया जा सकता है . इमरजेन्सी क्रॉस ओवर हमेशा कार्यकर स्थिति में रखा जाना चाहिए ताकि राहत गाड़ी के संचलन तेजी से सुनिश्चित किया जा सके ।

कोई भी राहत गाड़ी गार्ड के लिए डिटेन (रोकी) नहीं रखी जानी चाहिए, बल्कि लोको या समय पर उपलब्ध ट्रान्सपोर्टेशन पर्यवेक्षक कर्मचारी के प्रभार में प्रस्थान कर जानी चाहिए . किसी गार्ड को तीव्रतम संभव साधन द्वारा भेजा जाना चाहिए ताकि वह राहत गाड़ी पर कार्य कर सके

19.4 हावड़ा मंडल में ए आर टी, क्रेन एवं चिकित्सा यान की स्थिति एवं बीट :

क्रम सं.	बेस (आधार)	क्लॉस	गेज	उपस्कर की किस्म	क्रेन की क्षमता	चिकित्सा यान	ए आर टी/क्रेन / ए आर एम ई का सेक्शनल कार्यक्षेत्र		
							ए आर टी	क्रेन	ए आर एम ई
1	हावड़ा लोको	ए	बड़ी लाइन	लुकास	140-टी (डीजल)	हाँ स्केल-1	हावड़ा-हुगली, हावड़ा-बेलमुड़ी, तारकेश्वर ब्रांच, द.पू.रेलवे: सी सी आर लिंक, हुगली-बैण्डेल-मगरा, मगरा-त्रिवेणी लिंक	हावड़ा-खाना जं., हावड़ा-कटवा, बैण्डेल-नैहाटी जं., हावड़ा-ताड़केश्वर-सेवड़ाफुली, डानकुनि-सी सी लिंक भट्टनगर,	हावड़ा-खाना-सैंथिया (एच बी सी होकर), हावड़ा-बैण्डेल-शक्तिगढ़, गलसी, तारकेश्वर और नैहाटी ब्रांच, बैण्डेल-बाजारसौ

2	बैण्डेल	बी	बड़ी लाइन	लुकास	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	हुगली-बैण्डेल-मगरा, मगरा-त्रिबेणी लिंक, नैहाटी ब्रांच, बैण्डेल-कटवा		
3	बर्द्धमान	बी स्पोर्ट	बड़ी लाइन	लुकास	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	बर्द्धमान-बेलमुड़ी, बर्द्धमान-मगरा, बेलमुड़ी-गलसी		
4	रामपुरहाट	ए	बड़ी लाइन	लुकास	140-टी (डीजल)	हाँ स्केल-1	खाना-रामपुरहाट-गुमानी, सैंथिया-सिउरी-नलहाटी जं., आजिमगंज-कटवा, बाजारसो-आजिमगंज-जंगीपुर.	रामपुरहाट-खाना, रामपुरहाट-गुमानी, रामपुरहाट-नलहाटी, आजिमगंज-कटवा, रामपुरहाट-सैंथिया-सिउरी	सिउरी-रामपुरहाट-नलहाटी, गुमानी-बाजारसौ-आजिमगंज-जंगीपुर, आजिमगंज-नलहाटी
5	कटवा	सी	छोटी लाइन	मेक.	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	बर्द्धमान-कटवा (छोटी लाइन), अहमदपुर-कटवा (छोटी लाइन).	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

19.5 निकटवर्ती रेलवे/मंडलों में ए आर टी/ए आर एम ई / बी डी क्रेन का निकटतम आधार-स्थल

रेलवे	मंडल	ए आर टी / एम एफ डी	ए आर एम ई	बी डी क्रेन
द. पू. रेलवे	खड़गपुर	खड़गपुर	मेचेदा	खड़गपुर
		साँतरागाछी	-	-
पूर्व रेलवे	सियालदह	बेलेघाटा	बेलेघाटा	बेलेघाटा
	आसनसोल	अण्डाल	आसनसोल	आसनसोल
		आसनसोल	-	-
	मालदा	साहेबगंज	साहेबगंज	साहेबगंज
		मालदा	मालदा	-
		जमालपुर	जमालपुर	

20. नियंत्रक पदधारियों के कार्यक्षेत्र और नियंत्रित सेक्शन

नियंत्रक पदधारी	कार्यक्षेत्र
वरिष्ठ स्टेशन प्रबन्धक / हावड़ा	डाब्सन रोड, कारशेड सहित हावड़ा स्टेशन से सॉर्टिंग यार्ड केबिन तक
मुख्य यार्ड मास्टर / हावड़ा गुड्स	हावड़ा गुड्स, रामकिस्टोपुर, शालीमार, लिलुया, शालीमार, लिलुया, सॉर्टिंग यार्ड, पंजाब लाइन साइडिंग
स्टेशन प्रबन्धक / लिलुया	लिलुया सॉर्टिंग यार्ड केबिन (इसको छोड़कर) से श्रीरामपुर (इसके सहित).
स्टेशन प्रबन्धक / डानकुनि	बेलानगर (इसके सहित) से जौग्राम (इसको छोड़कर).
स्टेशन प्रबन्धक / सेवड़ाफुली	सेवड़ाफुली (इसके सहित) से ताड़केश्वर (इसके सहित) तक. बैद्यबाटी (इसके सहित) से हुगली (इसके सहित) तक .
स्टेशन प्रबन्धक / बैण्डेल	बैण्डेल (इसको छोड़कर) से देबीपुर (इसके सहित) तक. बैण्डेल से कटवा ((इसको छोड़कर) तक .
स्टेशन प्रबन्धक / आजिमगंज	कटवा (इसको छोड़कर) से आजिमगंज लिंक (इसके सहित) और आजिमगंज से नलहाटी ((इसको छोड़कर) तक .
स्टेशन प्रबन्धक / बर्द्धमान	बी एच कॉर्ड पर जौग्राम (इसके सहित) से शक्तिगढ़ तक. मेमारी से बर्द्धमान (दोनों सहित) , तालित और खाना (इसके सहित) .
स्टेशन प्रबन्धक / बोलपुर	खाना जंक्शन (इसको छोड़कर) से सैथिया (इसके सहित) तक ,
स्टेशन प्रबन्धक / रामपुरहाट	सैथिया (इसके सहित) से राजग्राम (इसको छोड़कर) तक ,

मुख्य यार्ड मास्टर / पाकुड़	राजग्राम (इसको छोड़कर) से गुमानी (इसको छोड़कर) तक .
स्टेशन प्रबन्धक / कटवा	कटवा (बड़ी लाइन) और कटवा-बर्द्धमान (छोटी लाइन सेक्शन)

21. निकटवर्ती मंडलों से सहायता

(आपदा प्रबन्धन पर उच्च स्तरीय समिति : अनुशंसा नं. 21)

जब भी घायलों की संख्या 50 से अधिक होने की संभावना हो, तो निकटवर्ती मंडलों से सहायता अवश्य माँगी जानी चाहिए . मोटे तौर पर, बाहर से वांछित ऐसी सहायता की मात्रा एक मंडल से प्रत्येक 50 अतिरिक्त घायलों के लिए होगी . लेकिन यह उल्लेखनीय होगा कि आपदा प्रबन्धन पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें केवल मोटे तौर पर सुझाव देती हैं और यह क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबन्धकों / मंडलों के मंडल रेल प्रबन्धकों के विवेक पर निर्भर करता है कि वे आपदा के आकार के अपने आकलन और मौके पर भौगोलिक स्थिति / दशा के आधार पर अतिरिक्त सहायता की माँग करें ।

22. आपदा प्रबंधन के लिए अधिकारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्तियों का प्रत्यायोजन :

क्र. स.	कोड/नियम/आदेश संदर्भ	शक्ति की प्रकृति	मंडल रेल प्रबंधक	अभ्युक्ति
1	एमएम/रेलवे बोर्ड के अ.स. सं. 2002 / संरक्षा-1/6/4 दिनांक 06.05.03 के अन्तर्गत भारतीय रेल पर आपदा प्रबंधन से संबंधित उच्चस्तरीय समिति का पैरा सं.30	बचाव एवं राहत कार्यों हेतु वाहन को भाड़े पर लेना	मंडल रेल प्रबंधक पूर्ण शक्ति	हताहत वाली दुर्घटनाओं की स्थिति में मंडल रेल प्रबंधक वाहनों को भाड़े पर ले सकते हैं जिसके लिए वित्तीय सहमति आवश्यक है जो कार्योत्तर आधार पर ली जा सकती है (प्राधिकार : उप महाप्रबंधक/सा. का पत्र सं. जी176/13-डब्ल्यू/मिस/भाग-IV दिनांक 26.08.04)
2	एमएम/रेलवे बोर्ड के	मौके पर	मंडल रेल	स्टेशन की आमदनी से

	अ.स. सं. 2002 / संरक्षा-1/6/4 दिनांक 06.05.03 के अन्तर्गत भारतीय रेल पर आपदा प्रबंधन से संबंधित उच्चस्तरीय समिति का पैरा सं.31	चिकित्सा अधिकारियों द्वारा बाजार से अतिरिक्त जीवनरक्षी दवाइयों के क्रय की शक्ति	प्रबंधक रू.25,000/ - प्रतिदिन	धन लिया जा सकता है जिसके लिए वित्तीय सहमति आवश्यक है जो कार्योत्तर आधार पर ली जा सकती है (प्राधिकार : उप महाप्रबंधक/सा. का पत्र सं. जी176/13-डब्ल्यू/मिस/भाग-IV दिनांक 26.08.04)
3	एमएम/रेलवे बोर्ड के अ.स. सं. 2002 / संरक्षा-1/6/4 दिनांक 06.05.03 के अन्तर्गत भारतीय रेल पर आपदा प्रबंधन से संबंधित उच्चस्तरीय समिति का पैरा सं.34	स्टेशन आमदनी से धन ग्रहण करना		वाणिज्य नियमावली के अनुसार राजपत्रित अधिकारी को इसकी शक्ति प्राप्त है। जिसके लिए वित्तीय सहमति आवश्यक है और यह कार्योत्तर आधार पर ली जा सकती है। वाउचर 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करना जरूरी है।
4	एमएम/रेलवे बोर्ड के अ.स. सं. 2002 / संरक्षा-1/6/4 दिनांक 06.05.03 के अन्तर्गत भारतीय रेल पर आपदा प्रबंधन से संबंधित उच्चस्तरीय समिति का पैरा सं.35	तेज बचाव कार्य : 1. अस्थायी शेड / शेल्टर. 2. कॉट्स और बेडिंग भाड़े पर लेना. 3. प्लास्टिक भाड़े पर लेना/क्रय करना 4. बर्फ और पीने का पानी क्रय करना 5. कोई अन्य संबंधित आपात राहत	मंडल रेल प्रबंधक रू.20,000/ - प्रतिदिन	दुर्घटना और गम्भीर प्रकृति हताहत वाली स्थिति में सामान्य स्थिति लाने हेतु मंडल रेल प्रबंधक की स्वीकृति से पे-ऑर्डर द्वारा लेखा और रोकड़ कार्यालय से धन निकाला जा सकता है जिसका हिसाब एक महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना है। वित्तीय सहमति आवश्यक है जो कार्योत्तर आधार पर ली जा सकती है (प्राधिकार : उप महाप्रबंधक/सा. का पत्र सं. जी176/13-डब्ल्यू/मिस/भाग-IV

		कार्य की वस्तुएँ मौके पर मं.रे.प्र./उप न.रे.प्र./अ.मं.रे. प्र. की व्यक्तिगत मंजूरी पर		दिनांक 26.08.04)
--	--	---	--	------------------

5	एमएम/रेलवे बोर्ड के अ.स. सं. 2002 / संरक्षा-1/6/4 दिनांक 06.05.03 के अन्तर्गत भारतीय रेल पर आपदा प्रबंधन से संबंधित उच्चस्तरीय समिति का पैरा सं. 38	समय पर ए आर टी/ ए आर एम वी / क्रेन उपस्करों की किसी कमी से बचने हेतु ए आर टी / ए आर एम ई हेतु स्थायी स्पॉट क्रय समिति।	स्पॉट (मौके पर) क्रय समिति : डी एम ई*, डी एम ओ*, डी एफ एम/ ए डी एफ एम. अतिरिक्त सदस्य सीनियर डी ई ई/जी, यांत्रिक अधिकारी : ए आर टी हेतु और चिकित्सा अधिकारी ए आर एम वी हेतु : स्पॉट क्रय समिति	मौके पर क्रय समिति के ऐसे निर्णय आवश्यकता के अनुसार मण्डल रेल प्रबंधक द्वारा लिया जाना है और ऐसा क्रय 10 लाख रुपये तक का हो सकता है। अतिआवश्यक मामलों में मण्डल स्तर की स्पॉट क्रय समिति के सदस्य मण्डल रेल प्रबंधक द्वारा बदले जा सकते हैं (वित्तीय सहमति की आवश्यकता नहीं है)। (प्राधिकार : उप महाप्रबंधक/सा. का पत्र सं. जी176/13-डब्ल्यू/मिस/भाग-IV दिनांक 26.08.04)
6	एमएम/रेलवे बोर्ड के अ.स. सं. 2002/संरक्षा-1/6/4 दिनांक 06.05.03 के अन्तर्गत भारतीय रेल पर आपदा प्रबंधन से संबंधित	ए आर टी/ ए आर एम वी /बी डी क्रेनों हेतु विशेष नकद अग्रदाय (कैश इम्प्रेस्ट)	सीनियर डी एम ई/ डी एम ई (ए आर टी प्राभारी) प्रत्येक रु.25,000/	(प्राधिकार : उप महाप्रबंधक/सा. का पत्र सं. जी176/13-डब्ल्यू/मिस/भाग-IV दिनांक 26.08.04)

	उच्चस्तरीय समिति का पैरा सं. 41 एवं 42		- तक. सीनियर डी एम ओ/ डी एम ओ (ए आर एम वी-प्राभारी) रू.25,000/- प्रत्येक	
7	एमएम/रेलवे बोर्ड के अ.स. सं. 2002/संरक्षा-1/6/4 दिनांक 06.05.03 के अन्तर्गत भारतीय रेल पर आपदा प्रबंधन से संबंधित उच्चस्तरीय समिति का पैरा सं. 43	जोनल मुख्यालय कंट्रोल/मंडल कंट्रोल में सैटेलाइट फोन, एक आई एस डी कनेक्शन और रेल दुर्घटना सूचना हेतु विशेष बी एस एन एल टेलीफोन नम्बर।	मंडल रेल प्रबंधक को पूरा अधिकार प्रदान किया गया है कि वे उन सभी स्टेशनों पर बी एस एन एल टेलीफोन उपलब्ध कराये जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।	(प्राधिकार : उप महाप्रबंधक/सा. का पत्र सं. जी176/13-डब्ल्यू/मिस/भाग-IV दिनांक 26.08.04)
8	एमएम/रेलवे बोर्ड के अ.स. सं. 2002/संरक्षा-1/6/4 दिनांक 06.05.03 के अन्तर्गत भारतीय रेल पर आपदा प्रबंधन से संबंधित उच्चस्तरीय समिति का पैरा सं. 44	सेल फोन भाड़े पर लेने की शक्तियाँ	सभी स्टेशन मास्टर्स को सेल फोन भाड़े पर लेने की शक्ति प्रदान की गई है।	प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2002/टेली-टीएन/1 दिनांक 12.5.2003. महाप्रबंधक का पत्र सं. जी176/16-डब्ल्यू/जीएम/भाग-II दिनांक 02.06.2003
9	भीषण दुर्घटना के समय राहत कार्य में तेजी लाने हेतु हेलीकॉप्टर/वायुयान	भीषण दुर्घटना के समय हेलीकॉप्टर/वायुयान सेवा लेने	सभी मण्डल रेल प्रबंधक	प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2002/सेफ्टी/1/6/6 दिनांक

	लेना	हेतु मण्डल रेल प्रबंधक को शक्ति प्रदान करना		13.6.2004.महाप्रबंधक का पत्र सं. जी 176/16-डब्ल्यू / जीएम/भाग-II दिनांक 24.09. 04
--	------	---	--	---

10	एमएम/रेलवे बोर्ड के अ.स. सं. 2002 / संरक्षा-1/6/4 दिनांक 06.05.03 के अन्तर्गत भारतीय रेल पर आपदा प्रबंधन से संबंधित उच्चस्तरीय समिति का पैरा सं. 32	रेलवे दुर्घटना में घायलों के उपचार हेतु प्राइवेट अस्पताल में मौके पर भुगतान करने की शक्ति	प्राइवेट अस्पतालों को मौके पर भुगतान करने के लिए एम एस या मेडिकल टीम के प्राभारी कोई सीनियर डॉक्टर	प्राधिकार : महाप्रबंधक का पत्रसं.जी176/13 डब्ल्यू/ मेडि दिनांक 31.8.05 ii) रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2003/एच/7/5/3(3 2) दिनांक 23.08.05
11	एमएम/रेलवे बोर्ड के अ.स. सं. 2002/संरक्षा-1/6/4 दिनांक 06.05.03 के अन्तर्गत भारतीय रेल पर आपदा प्रबंधन से संबंधित उच्चस्तरीय समिति का पैरा सं. 33	सीविल क्षेत्र से चिकित्सा सहायता प्राप्त करना (अपने अधिकार क्षेत्र में घटित आपदा की स्थिति में चिकित्सा सहायता प्राप्त करने हेतु)।	1. मंडल रेल प्रबंधक प्रतिदिन रु.10,000/- 2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / चिकित्सा अधीक्षक रु.5,000/- प्रतिदिन।	प्राधिकार : महाप्रबंधक का पत्र सं. जी176/13-डब्ल्यू/मिस/भाग-IV दिनांक

23. आग लगने के कारण और प्रकार :

(ए) आग लगने के प्रमुख कारण :

- (i) स्टोव, सिगरी, गैस सिलिण्डर, किरासन तेल, पेट्रोल, आग पकड़ने वाले सामान आदि को यात्री डिब्बे में लेकर चलना।
- (ii) कागज, लकड़ी, पेट्रोल या ऐसे ज्वलनशील पदार्थ के पास आग जलाना या आग का उपयोग करना।
- (iii) जलती हुई माचिस की तीली, सिगरेट के जलते बचे हुए भाग को असावधानी के साथ फेंकना।
- (iv) बिजली तारों में शॉर्ट सर्किट।
- (v) ज्वलनशील लादे जाने वाले सामान की शंटिंग और ज्वलनशील वैगनों को सील करते समय खुली आग का उपयोग।
- (vi) गैस/पेट्रोल टंकियों के पास खुली आग का उपयोग, धूम्रपान करना।
- (vii) पैण्ट्री कार/कोचों से कूड़ा न हटाना।
सभी व्यक्तियों को चाहिए कि वे उपर्युक्त त्रुटियों से सावधानी के साथ बचें ताकि आग लगने की संभावना को कम किया जा सके।

23.1 आग लगने की स्थिति में : क्या करें और क्या न करें .

(ए) निम्नलिखित से बचें :

- (i) निषिद्ध स्थानों पर धूम्रपान या आग की लपट पैदा करना।
- (ii) तेल में भीगे हुए जूट / कपड़ों को असावधानीपूर्वक इधर-उधर फेंकना।
- (iii) जलती हुई माचिस की तीली, बीड़ी / सिगरेट के जलते बचे हुए भाग को असावधानी के साथ फेंकना।
- (iv) किसी कोच में इलेक्ट्रिक सर्किट ओवरलोड न करें।
- (v) हॉट एक्सल वैगन के चलने की अनुमति न दी जाए।
- (vi) ज्वलनशील सामान के साथ विस्फोटक सामान न रखना।
- (vii) गैस स्टोव, सिगरी, किरासन तेल, गैस सिलिण्डर, किरासन जार, पेट्रोल या आग पकड़ने वाले अन्य सामान यात्री डिब्बे में लेकर चलना प्रतिबंधित करना चाहिए।

(बी) निम्नलिखित का अनुपालन करें:

- (i) तेजी से काम करें लेकिन अधैर्य न हों।
- (ii) अग्निशमन सामान जैसे पानी/बालू सहित बाल्टी, अग्निशामक यंत्र आदि का पता लगायें।
- (iii) अलार्म ध्वनि करें।
- (iv) सर्व संबंधित को आग बुझाने में सहायता के लिए सूचित करें।
- (v) सभी कीमती सामान को अलग करें।
- (vi) अग्निशामक यंत्र/बाल्टी में पानी सदा तैयार रखें।

- (vii) यदि संभव हो तो आग लगने के स्रोत को अलग करने की व्यवस्था करें।
- (viii) आग लगने के ढंग का पता लगायें कि सूखी आग लगी है, या तेल या गैस के कारण लगी है या बिजली के कारण लगी है और तदनुसार सही प्रकार के अग्निशामक व्यवस्था का उपयोग करें.
- (ix) बिजली से आग लगने की स्थिति में स्रोत को स्विच ऑफ करें।
- (x) हवा के विपरीत न खड़े हों।

महत्वपूर्ण :

- (i) किसी सेक्शन से होकर पास करते समय ड्राइवर, गार्ड यदि किसी ग्राम में गंभीर प्रकार की आग लगी हुई देखें जिससे जन-जीवन को खतरा हो तो वे बिना कार्यक्रम के अगले स्टेशन पर रुकें और किलो मीटर/स्थान सहित स्टेशन मास्टर को इस बारे में सूचित करें।
- (ii) संचार व्यवस्था के पूरी तरह से बाधित हो जाने की स्थिति में या जैसी स्थिति हो, कोई गाड़ी माँगी जाने वाली सहायता की सूचना देने के लिए बिना कार्यक्रम के बिना कार्यक्रम के रुक सकता है।
- (iii) ड्राइवर , गार्ड किसी स्टेशन से होकर थ्रू जाने के क्रम में या किसी स्टेशन पर पहुँचते समय, यदि आग लगी हुई देखें तो वे बिना कार्यक्रम के न रुकें क्योंकि गाड़ी ऐसी जगह रोकने से गाड़ी/यात्रियों/माल को आग से क्षति पहुँच सकती है, बल्कि अपनी गाड़ी को समुचित रूप से इस प्रकार नियंत्रित करेंगे कि आग वाहन/वैगन को क्षति न पहुँचा सके और नियमानुसार आवश्यक सुरक्षात्मक कार्रवाई करेगा।
- (iv) लेकिन यदि किसी पार्श्ववर्ती लाइन पर पहुँचने वाली / या उससे पास करते समय आग लगी हुई गाड़ी दिखाई दे तो वह फ्लैशर लाइट को स्विच ऑन करेगा, लगातार सीटी (व्हिसिल) बजायेगा और लाल हैण्ड सिग्नल तब तक दिखाता रहेगा, जब तक प्रभावित गाड़ी को पास न कर लिया जाए. वे अपनी गाड़ी को तुरन्त ऐसे स्थान पर रोकेंगे जहाँ फील्ड टेलीफोन सॉकेट उपलब्ध हो या स्टेशन पर रुकेंगे जो भी पहले आये, और कण्ट्रोल को आग लगने की पहले सूचना देंगे
- (v) जब गंभीर रूप से आग लगी हो तो निकटवर्ती नगरपालिका के फायर ब्रिगेड या प्राइवेट या रेलवे के फायर ब्रिगेड को अविलम्ब बुलाया जाए।
- (vi) आग लगने की घटना के बारे में निकटतम स्टेशन को तीव्रतम माध्यम से सूचित किया जाए और इस सूचना के मिलने पर स्टेशन मास्टर

कण्ट्रोल, सेक्शन इंजीनियर (वर्क्स) , मंडल संरक्षा अधिकारी और अन्य एजेन्सियों को तुरन्त सूचित करेगा ।

- (vii) उस स्टेशन/शेड को सूचना दें जहाँ गाड़ी कर्मचारियों को सूचित किया जा सके और जहाँ पर अग्निशमन यंत्र उपलब्ध हों ।

23.2 आग लगने के समय कब क्या करें .

(ए) यदि किसी गाड़ी के वाहन पर आग लगे तो निम्नलिखित कार्य करें:

- (i) गाड़ी को रोका जाएगा ।
- (ii) आग लगे वाहनों को विलग किया जाए, और उन्हें ऐसी दूरी पर रखा जाए जिससे कि इसके और गाड़ी के अन्य वाहनों के बीच 45 मीटर न्यूनतम दूरी बनी रहे ।
- (iii) यदि गाड़ी स्थावर सिगनलों (फिक्स्ड सिगनलों) से सुरक्षित न हों, तो उन्हें सामान्य नियम 6.03 के अनुसार सुरक्षित किया जाए ।
- (iv) आग को बुझाने और वैगन लेबेलों, सीलों और वाहनों के सामान को बचाने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएँ ।
- (v) मिट्टी और बालू का भी उपयोग किया जाए यदि उपलब्ध हो ।
- (vi) यदि आग लगने की घटना को ऐसे समय पता चले जहाँ पर गाड़ी किसी तालाब या पानी वाले स्टेशन पर हो, तो गार्ड और ड्राइवर वहाँ पर आगे बढ़ने में अपने विवेक का उपयोग करेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी प्रयास तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि गाड़ी के पीछे के भाग को जलते हुए वाहन से अलग न कर लिया जाए ।

(बी) किसी बिजली इंजन / ई एम यू में आग लगने की स्थिति में निम्नलिखित कार्य करें:

- (i) ड्राइवर तुरन्त सर्किट ब्रेकर को स्विच ऑफ करेगा और पैण्टोग्राफ को लोअर करेगा . इसके बाद गाड़ी को तुरन्त रोका जाएगा ।
- (ii) प्रभावित सर्किट को बिजली आपूर्ति काटने के बाद, ड्राइवर आग बुझाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा ।
- (iii) यदि उपर्युक्त माध्यमों से आग न बुझ सके तो ड्राइवर इमरजेन्सी फोन से ट्रेक्शन पावर कण्ट्रोलर को सूचित करेगा कि प्रभावित सेक्शन के सिरोपरि उपस्कर को निष्क्रिय करे ।
- (iv) गार्ड और अन्य उपलब्ध कर्मचारी आग बुझाने में ड्राइवर की हर संभव सहायता करेंगे ।

- (v) प्रत्येक बिजली इंजन/गाड़ी पर बिजली से आग लगने की स्थिति में उपयोग के लिए अनुमोदित किस्म के अग्निशामक यंत्र उपलब्ध रहेंगे और ड्राइवर इन अग्निशमन यंत्रों के रखे जाने के स्थान से और उनके उपयोग के बारे में अपने को परिचित रखेगा . इंजनों के आवधिक निरीक्षण के समय दौरान इंजन निरीक्षण कर्मचारियों द्वारा अग्निशमन यंत्रों की जाँच की जाएगी।
 - (vi) किसी भी स्थिति में सामान्य अग्निशमन यंत्र या होस पाइप से जल का उपयोग सक्रिय तार (वायर) या बिजली के उपस्करों पर नहीं किया जाएगा . यदि फायर ब्रिगेड की सेवा अपेक्षित हो तो इस फायर ब्रिगेड को कार्य करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि आग लगने के क्षेत्र के सभी बिजली उपस्कर निष्क्रिय न कर दिए जाएँ।
 - (vii) अग्निशमन यंत्र जिसका उपयोग हो चुका हो, उसकी जगह अविलम्ब दूसरा अग्निशमन यंत्र रखा जाए या उसे रिचार्ज किया जाए।
- (सी) डी एम यू स्टॉक के बारे में:**
- (i) मोटरमैन तुरन्त सर्किट ब्रेकर को स्विच ऑफ करेगा और इंजन को शट डाउन करेगा. इंजन तुरन्त रोक दिया जाएगा।
 - (ii) गार्ड आग बुझाने में मोटर मैन की हर संभव सहायता करेगा।
 - (iii) जब भी कार शेड से किसी डी एम यू रेक बाहर निकले तो डी एम यू के प्रत्येक मोटर कोच में अनुमोदित किस्म का अग्निशमन यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा. यदि गाड़ी स्थावर सिगनलों (फिक्स्ड सिगनलों) से सुरक्षित न हों, तो उन्हें सामान्य नियम 6.03 के अनुसार सुरक्षित किया जाए. शेड के प्रभारी वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (समाडि) अग्निशमन यंत्र का निरीक्षण करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ये यंत्र सही रूप से कार्यकर हालत में हों।
- (डी) जब किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए तो निम्नलिखित कार्य करें:**
- (i) अपने निकटतम सामने उपलब्ध ढँकने के सामान के साथ उसके पास पहुँचें।
 - (ii) उसके चारों ओर उस सामान को लपेट दें।
 - (iii) उसे फर्श पर लिटा दें, जिससे आग की लपट कम हो जाए।
 - (iv) किसी भी स्थिति में उसे खुली हवा में न दौड़ने दें।

- (v) सहायता की पुकार करें।
- (ई) पेट्रोल या अन्य ज्वलनशील तरल पदार्थ, एसिड या गैस के कारण आग लगने की स्थिति:
 - (i) प्रभावित वैगन, कोच या क्षेत्र को पृथक करना।
 - (ii) किसी वैगन को खोलने के समय इसमें तुरन्त प्रवेश न करें. इससे आप भभक रोक सकते हैं जो खतरनाक साबित हो सकती है।
 - (iii) डी सी पी टी अग्नि शामक यंत्रों और बालू का उपयोग करें न कि जल या सोडा टाइप अग्नि शामक यंत्रों का।
 - (iv) आग लगने के स्थान पर खुला प्रकाश वस्तु न ले जाएं।
 - (iv) निकटवर्ती रेलवे स्टेशन या सिविल फायर स्टेशनों को सूचित करें कि पेट्रोल या अन्य ज्वलनशील तरल पदार्थ या गैर या एसिड से आग लग गई है।

24. भूकम्प के दौरान आपदा के लिए निर्देश:

मण्डल की आपदा प्रबंधन योजनाएं राज्य के जिलों के आपदा प्रबंधन योजना के अनुरूप होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार का 2003 का 04 आपदा प्रबंधन योजना का क्रम सं. 2 यह संकेत देता है कि जिला प्रशासनिक प्राधिकरण एवं कार्यरत पंचायतों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जिलों, सबडिविजनों एवं प्रखण्ड स्तरों पर विभिन्न तरीकों के नियंत्रण कक्ष खोले जाएंगे।

24.1 पश्चिम बंगाल राज्य का अधोमुख भूकम्प क्षेत्र:-

- a) भूकम्प द्वारा उच्च स्तर पर क्षतिग्रस्त होने वाले क्षेत्र (एम एम के IX अथवा अधिक)
 - i) जलपाईगुड़ी का पूर्वी भाग ii) कूचबिहार का पूर्वी भाग।
- b) भूकम्प के उच्च स्तरीय क्षतिग्रस्त क्षेत्र (एम एस के VIII).
 - i) उत्तर 24 परगना का पश्चिमी भाग।
 - ii) दक्षिण 24 परगना का पश्चिमी भाग।
 - iii) मालदा का उत्तरी भाग।
 - iv) दक्षिण दिनाजपुर
 - v) उत्तर दिनाजपुर
 - vi) दार्जिलिंग
 - vii) जलपाईगुड़ी का पूर्वी भाग
 - viii) कूचबिहार का पश्चिमी भाग

c) भूकम्प द्वारा साधारण क्षतिग्रस्त क्षेत्र (एम एस के VII)

- i) दक्षिण 24 परगना का पश्चिमी भाग
- ii) दक्षिण २४ परगना का पश्चिमी उत्तर भाग
- iii) मिदनापुर
- iv) हावड़ा
- v) हुगली
- vi) बांकुड़ा
- vii) पुरुलिया का पूर्वी उत्तर भाग
- viii) बर्द्धमान
- ix) नदिया
- x) वीरभूम
- xi) मुर्शिदाबाद
- xii) मालदा का दक्षिणी भाग

d) भूकम्प द्वारा कम क्षतिग्रस्त होने वाले क्षेत्र (एम एस के VI)

- i) पुरुलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग
- ii) बांकुड़ा का दक्षिणी पश्चिमी भाग
- iii) मिदनापुर का उत्तरी पश्चिमी भाग

24.2 एन डी एम ए का कार्यान्वयन (i) भूकम्प के प्रबंधन पर दिशा निर्देश (अप्रैल/2007) (ii) बाढ़ के प्रबंधन पर दिशा निर्देश (जनवरी/2008)

भूकम्प एवं बाढ़ पर एन डी एम ए के दिशा निर्देश का सार- संक्षेप

● रेलवे ट्रैक का निर्माण (स्टेशन यार्ड /पुल/कलवेटर, आर ओ बी/ आरयू बी इत्यादि के साथ)	नया निमार्ण :- भूकम्प अवरोधक अवश्यक होना चाहिए	नया निमार्ण :- रेलवे स्टेशन भवन का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए कि वह 100 वर्ष तक अंतराल स्तर से
● भवन सिगनलिंग गियर यथा आर आई, एस एस आई इत्यादि। ● ओपेन लाइन केंद्रों पर रखरखाव कार्य किया जाय यथा लोको शेड कोचिंग डिपो आदि ● स्टेशन भवन ● नियंत्रण कक्ष, दूसरे महत्वपूर्ण कार्यालय भवन आदि ● उच्च स्तरीय आवासीय भवन, अन्य महत्वपूर्ण आवासीय भवन ● रेलवे अस्पताल	वर्तमान सुविधाएँ :- विभिन्न भूकम्पीय क्षेत्र में पड़ने वाले वर्तमान रेलवे सुविधाएँ। अवधि के आधार पर समुचित भूकम्प अवरोध की समीक्षा, नीव एवं अन्य विवरण के साथ भूकम्प अवरोधी बनाने के लिए रिट्रोफिट/पुनः निर्माण इंजीनियरों का प्रशिक्षण (विभिन्न स्तरों पर) रेलवे सुविधाओं के साथ आकार एवं निर्माण को सम्बद्ध होना। अन्य कोई मदें जिसे रेलवे जोड़ना चाहे।	ऊपर हो अथवा बाढ़ स्तर की निगरानी अधिकतम हो। उसी प्रकार उसे भी कम से कम 50 वर्षों तक वारिश स्तर से अधिक होना चाहिए तथा मोरी संकुचन के कारण उप घुमावदार होना चाहिए। <u>वर्तमान सुविधाएँ :-</u> बाढ़/बारिश की भविष्यवाणी करने वाले एजेंसियों के साथ मेल- मिलाप करना ताकि पहले से ही पेट्रोलिंग कार्य आरम्भ किया जा। रेलवे के सहायक नियमों के तहत गाति आदि का प्रतिबंध किया जाना। जल निकासी की समुचित व्यवस्था की समीक्षा, घुमावदार तथा यदि आवश्यकता हो तो परिवर्तन किया जाय। विगत 5 वर्षों के आधार पर पिछले बाढ़ स्थिति के अनुसार टिप्पणी तैयार करना। समतल बाढ़ में निर्माण के लिए नियम- कानून। बाढ़ के प्रकोप के कारण वर्तमान निर्माण व नया भवन तथा सुविधा संबंधी योग्यता। अन्य कोई मद जिसे रेलवे जोड़ना चाहे।

24.3 भूकम्प के मामले में पूर्व रेलवे द्वारा की जाने वाली कार्रवाई:

- + छतों में हुए नीव दरार में प्लास्टर का गहराई से मरम्मत किया जाय, निर्माण में कोई त्रुटि के लक्षण दिखाई पड़े तो विशेषज्ञ की सलाह लें।
- + छत में ऊपर से हल्का जमाव करें।
- + स्टैंडर्ड निर्माण के लिए अपने क्षेत्र में संबंधित बी आई एस कोड का पालन करें। दीवार के खिंचाव पर तख्ता लगाएँ।
- + निचले तख्तों पर भारी-भरकम अथवा बड़ा वजन रखें।
- + टूटने वाले सामग्री यथा बोतल बंद भोज्य पदार्थ, ग्लास तथा बोन चाइना को निचले दराज में छिटकनी बंद कर रखें।
- + भारी मद वाले सामान यथा फोटो, आईना को बिछावन से दूर रखें जहां कि लोग बैठते हैं।
- + ऊपर लग बत्ती एवं पंखों के पट्टी कसे हो।
- + त्रुटिपूर्ण बिजली वायरिंग को मरम्मत करें तथा साथ ही गैस रिसाव की जांच करें, यह सम्भावित जोखिम है।
- + वाटर हीटर, एल पी जी सिलिण्डर आदि को दीवार में लगे कील से कसकर बांध दें तथा जमीन के साथ इसे बोल्ट से कस दें।
- + कीटनाशक दवा, ज्वलनशील पदार्थोंको बंद अलमारी के निचले शेल्फ में सुरक्षित रूप से रखें।
- + घर के अंदर अथवा घर के बाहर सुरक्षित स्थानों को चिन्हित करें।
- i) मजबूत डाइनिंग टेबिल बेड के नीचे
- ii) दीवार के भीतरी भाग
- iii) खिड़की,आईना ,चित्र के आस-पास से दूर रहें जहां शीशे चूर-चूर हो सकते हैं अथवा जहां भारी बुक केस या अन्य भारी फर्नीचरों को गिरने की संभावना हो।
- iv) खुला स्थान पर रहें। बिल्डिंग,वृक्ष टेलीफोन तथा बिजली के तार फ्लाईओवर ब्रिजों से दूर रहें।

आपात स्थिति में निम्नलिखित सामान तैयार रखें :-

- i) बैटरी से चलने वाला टार्च
- ii) अतिरिक्त बैटरियाँ
- iii) बैटरी से चलने वाला रेडियो
- iv) प्राथमिक उपचार से संबंधित सामान तथा नियमावली
- v) आपात कालीन खाद्य सामग्री(सूखा) तथा पानी (पैक तथा सील किया हुआ)
- vi) एक वाटरप्रूफ पात्र में मोमबत्ती तथा दिया सलाई
- vii) चाकू
- viii) क्लोरीन की गोली अथवा जलशोधक पाउडर

- ix) डिब्बा खोलने वाला
- x) अत्यावश्यक दवा
- xi) नकद तथा क्रेडिट कार्ड
- xii) मोटी रस्सी तथा डोरी
- xiii) मजबूत जूते

एक आपातकालीन संचार योजना विकसित करें :-

यदि भूकम्प के दौरान परिवार के सदस्य एक दूसरे से अलग हो जाते हैं (ऐसी संभावना रहती है कि घटना के दौरान वयस्क काम पर रहते हैं तथा बच्चे विद्यालय में रहते हैं) तो भूकम्प के बाद परिवार के प्रत्येक सदस्यको दोबारा एक करने के लिए एक योजना विकसित किया जाए जिससे कि उन्हें दूर सं बुलाने में काफी सहुलियत हो जाए। परिवार के प्रत्येक सदस्य संपर्क स्थापित करने वाले व्यक्ति के नाम, पता तथा दूरभाष सं. के बारे में निश्चय कर लें।

आपके प्रतिपेशी की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना :-

- 1) भूकम्प के बारे में आपातकालीन सूचनाएं आपके स्थानीय समाचार-पत्र के विशेष खण्ड में प्रकाशित करें। स्थानीय आपातकालीन सेवाओं के कार्यालय तथा अस्पतालों के दूरभाष संख्या से संबंधित सूचनाएँ छापें।
- 2) घर में खतरे का पता लगाने के लिए एक सप्ताहव्यापी अभियान चालाएँ।
- 3) भूकम्प के दौरान क्या करें अथवा क्या न करें इसके बारे में लोगों के लिए विशेष रिपोर्ट तैयार करने हेतु स्थानीय आपातकालीन सेवाओं तथा कार्यालयों के साथ मिलकर काम करें ताकि हानि को कम किया जा सके।
- 4) घर में भूकम्प से निपटने के लिए अभ्यास के संचालन पर सुझाव दें।
- 5) उपयोगिताओं के बारे में जानकारी हेतु गैस, बिजली तथा जल कम्पनियों के प्रतिनिधियों से संपर्क करें।

भूकम्प के दौरान क्या करें :

भूकम्प के दौरान यथासम्भव सुरक्षित दूरी पर खड़े रहिए। सावधान रहें। कुछ भूकम्प के पूर्व कम्पन वास्तव में एक बड़ा भूकम्प हो सकता है। अपने कदमों की गति को कम कर नजदीक सुरक्षित जगह पर जाए और तबतक उस सुरक्षित जगह पर रहें जब तक कम्पन बंद न हो जाए और आप यह महसूस करें कि आप सुरक्षित हैं।

यदि दरवाजे के अंदर हो :

- जमीन पर बैठ जायं तथा कम्पन के बंद होने तक अपने आप को एक मजबूत टेबल के अंदर या फर्नीचर के अन्य टुकड़े को ऊपर उठाकर सुरक्षित कर लें। यदि आपके नजदीक डेक अथवा टेबल नहीं है तो अपने चेहरे तथा सिर को अपनी भुजाओं से ढंक लें तथा मकान के अंदर कोने की ओर घुटना मोड़कर बैठ जायं।
- भीतरी दरवाजे के लीन्टेल के नीचे खड़े होकर तथा कोने में यदि कमरा हो तो टेबल अथवा बेड के नीचे अपने आप को सुरक्षित करें।
- शीशा, खिड़की, बाहरी दरवाजे, दीवार तथा ऐसी कोई भी चीज जो गिर सके, जैसे जलती फर्नीचर आदि, उससे दूर खड़े हों।
- भूकम्प के इटके के दौरान यदि आप वहां है तो बेड पर खड़े हो जाएं तथा तकिया को अपने सिर पर रख कर सुरक्षित हो जाएं अन्यथा कोई भारी चीज गिर सकता है। ऐसी स्थिति में नजदीक सुरक्षित स्थान पर चलें जाएं।

- तब तक भीतर खड़े रहें जब तक झटके बंद न हो जाएं। बाहर निकल जाना ही सुरक्षित होगा। शोध मे दशारया गया है कि या तो बिल्डिंग के भीतर रहे अथवा बाहर जाने की चेष्टा करें।
- सवाधान रहें, बिजली जा सकती है या स्प्रिंकलर सिस्टमया अग्निचेतावनी ऑन हो सकता है।

न करें :

भूकम्प के बाद :

- एलिवेटर का प्रयोग ना करें।
- यदि मलबे के नीचे दब गए हों तो माचिस न जलाएँ।
- इधर-उधर हिले नहीं और न ही धूल झाड़े।
- धूम्रपान, माचिस जलाना या सिगरेट का इस्तेमाल मत करें।
- स्विच ऑन मत करें। गैस लीक शार्ट-सर्किट हो सकता है।
- यदि लोगों को गंभीर चोट लगी है, तो उन्हें हिलाने नहीं जब तक वे संकट में न हो।
- यदि आपकी जानकारी मे कोई धंस गया है, बचाव दल को सूचित करें। हड़बड़ी न करें और घायल लोगों या अपने हालात को और मत बिगाड़े।
- बिजली के तार के संपर्क में रहने पर किसी धातु वस्तु को मत छूएँ।
- खुले पात्र से बिना परीक्षण किए और बिना छाने हुए पानी को मत पीएँ।
- क्षतिग्रस्त इमारतों में पुनः प्रवेश मत करें और क्षतिग्रस्त ढाँचों के पास मत जाएँ।

25. रासयनिक आपदा पर मार्गदर्शन :

रेल द्वारा खतरनाक रसायनों वहन करने हेतु भारतीय रेलवे में दर-सूची नियम 2000 में दिए गए हैं जिसके अनुसार खतरनाक माल को निम्नलिखित 8 वर्गों में बांटा गया है:-

- i) विस्फोटकें
- ii) दबाव के तहत सम्पीड़ित, द्रवित, घुलनशील गैसें.
- iii) पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव
- iv) ज्वलनशील ठोस पदार्थ
- v) जहरीला (नशीला पदार्थ)
- vi) रेडियो सक्रिय पदार्थ
- viii) तेजाब तथा अन्य क्षयकारी

खतरनाक पदार्थों के उपयुक्त 8 वर्गों में से वर्ग -II (दबाव के तहत गैसें, सम्पीड़ित, द्रवित या घुलनशील), III (पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव) एवं VIII (तेजाब तथा अन्य क्षयकारी) को रेलवे में इकट्ठे डील की जाती है जहां खतरनाक पदार्थों के अन्य वर्गों को पार्सल वैनों/एस एल आर में पीस मी /कम मात्राओं मे डील किए जाते है। खतरनाक मालों के इन वर्गों के संबंध में रेलवे विनिदिष्ट पैरों को उल्लेख करेगी। अतः खतरनाक पदार्थों के लोकप्रिय वर्गों (II, III, एवं III) के महत्वपूर्ण संबंधित व्यौरा निम्नानुसार वर्णित है :-

वर्ग-II (दबाब के तहत सम्पीड़ित, द्रवित घुलनशील गैसों)

दबाब के तहत सम्पीड़ित, द्रवित, घुलनशील गैसों जो रेड ट्राफिक सं. 20 के अनुसार रेल द्वारा उसके वाहन हेतु अनुमति दिया गया है जो निम्नानुसार है:-

- a) घुलनशील गैस :- एसीटाइलिन (पोरस पदार्थों में सम्पीड़ित)
- b) सम्पीड़ित गैस - एयर कम्प्रेस्ड, अरगोन, कोल गैस, हाइड्रोजन, मिशन, नियोन माइट्रोजन, आक्सीजन, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड
- c) द्रवित गैस :- अमोनिया (एनहायड्रस) क्लोरिन, पेट्रोलिसम गैस (वाणिज्य व्यूटेन या प्रोपेन), कार्बन डाई आक्साइड (कार्बोनिक एसिड गैस) साइक्लोप्रोपेन गैस, इथेन क्लोराईड, फ्रेओन, अर्कटोन या जेनीट्रोन, हाइड्रोओ कामनीक एसिड, मेडिकल मिक्सचर (आक्सीजन तथा कार्बन डाई आक्साइड, अक्सीजन तथा हिलियम मिश्रण) मिथेन ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरीन (क्लोरोमिशन), नाईट्रस आक्साइड, सल्फर डाई आक्साइड ट्रांक्सीक (सल्फ्यूरिक एसिड गैस), द्रवयुक्त वायु, द्रव नाइट्रोजन, द्रव हिलियम

रेलवे द्वारा वाहन हेतु उपर्युक्त सामानों की स्वीकृति के संबंध में सामान्य नियमों को दर सूची सं. 20 के नियम 202, 203, 205 तथा 206 में दिया गया है।

पैकिंग :

रेल द्वारा उपर्युक्त सामानों को परिवहन करने के पूर्व, रेल ट्राफिक सं. 20 के नियम 207.1 तथा 207.2 के अनुसार इसे पैक किया जाय।

अतः नियम 207.2 आंतरित ट्रांसपोर्ट के दौन सिलेण्डर वाल्व के संरक्षा हेतु नियम उन सिलेण्डरों को जिसमें 5 लीटर से कम जल क्षमता वाला एवं चिकित्सा उद्देश्य हेतु आक्सीजन या नाइट्रस आक्साइड हो पर लागू होगा।

सिलिण्डर या कंटेनर की चिह्नित करना और नाम चिपकाना :

संदर्भित टैरिफ सं. 20 के नियम 208 एवं 209 में सिलिण्डरों के चिह्नित करने और एममें नाम चिपकाने के नियम के बारे में बताया गया है। यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि मान्यता प्राप्त जांच स्टेशन के कोड मार्क सहित द्रवस्थैतिकी जांच अथवा द्रवस्थैतिकी फैलाव की जांच की अंतिम तारीख प्रत्येक सिलिण्डर में अंकित है।

भंडारण (स्टोरेज) :

(संदर्भित टैरिफ सं. 20 का संदर्भित नियम सं. 211)

निम्नलिखित प्वाइंटों को अवश्य सुनिश्चित किया जाए :

पतली दीवार वाली सिलिण्डर जैसे तरल पेट्रोलियम गैस सिलिण्डर एवं डिजोल्भ गैस सिलिण्डरों को क्षैतिज स्थिति में ढेर लगा कर नहीं रखा जाएगा।

ज्वलनशील गैस अन्य टॉक्सिक गैसों के सिलिण्डर को दूसरे प्रकार के गैस से भरे सिलिण्डर से दूर रखा जाए।

गैस सिलिण्डर अथवा कंटेनरों को उठाने- रखने तथा भंडारण हेतु सावधानिय :-

(संदिग्ध टैरिफ सं. 20 का संदर्भित नियम सं. 212)

इस अध्याय में उल्लिखित पण्य को विस्फोक अथवा अन्य खतरनाक सामानों के पार न भंडार बना कर रखा जाएगा और न ही उठाने और रखने का काम किया जाएगा। इन पण्यों के पास धुम्रपान एवं किसी प्रकार की आग को ले आने और ले जाने संबंधित कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी।

➤ **परिवहन के प्रकार:-**

संदर्भित टैरिफ सं. 20 के संदर्भित नियम 213,214,215,216,217 एवं 218 में परिवहन के प्रकार के बारे में बताया गया है।

➤ **स्टोवज एण्ड कैरेज :-**

संदर्भित टैरिफ सं. 20 के संदर्भित नियम 219,221,226,227 एवं 228 में गैस, कामप्रेसड लिक्विफाइड अथवा डिजॉलव्ड अंडर प्रेशर स्टोवज एण्ड कैरेज के नियम बताए गए हैं।

➤ **अतिरिक्त नियम:-**

पैकिंग, मार्किंग एवं लेबेलिंग, कैरेज बाई गुड्स/मिक्ड/पार्सल ट्रेन तथा स्टोरेज एण्ड कैरेज नियमों से संबंधित अपवाद अथवा अतिरिक्त नियमों के बारे में संदर्भित टैरिफ सं. 20 के अध्याय-11 के टेबुल 11 में बताया गया अपवाद अथवा अतिरिक्त नियमों के बारे में संदर्भित टैरिफ सं. 20 के अध्याय- 11 के टेबुल 11 में बताया गया है।

वर्ग- III (पेट्रोलियम एवं अन्य ज्वलनशील द्रव)

पेट्रोलियम एवं अन्य ज्वलनशील द्रव अर्थात् द्रवों का मिश्रण तथा घोल में ठोस के रूप में समाविष्ट द्रव, जो ज्वलनशील वाष्प को निकालता है और जब ज्वलन का कोई स्रोत प्रकट होता है तो वायु में घनीभूत हो कर ज्वलन कार्य करने में समर्थ हो जाता है। रेलवे अधिनियम 1989 (1989 का 24) के अनुसार पेट्रोलियम एवं अन्य ज्वलनशील द्रवों को खतरनाक समझा जाता है और इन्हें तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् श्रेणी ए, श्रेणी-बी एवं श्रेणी सी:-

- i) श्रेणी-ए:- पेट्रोलियम एवं अन्य ज्वलनशील द्रव, जिनके वाष्प को फ्लैश प्वाइंट 23 सेन्टि. से कम है।
- ii) श्रेणी -बी :- पेट्रोलियम एवं अन्य ज्वलनशील द्रव, जिनके वाष्पका फ्लैश प्वाइंट 23 सेन्टि. से कम है, परन्तु 65 डिग्री सेन्टि. से कम है।
- iii) श्रेणी - सी :- पेट्रोलियम एवं अन्य ज्वलनशील द्रव, जिनके वाष्पकी फ्लैश प्वाइंट 65 रु है। उपरोक्त तीन श्रेणियों के अंतर्गत शामिल मदों की सूची संदर्भित टैरिफ सं. 20 के अध्यास -III के टेबुल III में दिया जाता है

पेट्रोलियम एवं अन्य ज्वलनशील द्रवों की स्वीकृति एवं परिवहन पर सामान्य प्रतिबंध से संबंधित नियमों के बारे में संदर्भित टैरिफ सं. 20 के नियम 302,303,304,305 एवं 306 में बताया गया है।

➤ **पैकिंग मार्किंग एवं लेबेलिंग :-**

यह सुनिश्चित किया जाए कि तीव्र ज्वलनशील एवं ज्वलनशील, जो भी स्थिति हो, ये शब्द पेट्रोलियम एवं अन्य ज्वलनशील द्रवों के प्रत्येकके प्रत्येक पैकेज पर अंकित किया जाए। संदर्भित टैरिफ सं. 20 के नियम 308,309 एवं 310 के नियम में बताए अनुसार पेट्रोलियम परिवहन के लिए प्रयोग किए गए प्रत्येक टैंक वाहन के दोनों ओर एवं पीछे कम से कम 7 रु की उँचाई के लिए कॉन्ट्रैस्ट कलर में सुस्पष्ट रूप में ज्वलनशील शब्द लिखा जाना चाहिए और पेट्रोलियम एवं अन्य ज्वलनशील द्रवों की पैकिंग, मार्किंग एवं लेबेलिंग की पद्धति परिवहन किए जाने वाले द्रव का सामान्य नाम जैसे मोटर स्पिरिट अथवा केरोसिन आदि अंकित होना चाहिए।

➤ **भण्डारन :-**

लोडिंग एवं अनलोडिंग का समय : लोडिंग एवं अनलोडिंग के सभी कार्य तथा पेट्रोलियम एवं अन्य ज्वलनशील द्रवों को उठाने एवं रखने का कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के भीतर किया जाएगा ।

धूमपान, आग आदि से मनाही :-

पेट्रोलियम एवं अन्य ज्वलनशील द्रवों के निकट धूमपान के लिए आग सुलगाना अथवा जलती हुई तिली या ज्वलनशील प्रकृति के अन्य वस्तुओं को रखना सख्त मना है ।

परिवहन :-

- a) श्रेणी-ए के अंतर्गत आने वाले पेट्रोलियम एवं अन्य ज्वलनशील द्रवों के केवल मालगाड़ी द्वारा वहन किया जाएगा ।
 - b) श्रेणी-बी एवं सी के अंतर्गत आने वाले पेट्रोलियम एवं अन्य ज्वलनशील द्रवों के परिवहन हेतु प्रयोग किए गए टंको का डिजाइन विस्फोटक के मुख्य नियंत्रण द्वारा किया जाएगा ।
- **वैगन की भराई, लेबलिंग, सीलिंग एवं लॉकिंग :-**
- प्रत्येक वैगन के दोनों ओर खतरे का लेबल अवश्य चिपकाया जाए।

वर्ग -IV (तेजाब एवं अन्य संक्षारक संदर्भित)

तेजाब एवं अन्य संक्षारक संदर्भित टैरिफ सं. 20 के अध्याय -VIII टेबुल VIII में तेजाब एवं अन्य संक्षारक, जिन्हें खतरनाक वस्तु समझा गया है, की सूची दी गई है ।

➤ **पैकिंग मार्किंग एवं लेबलिंग :-**

रेलवे कर्मिकों द्वारा और अधिक यह सावधानी बरतने की जरूरत है कि संदर्भित टैरिफ सं. 20 के नियम 807 के अनुसार टेबुल VIII के कॉलम 2 में बताए अनुसार पैकिंग कार्य में सख्ती बरती गई है।

➤ **हैंडलिंग एण्ड स्टोरेज :-**

लोडिंग एवं अनलोडिंग का समय : लोडिंग, अनलोडिंग एवं पेट्रोलियम से संबंधित कार्य तथा अन्य ज्वलनशील द्रव से संबद्ध सभी मामले की कार्रवाई सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच होगी ।

➤ **परिवहन :-**

- i) पैसेजर गड़ियों सहित सभी गड़ियों द्वारा वैगन में तेजाब एवं अन्य क्षयकारी सामानों को ढो कर ले जाया जा सकता है परन्तु गड़ियों के ब्रेकवान में नहीं ले जाया जा सकता है
- ii) तेजाब एवं अन्य क्षयकारी सामानों को ढके हुए लोहे के वैगन तथा ट्रैक वैगन में ले जाया जाएगा। यदि कैरेज अथवा वैगन का पिछला भाग खुला हो, तो उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

26. बम की धमकियों से निपटने के लिए संयुक्त प्रक्रिया आदेश विगत अनुभवों से पता चलता है कि बड़ी सं. में हताहत, आर्थिक क्षति और विघटन, व्यापक प्रचार-प्रसार और मीडिया के ध्यानार्थ उग्रवायियों/आतंकवादियों के लिए रेलवे एक आसान लक्ष्य हो गया है। अतः आपातकालीन परिस्थितियों में बचाव हेतु समुचित/समय पर प्रतिक्रियाएँ, वक्त का तकाजा हो गया है। धमकियों, बम विस्फोट और गाड़ी/प्लेटफार्मों एवं यात्री वाले अन्य इलाके में पाए जाने वाले अज्ञात/दावारहित वस्तुओं की सूचना के मामले के लिए सर्वसंबंधित कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित मार्गदर्शनों के लिए सिफारिश किया जाना।

(I) रोकथाम और पहचान :

- (i) सभी रेल कर्मचारियों, कुलियों, पार्सल पोर्टरों, टी स्टॉल के कमियों, श्रमिकों, पट्टाधारियों अथवा संविदाकारों आदि को ऐसी समस्या के दौरान सचेत रहने के लिए अनुदेश दिया जाए और जब कभी कोई यात्री के जरिये जानकारी हासिल होती है अथवा गाड़ी या रेलवे परिसर में दावरहित वस्तुओं को पाता है, तो तत्काल इसे स्टेशन मास्टर, रेल सुरक्षा बल एवं जी आर पी के ध्यान में लाया जाए।
- (ii) ऐसी सूचना देने के पश्चात, वे स्टेशन मास्टर/रेल सुरक्षा बल/जी आर पी/सिविल पुलिस को सभी संभाव्य सहायता प्रदान करें।

(II) स्टेशन एवं अन्य यात्री क्षेत्रों के लिए सावधानियाँ :

ए) स्टेशन प्रबंधक /मास्टर की भूमिका

- (i) वे रेल सुरक्षा बल/जी आर पी के साथ मिलकर संदिग्ध व्यक्तियों का पता लगाने के लिए स्टेशनों/टर्मिनलों पर मूलभूत सुविधाओं अथवा अन्य अभावयुक्त परिसंपत्तियों और मदों का लगातार निरीक्षण करेंगे।
- (ii) प्रतिदिन की सफाई को सुनिश्चित करने के लिए वे रेल सुरक्षा बल/जी आर पी तथा सफाई कर्मचारी (जहां उपलब्ध हो) के साथ मिलकर सभी स्थानों का निरीक्षण करेंगे ताकि कोई भी स्थान अनदेखा न रह जाए जहां कि जोमिख भरा पदार्थ रहने की संभावना हो।
- (iii) सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के जरिये बारबार घोषणा तथा वाणिज्य, संरक्षा, जन संपर्क शाखाओं द्वारा आपूर्ति किए गए पोस्टरों आदि के प्रदर्शन के माध्यम से वे जागरुकता को बढ़ाएंगे।
- (iv) बम विस्फोट आदि से बचाव हेतु की जाने वाली कार्रवाई को दर्शाते हुए वे पोस्टरों का प्रदर्शन करेंगे
- बी) पार्सल गुड्स शोड पर्यवेक्षकों/उप स्टेशन अधीक्षक (वाणिज्य)/एच टी सी, की भूमिका :**
- (i) अचिह्नित आवक और जावक पार्सलों के लिए पार्सल पर्यवेक्षणगण प्रतिदिन सभी प्लेटफार्मों की जांच करेंगे।
- (ii) रेल सुरक्षा बल/जी आर पी की सहायता से शोड के भीतर और चारों ओर व्यक्तियों और सामग्रियों की निरंतर जांच की जाए।
- (iii) अज्ञात वस्तु का पता चलने की स्थिति में सहायक स्टेशन मास्टर/स्टेशन मास्टर को सूचित करना।
- (iv) सूर्यास्त के पश्चात भी स्पष्ट निगरानी रखने के लिए गुड्स शोड के भीतर और चारों ओर समुचित प्रकाश व्यवस्था को सुनिश्चित करना ताकि सुरक्षा कर्मियों द्वारा यथोचित जांच सहज रूप से की जा सके केवल यात्रियों के सामनों को ढोने के लिए, वे रेल सुरक्षा बल और जी आर पी की सहायता से लाइसेंस पोर्टरों की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।
- (v) शोड के चारों ओर प्रवेश/प्रस्थान के प्रत्येक स्थल पर व्यक्तियों/वाहनों /सामग्रियों की समुचित जांच/निरीक्षण सुनिश्चित करना।
- (vi) अनधिकृत सामग्रियों के निपटान और अन्य बातों के साथ-साथ जनता और जहां रेलवे कर्मचारी भारी संरक्षा और सुरक्षा पर आधारित कार्य करते हों, के मार्गदर्शन हेतु शोड के भीतर और चारों ओर सुविधाजनक स्थान पर जागरुकता/बम विस्फोट से बचाव हेतु समुचित मुद्रित पोस्टरों को प्रदर्शित करना।
- (vii) शोड क्षेत्र में अनधिकृत व्यक्तियों/वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध और प्रवेश करने पर जुर्माना/अर्थदंड एवं उसके विरुद्ध अभियोग चलाने के संबंध में सुविधाजनक स्थान पर सूचना बोर्ड प्रदर्शित करना।

(सी) उप स्टेशन अधीक्षक (वाणिज्य) /एच टी सी :

- (i) वे यह सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्रीकृत उद्घोषणा प्रणाली के जरिये समुचित घोषणा की जाती है कि लावारिस सामान और संदिग्ध वताव करने वाले व्यक्तियों के बारे में यात्रीगण और कर्मचारीगण कार्यरत स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट करें।
- (ii) गाड़ी पर चढ़ने वाले यात्रियों के सामानों एवं किसी संदिग्ध वस्तु को खोजने अथवा प्लेटफार्म या ट्रैक पर पड़े लावारिस सामान के लिए सचेत रहेंगे और निगरानी रखेंगे।
- (iii) आपातकालीन स्थिति में सहायक स्टेशन मास्टर सूचना भेजने और खाली आदि कराने का काम करेंगे।

(डी) रेल सुरक्षा बल प्रभारी की भूमिका :

- (i) प्लेटफार्म एवं यात्री वाले अन्य इलाके में कर्मचारी तैनात करेंगे और उन्हें सचेत करेंगे।
- (ii) यदि डॉग स्कवॉड उपलब्ध हो, तो रोकथाम के उपाय के रूप में उन सभी क्षेत्रों में कुत्तों के जरिए गश्त लगाने की व्यवस्था करेंगे।
- (iii) वे स्त्रोतों/खुफिया इकाइयों से अपराध से संबंधित समाचार भी एकत्रित करेंगे और रेलवे पर अपराधियों/उग्रवादियों /आतंकवादियों के गतिविधियों पर पैनी निगरानी रखेंगे।
- (iv) जब और जिस समय आवश्यक हो, वे उप स्टेशन मास्टर /स्टेशन मास्टर को सहायता करेंगे।

(ई) जी आर पी प्रभारी की भूमिका :

- (i) आवश्यकता और कर्मचारी की सुलभता के अनुसार प्लेटफार्मों एवं अन्य यात्री इलाके में वे अपने कर्मचारी की नियुक्ति करेंगे और उनका पर्यवेक्षण करेंगे।
- (ii) रेलवे के अपराधियों/उग्रवादियों /आतंकवादियों के पहचान के उद्देश्य से वे जिला पुलिस और खुफिया शाखा से बराबर संपर्क बनाए रखेंगे।
- (iii) जब और जिस समय आवश्यक हो, वे उप स्टेशन प्रबंधक /स्टेशन मास्टर के संभाव्य सहायता प्रदान करेंगे।

(एफ) सहायक सुरक्षा आयुक्त/मण्डल सुरक्षा आयुक्त/वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त की भूमिका :

- (i) वे दिन /रात्रिकालीन जांच का काम हाथ में लेंगे और अपने अधीनस्थों द्वारा ड्यूटी एवं डॉग स्कवॉड द्वारा गश्त लगाने का काम समुचित ढंग हो रहा है, उसे सुनिश्चित करेंगे।
- (ii) व्यस्त/भीड़-भाड़वाले स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वे सी सी टी वी, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और एक्स-रे बैगेज जांच प्रणाली चालू करने की व्यवस्था करेंगे।
- (iii) जनता में किसी प्रकार का हो - हल्ला एवं चात्रियों को तकलीफ, पहुंचाए बिना और अधिकारियों के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अंतर्गत वे यात्रियों और उनके सामानों को हाथ लगाकर जांच करने की भी व्यवस्था करेंगे।

III) गाड़ी में सावधानियाँ :

ए) समाडि कर्मचारी की भूमिका :

- (i) पिट लाइन पर रखरखाव के पश्चात, अज्ञात वस्तुओं के लिए सवारी डिब्बों पर नजर रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि यार्ड/सिक लाइन /वाशिंग लाइन से प्लेटफार्म पर डिब्बे तालाबंद स्थिति में पहुंच रही है।

बी) कोच परिचर/ए सी परिचर की भूमिका :

- (i) सभी शौचालयों और गालियों की जांच करेंगे और यह देखेंगे कि कोई भी संदिग्ध वस्तु वहां नहीं है।

- (ii) यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑफ साइड दरवाजा खुला नहीं है।
- (iii) उनके द्वारा कोई संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु देखे जाने पर रेसुब/जी आर पी को सूचना देंगे।
- (iv) यह सुनिश्चित करेंगे कि जब प्रयोग न हो, तो कंट्रोल पैनल दरवाजा और बेडरोल केबिन दरवाजा समुचित रूप से तालाबंद है।

सी) चल टिकट परीक्षक/कोच परिचर की भूमिका :

चल टिकट परीक्षक यात्रियों से उनके सामान को पहचानने और यदि संदिग्ध/लावारिस वस्तुएँ गाड़ी के कमरे में हो, तो उनका पता लगाने के लिए कहेंगे।

डी) रेल सुरक्षा बल/जी आर मार्गक्षी :

- (i) मार्गक्षण ड्यूटी के लिए वे पहले ही रिपोर्ट करेंगे और यदि प्रारंभिक स्थल से ही ड्यूटी पर लगे हों तो वे एक-एक करके डिब्बों की जांच करेंगे और संदिग्ध/लावारिस वस्तु के बारे में यात्रियों से भी पूछताछ करेंगे।
- (ii) सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रायः स्टेशनों अथवा स्थानों पर बेरोक-टोक प्रवेश की सुविधा में कड़ाई की जा सकती है।

(IV) लावारिस वस्तु का पता लगाने के पश्चात कार्रवाई :

i) गाड़ी पर :

चल टिकट परीक्षक/कोच परिचर/ड्राइवर/गार्ड/ए सी परिवार द्वारा:

- i) मार्गरक्षा दल को तुरंत सूचना देंगे।
- ii) गाड़ी के ड्राइवर को सूचना देने की व्यवस्था करेंगे और गार्ड, जो कि गाड़ी की रफ्तार को कम कर देंगे, पीछे की ओर देखेंगे तथा प्रभावित डिब्बे पर निगरानी रखेंगे और निकटतम स्टेशन पर गाड़ी को रोक देंगे। इस बीच, वे यात्रियों को उस वस्तु के पास से हटा लेंगे। स्टेशन मास्टर कंट्रोल एवं स्टेशन मास्टर को सूचना देंगे।
- (iii) लावारिस वस्तु को छेड़े बिना यात्री डिब्बे को खाली किया जाएगा।
- (iv) यात्रियों को तुरंत हटाने के लिए विकल्प रास्ता उपलब्ध कराने हेतु चल टिकट परीक्षक/कोच परिचर डिब्बे की आपात खिड़की खोल देंगे।

रसोईयान कर्मचारी द्वारा :

- (i) कोई भी रेल कर्मचारी जैसे चल टिकट परीक्षक, कोच परिचर अथवा किसी रेसुब/जी आर पी, यदि कोई हो, को सूचना देंगे।
- (ii) गैस स्टाव अथवा किसी ज्वलनशील वस्तु को हटा देंगे और रसोई यान के निकट पाई जाने वाली लावारिस वस्तु के मामले में गैस सिलिंडर को डिब्बे से हटा देंगे।

रेल सुरक्षा बल/जी आर पी मार्गरक्षी :

वे अपने पर्यवेक्षक के साथ तुरंत संपर्क करेंगे और इसी बीच यात्रियों एवं उनके सामानों को हटा देंगे तथा किसी को उस वस्तु को छूने की अनुमति नहीं देंगे।

(b) प्लेफार्मों एवं यात्री वाले अन्य क्षेत्र में :

स्टेशन प्रबंधक/मास्टर :

- (i) ऐसी सूचना प्राप्त करने पश्चात वे तुरंत मण्डल कंट्रोल-रेसुब, जी आर पी जिला पुलिस कंट्रोल रुम को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचना देंगे।
- (ii) शांति बनाए रखने और सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करने हेतु यात्रियों के लिए समुचित उद्घोषणा कराने की व्यवस्था करेंगे।

मण्डल कंट्रोल द्वारा :

- i) प्रतिपल की सूचना से रेसुब कंट्रोल को अवगत कराया जाना ।
- ii) अगले स्टेशन में गाड़ी को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करना ।
- iii) संबंधित सिविल प्राधिकारियों को भी सूचित करना ।
- iii) निकटतम स्थल से गाड़ी खड़ी होने के स्थान तक आवागमन के लिए मण्डल टी पी सी टावर कार को तैयार रखेंगे ।

रेल सुरक्षा बल प्रभारी द्वारा:

- i) वह पर्याप्त कर्मचारियों सहित तुरंत घटना स्थल पर उपस्थित होगा ।
- ii) सर्वप्रथम क्षेत्र का घेरा जाएगा, भीड़ को नियंत्रित करेगा तथा अपने वरिष्ठ को सूचित करेगा।
- iii) बम, अज्ञात वस्तु अथवा लावारिस सामान को घेरने हेतु बालु के बारे की व्यवस्था करेगा ।
- iv) सूत्रों की सुरक्षा
- v) वह सरकारी रेल पुलिस/स्थानीय पुलिस से संपर्क करेगा और डॉग स्क्वाड, बम पहचान एवं बम निष्क्रिय दस्ते को तुरंत पहुँचने हेतु व्यवस्था करेगा ।
- vi) वह निकटवर्ती रेल सुरक्षा बल पोस्ट के साथ संपर्क करके उनसे सहायता की मांग करेगा । उन्हें सुदृष्टीकरण करने हेतु भेजेगा । वह क्षेत्र के सुरक्षा की व्यवस्था करेगा जब तक कि वस्तु की डॉग स्वावाड तथा बम पहचान एवं निष्क्रिय दस्ता की सहायता से स्थानीय पुलिस द्वारा जांच न कर ली जाय तथा क्लियरेंस न दी जाय ।
- vii) इसके अतिरिक्त लॉड भोंपू की मदद से यात्रियों को सुरक्षा कर्मियों की सहायता करने शांति एवं सुव्यवस्था कायम रखने तथा किसी प्रकार की भगदड़ को रोकने के लिए कहेगा ।
- viii) वह एम्बुलेंस तथा फायर ब्रिगेड के तुरंत पहुँचने की भी व्यवस्था करेगा । वह पूरे क्षेत्र की जांच करने में पुलिस का आवश्यक सहायता प्रदान करेगा ।

सरकारी रेल पुलिस प्रभारी द्वारा :

- i) वह घटना स्थल पर पर्याप्त कर्मचारियों के साथ तुरंत पहुँचेगा और विधि व्यवस्था कायम रखेगा ।
- ii) वह अपने वरिष्ठों को सूचित करेगा तथा जिला पुलिस नियंत्रण, स्थानीय पुलिस थाना, विस्फोटक बी डी, डी, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड के साथ संपर्क रखेगा ।
- iii) वह स्थानीय पुलिस के सहयोग से संपूर्ण क्षेत्र में किसी प्रकार के संभावित विस्फोटक/खतरनाक सामान को खोजगो जो कहीं भी रखा हो एवं इसकी जांच के बाद तुरत हटाने की व्यवस्था करेगा ।

वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त/मण्डल सुरक्षा आयुक्त/सहायक सुरक्षा द्वारा :

- i) इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने के बाद, वे अपने वरिष्ठ कर्मियों को सूचित करेगा ।
- ii) वे अतिरिक्त कर्मचारियों सहित यथाशीघ्र घटना स्थल पर पहुँचने और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा । स्थानीय पुलिस के पहुँचने की सुनिश्चित करेगा। डॉग स्क्वाड, बी डी डी एवं स्थान/ क्षेत्र के जांच के माध्यम से जांच करेगा और शीघ्र क्लियरेंस की व्यवस्था करेगा ।
- iii) क्षेत्र को खाली करने /घेरने हेतु ऐसे आवश्यक निदेश देगा , सुरागों की सुरक्षा आदि भी करेगा।
- iv) वे जी आर पी के काउंटर पार्ट, जिला पुलिस एवं रेलवे के अन्य विभागों के साथ उचित संपर्क बनाएँगे।
- v) वे निकटवर्ती आर पी एफ पोस्ट, बैरक तथा अन्य इकाइयों से और यदि आवश्यक हो तो समीप के मंडलों से भी पर्याप्त कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति करेगा ।

V) बम विस्फोट की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही :

1) गाड़ी में :

चलती हुई गाड़ी में यदि विस्फोट हो गया हो और इसमें सम्पत्ति का नुकसान और यदि कोई आहत हुआ हो अथवा नहीं तो निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे :-

गाड़ी के गार्ड द्वारा :

- i) वह ड्राइवर से सम्पर्क करेगा और ऐसे गाड़ी को तुरंत रोकने के लिए कहेगा तथा प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा ।
- ii) वह प्रभावित कोच के पास जाएगा तथा तुरंत - सेक्शन नियंत्रक, स्टेशन मास्टर से संपर्क करेगा और यदि संभव हो तो मण्डल नियंत्रण से भी सम्पर्क करेगा तथा इस संबंध में घायलों तथा मृत लोगों के विवरण देते हुए निकटतम अस्पताल से चिकित्सा सहायता हेतु विवरण देगा ।
- iii) यदि आग आदि से बचाने हेतु अन्य कोचों के अलग करने की आवश्यकता हो तो वह ड्राइवर के साथ मिलकर उचित कार्रवाई करेगा तथा रुकी हुई गाड़ी की संरक्षा करेगा ।

गाड़ी अधीक्षक/टी टी ई/कोच परिचर/ए सी परिचर द्वारा

- i) वे अपने वरिष्ठकर्मियों को सूचित करेंगे, क्षेत्र का घेराबंदी करेगा प्रभावित यात्रियों का पता लगाएंगे तथा राहत एवं बचाव कार्य में सहायता करेंगे। उसे निकटतम अस्पताल से आवश्यक चिकित्सा सहायता लेने हेतु विवरण देना चाहिए ।
- ii) यदि निकट में कोई गांव/शहर हो तो वे स्वयं सेवियों, फायर ब्रिगेड तथा डॉक्टर/एम्बुलेंस आदि से संपर्क करेंगे ।
- iii) वे किसी यात्री/आम जनता को घटना स्थल पर किसी सामान को छूने /अस्तव्यस्त न करने दें जब तक कि आर पी सकता है । राहत अभियान में यात्रियों की मदद भी ली जानी चाहिए ।
- iv) प्रभावित कोच एवं निकटवर्ती कोचों में आग फैलने से बचाने के लिए कंट्रोल पैनल से जब संभव तो तुरंत सभी स्विचों को ऑफ करेगा ।

आर पी एफ/जी आर पी एस्कॉर्ट पाटी :-

- i) वे तुरंत प्रभावित कोच में पहुँचेंगे, यात्रियों एवं उनके सामान को अलग करेंगे, क्षेत्र का घेरा डालेंगे, उनके वरिष्ठ कर्मियों को सूचित करेंगे तथा भीड़ पर नियंत्रण करेंगे ।
- ii) वे राह एवं बचाव कार्य में सहायता करेंगे तथा घायलों को मदद करेंगे ।
किसी बम विस्फोट की स्थिति में जिससे घायल मृत्यु एवं क्षति होती है वैसी ही कार्यवाही सख्ती से किया जाना है जैसा कि गाड़ी दुर्घटना/आपदा में किया जाता है ।

2) प्लेफार्म तथा अन्य यात्री क्षेत्र :

स्टेशन प्रबंधक/मास्टर द्वारा :

- i) प्लेफार्म तथा अन्य यात्री क्षेत्र जैसे स्टेशन के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र, प्रतीक्षाहॉल, टिकट खिड़की, स्टेशन के बाहरी परिसर अथवा एक फुट ओवर ब्रिज पर कोई बम विस्फोट की घटना घटती है तो वे डिविजनल कंट्रोल, रेल सुरक्षा बल, सरकारी रेल पुलिस, जिला पुलिस, दमकल वाहिनी, कैज्यू अल्टी/अस्पताल, एम्बुलेंस तथा उनके उच्च अधिकारियों को तुरंत सूचित करेंगे ।
- ii) वे रेसुब/जी आर पी जवानों (जब उपलब्ध हो) के साथ घटना- स्थल पहुँचेंगे तथा घटना का प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा तथा डिविजन कंट्रोल को सूचित करेगा और चिकित्सा सहायता की मांग करते हुए घायल तथा मृत व्यक्तियों के बारे में विस्तृत विवरण देंगे ।

- iii) रे.सु.ब./बी आर पी/स्थानीय पुलिस के पहुँचने तक, वे जनता की भीड़ को अलग करने का प्रयास करेंगे तथा घटना-स्थल से उन्हें हट जाने के लिए कहेंगे तथा यथासंभव घायल यात्रियों की सहायता के लिए सहायता करेंगे। बचाव तथा रक्षा कार्य के लिए रेल कर्मचारी तथा रेल यात्रियों की सेवा भी ली जा सकती है।
- iv) वे जी आर पी/स्थानीय थाने में प्रथम दृष्टया रिपोर्ट दर्ज करेंगे।
- v) नियमित अंतराल (बम विस्फोट) पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना।
- vi) जी आर पी /आर पी एफ कार्मिक क्या करें/न करें के बारे में स्टेशन कर्मचारियों के लिए परामर्श/प्रदर्शन की व्यवस्था करेंगे।

VI) सेक्शन इंजीनियर (वर्क्स) की भूमिका :-

- i) उपयुक्त स्थानों में क्या करें तथा क्या न करें को दर्शाते हुए बोर्ड लगाने की व्यवस्था करेंगे।
- ii) स्टेशन भवन/प्लेटफार्मों के निकट पर्याप्त संख्या में बालू की थैली की व्यवस्था करेंगे।
- iii) दुर्घटना-स्थल को अलग करने हेतु यदि आवश्यक हो तो पर्याप्त लम्बाई की रस्सी की व्यवस्था करेंगे। ट्रेन दुर्घटना /आपदा के मामले में की गई कार्रवाई के अनुसार ही सख्ती से रेलवे के प्रत्येक विभाग द्वारा उसी प्रकार आगेकी कार्रवाई की जाएगी।
यह भी सलाह दी जाती है कि स्टेशन प्रबंधक/मास्टर, जी आर पी प्रभारी,आर पी एफ प्रभारी तथा प्रभारी/यात्रिक जहां पदस्थापित हो, उनके बीच समन्वयन बैठक बुलाई जाए तथा किसी प्रकार की अप्रत्याशित घटना का सामना करने के लिए तैयार रहने हेतु दूरभाष संख्या सहित अपेक्षित सामग्रियों/सूचना को वाकिफ रहें।
मुख्य जन संपर्क अधिकारी जनता/यात्रियों को चौकाना करने हेतु पैम्पलेट तथा स्टिकर छापने की व्यवस्था करेंगे तथा यात्रियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया में उसे समय-समय पर प्रकाशित करेंगे। स्टेशन अधीक्षक द्वारा अस्पताल, दूरभाष संख्या,रोगियों को संभालने की क्षमता तथा चिकित्सकों की संख्या आदि की जानकारी रखी जाएगी।

VII) दूरभाष पर बम मारने की धमकी :

- i) अधिकांश बम मारने की धमकी आतंक फैलाने के लिए होते हैं जो कि सामान्य ट्रेन सेवाओं को अस्त-व्यस्त करने का एक प्रयास है। फिर भी उचित प्राधिकारी को तुरंत बिना सूचित किए तथा घटना की जांच किए बिना बम मारने की किसी भी धमकी को आतंक फैलाने के रूप में न माना जाए।
- ii) टेलीफोन पर धमकी मिलने के तुरंत बाद ही आप निकटस्थ पर्यवेक्षक/स्थानीय आर पी एफ/जी आर पी को सूचित करें।
- iii) नियम संख्या एक-शांत रहे, शिष्ट व्यवहार करें सुनें, टेलीफोन करने वाले को न टोकें।
- iv) टेलीफोन पर बम मारने की धमकी सुनते ही इसका विस्तृत विवरण लिखें।
- v) सभी पब्लिक इंटरेस टेलीफोनों को आई डी के रूप में जाना जाए।

VIII) क्या करें तथा क्या करें :

- क्या करें -**
- i) स्टेशन प्रबंधक/जी आर पी/आर पी एफ/स्थानीय पुलिस जैसे एजेंसियों का सूचित करें।
- ii) खाली कराया जाए।
- iii) लावारिस वस्तुओं की छान-बीन करें।
- iv) लावारिस वस्तु को अलग करें।
- v) प्रवेश द्वार निकास द्वार के बंद कर दें।

- vi) आस-पास से सभी ज्वलनशील वस्तुओं को हटा दें।
- vii) विस्फोट-प्रभाव को कम करने हेतु खिड़कियों तथा दरवाजों को खोल दें।
- viii) स्टेशन के निकट बालू की थेलियों रखी जाए।
- ix) बम दस्ता को सभी सहायता मुहैया कराया जाए।

क्या न करें :

- i) आतक न फैलाएँ।
- ii) बिजली की स्विचों तथा मशिनों को चालू न करें।
- iii) लावारिस वस्तुओं को स्पर्श न करें।
- iv) किसी लावारिस पैकेजों तथा सूटकेशों को न खोलें।
- v) किसी लावारिस पैकेजों/वस्तुओं को पानी में न डुबाएँ।
- vi) किसी लावारिस पैकेजों की रस्सी या तार न रखें।
- vii) लावारिस वस्तुओं के आस-पास रेडियो/सेल फोन का इस्तेमाल न करें।
- viii) लोगों को तब तक पुनः प्रवेश करने की अनुमति न दें जब तक कि लावारिस वस्तु को न हटाया जाए।

**A vigilant and
careful man is the
Best safety device**



SAFETY ORGANISATION

पूर्व रेलवे EASTERN RAILWAY

हावड़ा मंडल



Howrah Division